VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सुरक्षा

क्लासरूम स्टडी मटीरियल 2024
अगस्त 2023 – मई 2024

MAINS 365

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias_upsc | vision_ias | /VisionIAS_UPSC | www.visionias.in

ABHYAAS MAINS 2024

ALL INDIA MAINS (GS + ESSAY + OPTIONAL) MOCK TEST (OFFLINE)

OFFLINE IN 40+ CITIES

PAPER DATES

GS-I & II	GS-III & IV	ESSAY	OPTIONAL-I & II
24 AUG	25 AUG	31 AUG	1 SEPT

OPTIONAL SUBJECTS: ANTHROPOLOGY | GEOGRAPHY | HINDI | HISTORY | MATHS | PHILOSOPHY | PHYSICS | POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION | SOCIOLOGY

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation
- Concrete Feedback & Corrective Measures
- Complete coverage of UPSC Mains syllabus
- Available in English/Hindi
- Live Test Discussion

Scan to Know More and Register

Register at: www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR (MP) COIMBATORE | DEHRADUN | DELHI - KAROL BAGH | DELHI - MUKHERJEE NAGAR | GHAZIABAD | GORAKHPUR GURUGRAM | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOCHI KOLKATA | KOTA | LUCKNOW | LUDHIANA | MUMBAI | NAGPUR | NOIDA | ORAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE RAIPUR RANCHI | ROHTAK | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VIJAYAWADA VISAKHAPATNAM

सुरक्षा (Security)

विषय-सूची

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors) 4
1.1. वामपंथी उग्रवाद 4
1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद 6
1.3. मणिपुर में हिंसा 7
1.4. अलगाववाद 8
1.5. अवैध प्रवासन 9
1.6. मुक्त आवाजाही व्यवस्था 11
1.7. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 11
2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे (Threats to Internal Security) 14
2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा 14
2.1.1. सोशल मीडिया का दुरुपयोग 14
2.1.2. ऑनलाइन कट्टरतावाद 15
2.1.3. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण 16
2.2. डेटा संरक्षण 18
2.3. साइबर सुरक्षा 20
2.3.1. साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक 21
2.4. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना 23
2.5. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा 24
2.6. मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी 26
2.6.1. मनी लॉन्ड्रिंग या धन-शोधन 26
2.6.2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 27
2.6.3. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी 29
2.6.4. मानव तस्करी 30
2.7. आतंकवाद 32
2.7.1. आतंकवाद: एक नज़र में 32
2.7.2. भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण 33
2.7.3. 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी 34
2.7.4. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 36
2.7.5. सीमा-पारीय संगठित अपराध 37
2.7.6. सीमा-पारीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 38
2.8. युद्ध के उभरते आयाम 39
2.8.1. हाइब्रिड वारफेयर 39
2.8.2. ग्रे-जोन युद्ध 40
2.8.3. अर्बन वारफेयर 41
2.9. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण 43
2.9.1. अंतरिक्ष युद्ध 44
2.10. जासूस (टोही) उपग्रह 45
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas) 46
3.1. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे: एक नज़र में 46
3.1.1. सीमा अवसंरचना 47
3.2. समुद्री सुरक्षा 50
3.2.1. समुद्री सुरक्षा: एक नज़र में 50
3.2.2. समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना 51
3.2.3. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना 54
3.2.4. इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीज़न 56
4. सुरक्षा बल (Security Forces) 58
4.1. रक्षा आधुनिकीकरण 58
4.1.1. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण 58
4.1.2. रक्षा निर्यात 60
4.1.3. सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्य-संस्कृति 61
4.1.4. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 62
4.1.5. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पुलिसिंग संबंधी शक्तियां 62
4.1.6. रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी का समावेश 65
4.1.7. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 66

© Vision IAS

4.2. वैश्विक एजेंसियां ____ 68
4.2.1. इंटरपोल ____ 68
5. विविध (Miscellaneous) ____ 69
5.1. परमाणु निरस्त्रीकरण ____ 69
5.1.1. पोखरण-I ____ 69
5.1.2. वैश्विक परमाणु विनियमन ____ 70
5.2. भारत में ड्रोन ____ 73
5.3. डिफेंस हेतु ड्रोन ____ 74
5.4. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक ____ 76
5.5. निर्देशित ऊर्जा हथियार ____ 77
6. परिशिष्ट: मुख्य तथ्य एवं आंकड़े (Appendix: Key Data and Facts) ____ 79
7. सुरक्षा: विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Security Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)} ____ 84

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थी,

समसामयिक घटनाक्रमों को ठीक से समझने से जटिल मुद्दों के बारे में आपकी समझ और बेहतर हो सकती है। इससे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको बारीक समझ विकसित करने में मदद मिलती है।
इसे ध्यान में रखते हुए, मेन्स 365 सुरक्षा डॉक्यूमेंट के जरिए आपकी अध्ययन प्रक्रिया को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है।

मेन्स 365 सुरक्षा: प्रमुख विशेषताएं

संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव: प्रत्येक टॉपिक को संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव रूप से प्रस्तुत करने के लिए, प्रासंगिक उदाहरणों एवं तथ्यों को शामिल किया गया है। इससे आप अपने उत्तर को स्पष्टता और सटीकता के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे।

बेहतर इन्फोग्राफिक्स: इन्हें टॉपिक्स की प्रभावी समझ के लिए डिज़ाइन किया गया है और भारत में मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय साइबर अपराध जैसे टॉपिक्स में मानचित्रों का उपयोग किया गया है।

टॉपिक: एक नज़र में: इसमें क्विक रिवीजन के लिए बार-बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स का सारांश प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नवीनतम डेटा, उदाहरणों और घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया है।

वीकली फोकस: प्रासंगिक वीकली फोकस डॉक्यूमेंट्स की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है। इसकी मदद से आप सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों से अपडेट रहेंगे।

विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs) प्रभावी तरीक़े से रिवीजन के लिए 2013-2023 तक के विगत वर्षों के प्रश्नों की सूची प्रदान की गई है।

परिशिष्ट इस डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण तथ्यों और डेटा का एक परिशिष्ट भी शामिल किया गया है। इससे आप अपने उत्तर को बेहतर कर सकेंगे।

हम आशा करते हैं कि मेन्स 365 सुरक्षा डॉक्यूमेंट आपकी तैयारी में प्रभावी ढंग से आपका मार्गदर्शन करेगा और इससे आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

"आप कभी भी, किसी से भी, कुछ भी सीख सकते हैं। हमेशा एक ऐसा समय आएगा, जब आप सुखद अनुभव करेंगे कि आपने ऐसा किया।"

शुभकामनाएं! टीम VisionIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

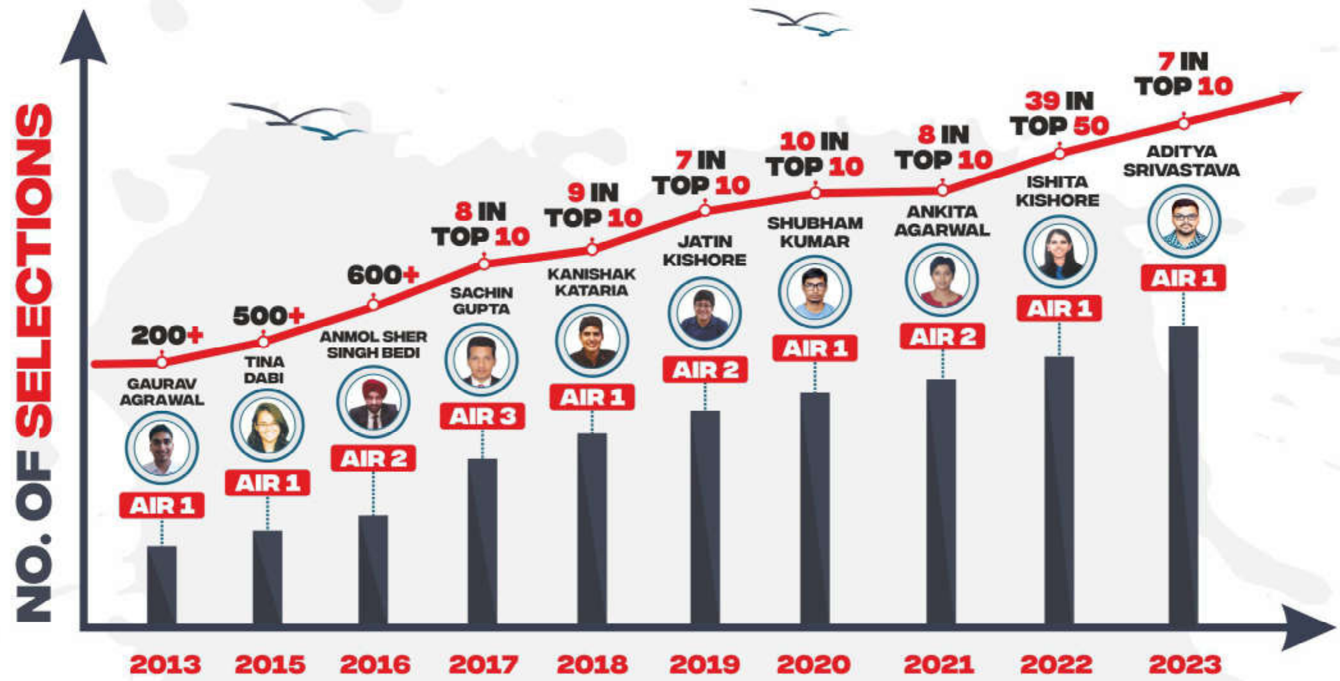

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 12 AUG, 9 AM | 14 AUG, 1 PM | 17 AUG, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM | 23 JULY, 5:30 PM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 21 AUG | BHOPAL: 5 SEPT | CHANDIGARH: 9 SEPT

HYDERABAD: 29 AUG | JAIPUR: 21 AUG | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 5 SEPT | PUNE: 5 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 22 अगस्त, 1 PM | 18 जुलाई, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 16 अगस्त | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc
/c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi
/t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (State and Non-State Actors)

1.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)

वामपंथी उग्रवाद (LWE): एक नज़र में

भारत में वामपंथी उग्रवाद के बारे में

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र को भारत में **रेड कॉरिडोर** कहा जाता है।
- **2010–2022 के बीच वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी** आई है।

वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक

- **जल, जंगल और जमीन:** बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा करना; भूमि हदबंदी कानूनों को सही ढंग से लागू न कर पाना आदि इसके प्रमुख कारक हैं।
- **सामाजिक–आर्थिक असमानताएं:**
  - **रोजगार की कमी:** झारखंड में युवा बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) 4.7% थी (PLFS 2022-23)।
  - **स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव:** बिहार के नौ जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं हैं (CAG रिपोर्ट 2021)।
- **सरकारी नीतियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन:**
  - झारखंड ने अभी तक पेसा/ PESA को लागू नहीं किया है।
  - 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम, 2009 के गैर–कार्यान्वयन और स्कूल की खराब स्थिति को लेकर बिहार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

भारत में LWE में कमी आने के कारण/वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **रणनीतिक (Strategic):**
  - समाधान (SAMADHAN): 2017 में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए **'समाधान'** सिद्धांत को अपनाया था (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **विशेष कार्यबल (Special Task Force):** इसके तहत केंद्र और राज्य बलों के अधीन **स्पेशल ऑपरेशन टीमें** गठित की गई हैं।
  - **आक्रामक रणनीति: ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंध** आदि।
- **विकासात्मक (Developmental):**
  - **विशेष अवसंरचना योजना (SIS)** जैसी कई योजनाओं के तहत राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया है।
  - **पुनर्वास: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र** स्थापित किए गए हैं।

LWE से निपटने के लिए आठ स्तंभ (SAMADHAN/ समाधान)

S	स्मार्ट लीडरशिप (Smart Leadership)
A	आक्रामक रणनीति(Aggressive Strategy)
M	प्रोत्साहन और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
A	कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस (Actionable Intelligence)
D	विकास कार्यों और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के लिए डैशबोर्ड (Dashboard-based Key Result Areas and Key Performance Indicators)
H	प्रौद्योगिकी का उपयोग (Harnessing Technology)
A	प्रत्येक थिएटर के लिए अलग कार्य योजना (Action Plan for Each Theatre)
N	वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को समाप्त करना (No access to Financing)

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- **भौगोलिक अवस्थितिः** माओवादी/ नक्सली सघन वन क्षेत्र का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए करते हैं– हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, खुद को छिपाना, गुरिल्ला युद्ध आदि।
- **सुरक्षा संबंधी चुनौतियांः** नक्सलियों तक हथियारों और गोला–बारूद की निर्बाध आपूर्ति, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा में एक गंभीर चुनौती पेश करता है (जैसे बिहार का मुंगेर जिला)।
- **वैचारिक अपीलः** वामपंथी उग्रवाद में संलिप्त समूहों ने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोगः** उदाहरण के लिए– माओवादी शहरी क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

आगे की राह

- **विश्वास हासिल करनाः** उदाहरण के लिए– 2021 में शांति मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के आदिवासियों ने भाग लिया था। इस शांति मार्च का मुख्य नारा 'बस्तर मांगे हिंसा से आजादी' था।
- **तकनीक का उपयोगः** भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाने एवं सुरक्षा बलों द्वारा हमले की योजना बनाने आदि के लिए किया जा सकता है।
- **केंद्र–राज्य में समन्वयः** दोनों को चरमपंथवाद से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही, दोनों को वामपंथी उग्रवाद से छुटकारा पाने के लिए अपनी–अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों और सफलता की कहानियों से सीखनाः** उदाहरण के लिए– आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

प्रारंभ: 11 अगस्त

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in Northeast)

पूर्वोत्तर में उग्रवादः एक नज़र में

पूर्वोत्तर में उग्रवाद के मुख्य कारण

- व्यापक पैमाने पर प्रवास या पड़ोसी जनजातियों के साथ नृजातीय प्रतिद्वंद्विता, जैसे– **मेइती और** नागा
- दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के चलते **असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं**, जैसे– **मणिपुर– म्यांमार**
- **खराब कनेक्टिविटी और सीमित बुनियादी ढांचा**, जैसे– मणिपुर में चिकित्सा पेशेवरों की कमी
- **प्रभावी गवर्नेंस एवं आर्थिक गतिविधियों का अभाव**
- **मुख्यधारा से अलगाव की भावना**

देश के लिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने का महत्त्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षाः** पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा का अधिकांश हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की है। इसमें विवादित क्षेत्र और नेबरहुड में अस्थिरता भी शामिल हैं।
- **सीमा–पार संबंधों को मजबूत करनाः** इस क्षेत्र की **भू–रणनीतिक अवस्थिति** के कारण यह दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।
- **आर्थिक महत्त्वः** समृद्ध प्राकृतिक संसाधन (जैसे– तेल और गैस, जल विद्युत की क्षमता, वन–आधारित उत्पाद), पर्यटन और निर्यात की क्षमता आदि।

पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने और समृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- **शांति समझौते या करारः NLFT** समझौता (त्रिपुरा), ब्रू शरणार्थी पुनर्वास समझौता, बोडो शांति समझौता और हालिया कार्बी आंगलोंग शांति समझौता।
- **पड़ोसी देशों के सहयोग से सीमाओं पर बाड़ लगाना,** उदाहरण के लिए– त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगभग 95 प्रतिशत भाग पर बाड़ लगाई गई है।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलें,** जैसे–
  - **उड़ान 4.0** (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत पूर्वोत्तर हवाई मार्गों को प्राथमिकता।
  - **मैत्री सेतु,** बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ त्रिपुरा में सबरूम को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर 1.9 कि.मी. का पुल का निर्माण।
  - **बोगीबील पुल** असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है।
- **भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के जरिए से 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत पूर्वोत्तर का विकासः**
  - **अगरतला–अखौरा रेल लिंक** त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है।
- इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करने के लिए हॉर्नबिल त्यौहार जैसे **स्थानीय उत्सवों का आयोजन।**
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम**

शांति और समृद्धि संबंधी पहलों के समक्ष चुनौतियां

- दुर्गम भू–भाग वाली **गैर–सीमांकित सीमाओं** की उपस्थिति, जैसे– मैकमोहन रेखा।
- **सीमित FDI अंतर्वाह और पूर्वोत्तर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता, जैसे– कुल विदेशी निवेश का लगभग 0.018%** (अक्टूबर 2019 से मार्च 2022)।
- **राज्यों के बीच सीमा विवाद,** जैसे– असम–मिजोरम सीमा विवाद।
- **नृजातीय संघर्ष,** जैसे– मणिपुर में मेईती समुदाय को एस.टी. सूची में शामिल करने को लेकर हुई हिंसा।

आगे की राह

- **सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर,** शेष भारतीयों और बाहरी लोगों में पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **आर्थिक स्तर पर,** खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन जैसे हल्के उद्योगों पर काम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर,** मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ शांति प्रयासों को जारी रखना।
- **राजनीतिक स्तर:** मूल रूप से 'संघर्ष समाधान प्रावधान' को बहाल करने के लिए **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971** में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

1.3. मणिपुर में हिंसा (Manipur Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई नृजातीय समुदाय और कुकी जनजातीय समुदाय के बीच हिंसक झड़पों की शुरुआत हुए एक वर्ष बीत चुका है।

मणिपुर की नृजातीय संरचना

- **मणिपुर में मान्यता प्राप्त 33 जनजातियां निवास करती हैं।** इन्हें या तो नागा जनजाति या कुकी जनजाति का हिस्सा माना जाता है।
  - कुकी, भारत के **पूर्वोत्तर राज्यों-** मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में **निवास करने वाला एक नृजातीय समुदाय** है।
  - कुकी **भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कई जनजातीय समुदायों में से एक** है।
- हालांकि, ये सभी **नृजातीय समूह एक ही मंगोलियाई समूह से उत्पन्न हुए हैं,** इसके बावजूद उनके बीच कई प्रकार के सामाजिक-राजनीतिक और भाषाई मतभेद मौजूद हैं।
- मणिपुर की कुल आबादी में **जनजातियों का हिस्सा लगभग 40% है और ये जनजातियां मुख्य तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहती हैं।**
- मणिपुर में मैतेई समुदाय की **आबादी 53% है और ये मुख्यतः इंफाल घाटी में रहते हैं।**

मणिपुर में हिंसा भड़कने के कारण

- **मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग:** नागा और कुकी समुदायों को डर है कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से उन्हें भूमि पर एकाधिकार मिल जाएगा, जिससे राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर उनका प्रभुत्व पहले से और मजबूत हो जाएगा।
  - मणिपुर की आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी लगभग 51 प्रतिशत है, लेकिन उनके पास राज्य की केवल 10 प्रतिशत जमीन है जो मुख्य रूप से इंफाल घाटी में स्थित है। दूसरी ओर, राज्य में कुकी और नागा की आबादी 40 प्रतिशत है तथा राज्य की 90 प्रतिशत जमीन उनके पास है।
- **म्यांमार में अस्थिरता:** 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद, लगभग 4,000 शरणार्थियों के मणिपुर में प्रवेश करने की खबर मीडिया में है।
- **अफीम की खेती का विस्तार:** म्यांमार से चिन समुदायों के अवैध तरीके से मणिपुर में आने के कारण राज्य में मादक पदार्थों का व्यापार बढ़ रहा है। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को अक्सर मणिपुर के कुकी लोगों से जोड़ा जाता है।
- **पृथक राज्य की मांग:** कुकी समुदाय अपने लिए पृथक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जबकि 'कुकी ज़ो' समुदाय पृथक प्रशासनिक क्षेत्र की मांग कर कर रहे हैं। इनका मानना है कि मैतेई-प्रभुत्व वाली सरकारों ने उनके क्षेत्रों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की उपेक्षा की है।
- **असमान प्रतिनिधित्व:** मणिपुर राज्य विधान सभा में नागा, कुकी और पहाड़ियों में रहने वाली अन्य जनजातीय आबादी के पास 19 सीटें हैं, जबकि मैतेई के पास 40 सीटें हैं।
- **असमान विकास:** बुनियादी ढांचे का विकास पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में इम्फाल घाटी में अधिक दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है।
  - वर्ष 2017 से 2020 के बीच इम्फाल घाटी के लिए कुल बजट आवंटन 21,481 करोड़ रुपये था, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केवल 419 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

© Vision IAS

उठाए गए कदम

- **इनर लाइन परमिट (ILP):** 2022 में, राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट को लागू करने हेतु **अवैध अप्रवासियों की पहचान करने** के लिए **1961 को आधार वर्ष** के रूप में अपनाया। गौरतलब है कि इनर लाइन परमिट से संबंधित प्रावधान दिसंबर, 2019 में किए गए थे और यह जनवरी, 2020 में लागू हुआ।
    - मणिपुर ILP **राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा डॉक्यूमेंट** है। यह परमिट किसी भारतीय नागरिक को राज्य के भीतर पूर्व-निर्धारित अवधि तक यात्रा करने की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है।
- **ऑपरेशन के निलंबन हेतु समझौता {Suspension of Operations (SoS) agreement}:** आपसी शत्रुता को समाप्त करने के लिए यह समझौता 2008 में भारत सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था।
- **शांति समझौते:** भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और विशेष रूप से मणिपुर में स्थिरता लाने के लिए **यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)** के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

आगे की राह

- **लोकुर समिति द्वारा निर्धारित पांच मानदंडों पर विचार करना चाहिए:** समिति ने अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए पांच मानदंड निर्धारित किए थे। ये मानदंड हैं- **आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक रूप से अलग-थलग रहना, व्यापक समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, और पिछड़ापन**।
- **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करना:** सरकार को मूल निवासियों की सुरक्षा और म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
- **सीमाओं का बेहतर प्रबंधन:** BSF और ITBP जैसे सीमा रक्षक बलों को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही, राज्य सरकार राज्य पुलिस बल की सहायता से रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित कर सकती है।
- **विधान सभा में आबादी का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** राज्य को पहाड़ी और घाटी में रहने वाले समुदायों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि नृजातीय भावनाओं के प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष शासन-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

1.4. अलगाववाद (Separatism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्री ने अलगाववाद और संगठित अपराध के बीच बढ़ती सांठगांठ पर नज़र बनाए रखने का सुझाव दिया।

अलगाववाद क्या है?

- सरल शब्दों में कहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना अलगाववाद है। कई बार इसमें एक अलग व स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण या मौजूदा राष्ट्र के साथ संबंधों को नए सिरे से निर्धारित करने की मांग भी की जाती है।
- देश के अलग-अलग राज्यों में कई क्षेत्रों/ समुदायों के बीच राष्ट्र के साथ संबंधों को फिर से तय करने की मांग उठती रही है। इस तरह की मांगों का स्वरूप और उन्हें पूरा करने के तरीके अलग-अलग हैं, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:

उग्रवाद	• **उदाहरण के लिए-** मध्य और पूर्वी भारत में वैचारिक विद्रोह या माओवाद या नक्सलवाद
अलग राज्य के लिए आंदोलन	• इसके तहत एक या एक से अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को मिलाकर **एक अलग राज्य बनाने की मांग** की जाती है।
स्वायत्तता के लिए आंदोलन	• इसके तहत किसी एक क्षेत्र या एक से अधिक क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त करने हेतु **लोगों की सामूहिक लामबंदी** की जाती है। • उदाहरण के लिए- बोडोलैंड, कार्बी और दिमासा (या दिमासा-कचारी) ने असम राज्य के भीतर स्वायत्तता प्राप्त कर ली है।
अलगाववादी आंदोलन (Secessionist movement)	• इसे पूरी तरह से अलगाव के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत अलगाववादी या एक क्षेत्र के लोग अपने देश से **अलग होकर एक संप्रभु देश की मांग करते हैं।** • उदाहरण के लिए - ग्रेटर नागालिम की मांग।

अलगाववादी आंदोलन और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत:** उदाहरण के लिए- मिजोरम में शांति बनाए रखने के लिए **मिजो समझौते पर हस्ताक्षर** करना।
- **सत्ता में भागीदारी:** कई बार क्षेत्रीय समूहों और दलों को सत्ता में भागीदारी दी गई है ताकि उनके सामूहिक विकास में उनकी भी हिस्सेदारी दिखे।
- **पिछड़े क्षेत्रों का विकास:** अपर्याप्त अवसंरचना तथा संसाधनों तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के संधारणीय विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया तथा कई योजनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)[1]।
- **संविधान का लचीलापन:** संविधान की छठी अनुसूची विभिन्न जनजातियों को स्वायत्त तरीके से उनकी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की अनुमति देती है।
- **बल प्रयोग:** क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए **यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम** जैसे समूहों के खिलाफ बल का प्रयोग भी किया जाता है।

1.5. अवैध प्रवासन (Illegal Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों

गुजरात का क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) भारतीयों को लेकर निकारागुआ जाने वाले विमान से संबंधित **संभावित अवैध आप्रवासन (Immigration) के मामले की जांच** कर रहा है। ज्ञातव्य है कि इस विमान को **फ्रांस** में जांच के लिए लैंड करवाया गया था।

अवैध प्रवास के कारण

- **आर्थिक कारक:** इन कारकों में गरीबी, आर्थिक अवसरों की कमी, आय में वृद्धि न होना आदि शामिल हैं। ये कारक किसी व्यक्ति या समूह को बेहतर आर्थिक अवसरों की प्राप्ति के लिए अपने गृह देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- **मानव तस्करी नेटवर्कों की उपस्थिति:** ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर 2023 तक, भारत में 2925 अवैध एजेंटों को अधिसूचित किया गया था, जो अवैध प्रवासन को बढ़ावा देते हैं।
- **राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न:** इसके कारण **तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों एवं अवैध आप्रवासियों** को भारत में शरण लेनी पड़ी है।
- **अधिक जनसंख्या:** इससे **आवासीय स्थान की कमी** जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - उदाहरणस्वरूप- **बांग्लादेश** जैसे देश में **उच्च जनसंख्या घनत्व** होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध आप्रवासन हुआ है।
- **प्राकृतिक आपदाएं:** उदाहरण के लिए- **बांग्लादेश** में बार-बार आने वाली बाढ़ और चक्रवात (जैसे- 2020 में चक्रवात अम्फान) लोगों को भारत की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं।
- **अन्य कारण:** अवैध प्रवासियों के संबंध में सटीक आंकड़ों का अभाव, छिद्रिल या खुली सीमाएं, ट्रैवल एजेंसियों का कड़ाई से विनियमन न करना तथा प्रभावी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव आदि।

अवैध प्रवासन के प्रभाव

- **आर्थिक शोषण: अवैध और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के पास कानूनी सुरक्षा का अभाव** होता है। इस कारण वे अनौपचारिक, अस्थायी या असुरक्षित नौकरियों और यहां तक कि बलात श्रम के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं, जैसे निर्माण क्षेत्रक।

[1] Aspirational District Programme

© Vision IAS

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** अवैध प्रवासी अपनी कठिन प्रवास यात्राओं (जैसे कि मध्य भूमध्य सागरीय मार्ग) के दौरान या गंतव्य स्थान पर कई अमानवीय स्थितियों या अपराधों के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं, उदाहरण के लिए- हमले, बलात्कार या जबरन वसूली जैसे अपराध।
- **हिरासत और निर्वासन का जोखिम:** उदाहरण के लिए- अवैध प्रवासियों हेतु बने **अमेरिका के हिरासत केंद्रों** पर अक्सर आरोप लगता रहता है कि वहां **रहने की स्थिति खराब है।** इससे बच्चों सहित बंदियों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है।
- **सामाजिक तनाव:** जैसे बांग्लादेश से अवैध आप्रवास के कारण असमिया पहचान पर खतरे ने असम में अलग-अलग सामाजिक-राजनीतिक तनावों को जन्म दिया है।
- **संगठित अपराधों को बढ़ावा:** अक्सर संगठित आपराधिक समूह प्रवासियों की सीमा-पार तस्करी में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर संगठित आपराधिक समूह सक्रिय हैं।

अवैध प्रवासन को रोकने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **'सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं' अभियान:** यह **विदेश मंत्रालय** की एक पहल है। इसका उद्देश्य रोजगार के लिए विदेश जाते समय सुरक्षित और वैध मार्गों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है।
- **प्रवासन और गमनागमन साझेदारी समझौते:** इस तरह के समझौतों का उद्देश्य वैध और व्यवस्थित प्रवासन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, पहचाने गए अवैध प्रवासियों की उनके देश में वापसी का आश्वासन देना और अनियमित प्रवासन को समाप्त करना है। ऐसा समझौता **फ्रांस** जैसे देशों के साथ किया गया है।
- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS),** यह सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार के लिए एक तकनीकी समाधान है।

वैश्विक पहलें

- **सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट: 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के संदर्भ में मानव तस्करी को रोकना, उससे निपटना और उसका उन्मूलन करना'** इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक है।
- **सीमा-पार संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC)** के तहत भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (INTERPOL/ इंटरपोल)** जैसे संगठन प्रवासियों की तस्करी के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में राष्ट्रीय पुलिस प्राधिकारियों के प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अवैध प्रवासन की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय है। इस कारण अवैध प्रवासन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डेटा लेन-देन, मानवाधिकारों की सुरक्षा आदि के लिए एक संस्थागत तंत्र आवश्यक हो जाता है।
- **मानव तस्करी से निपटना:** मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने व उनका उन्मूलन करने के लिए इंटरपोल के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेहतर समन्वय करना चाहिए।
- **स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता का विकास:** अवैध प्रवास का पता लगाने, उसे रोकने और सुभेद्य स्थितियों में प्रवासियों की सुरक्षा करने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए।
- **संगठित अपराध को रोकना:** इस परिप्रेक्ष्य में सीमा-पार संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) संगठित आपराधिक समूहों की भागीदारी को रोकने में सहायक हो सकता है।
- **शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करना।**

1.6. मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)** को समाप्त कर दिया है।

भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था

- इस व्यवस्था को 2018 में भारत की **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के हिस्से के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था।
- इस व्यवस्था के तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को **बिना वीज़ा के एक-दूसरे देश के अंदर 16 कि.मी. तक आने-जाने** की अनुमति है।
- **मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को निम्नलिखित कारणों से अपनाया गया था:**
  - **सीमा-पार मजबूत नृजातीय और पारिवारिक संबंध**।
  - इस क्षेत्र में सामान रीति-रिवाज और सीमाओं पर लगाने वाले बाजारों के माध्यम से सीमा-पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी कारण

- **अवैध-आप्रवासन:** म्यांमार से चिन लोगों के अनियंत्रित अवैध-आप्रवासन के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसांख्यिकीय बदलाव को बढ़ावा मिल रहा है।
- **नृजातीय हिंसा और उग्रवाद:** मैतेई समुदाय ने पिछले साल के तनाव के लिए **कुकी-चिन जनजातीय** समुदायों के कथित अवैध प्रवासन को जिम्मेदार बताया था।
- **म्यांमार से सैनिकों का प्रवेश:** मिजोरम में शरण की तलाश में जुंटा (सैन्य शासन) सैनिकों का भारत में पलायन हो रहा है। इसका भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC)**[2] की एक रिपोर्ट ने, जुंटा सरकार के तहत म्यांमार की राजनीतिक उथल-पुथल को आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि से संबंधित बताया था।

आगे की राह

- **सीमा प्रबंधन बेहतर करना:** केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा भी यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत एवं म्यांमार के बीच की सीमा प्रभावी ढंग से सुरक्षित व विनियमित रहे।
  - भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा के लिए या तो असम राइफल्स को सीमा की सुरक्षा का संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए या भारत-म्यांमार सीमा पर एक और सीमा सुरक्षा बल तैनात करके सीमा की सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए।
  - सीमा संबंधी अन्य अवसंरचनाओं के साथ-साथ **एकीकृत चेक पोस्ट्स (ICPs) के निर्माण** में तीव्रता लाने की जरूरत है।
- **कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा:** राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए म्यांमार के साथ भारत के संबंधों में कूटनीतिक सक्रियता निहित होनी चाहिए।
  - **क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों से होने वाले लाभों का मूल्यांकन** किया जाना चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** निर्णय लेने में जनजातीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

1.7. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम {Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को** 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

AFSPA के बारे में

- AFSPA सशस्त्र बलों को **"अशांत क्षेत्रों" में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार** प्रदान करता है।
  - सशस्त्र बल ऐसे अशांत क्षेत्रों में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी **व्यक्ति पर गोली तक चला सकते** हैं। वे **बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार** कर सकते हैं और किसी **परिसर की तलाशी** ले सकते हैं।

---
[2] UN Office on Drugs and Crime

© Vision IAS

- **अधिनियम के मुख्य पहलू:**
    - **अशांत क्षेत्र:** जब किसी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में अथवा इनके किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तब उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश अथवा उसके किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।
        - किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' राज्य के **राज्यपाल/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा** घोषित किया जाता है।
    - **सशस्त्र बल कर्मियों को उन्मुक्ति: केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना** उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
        - वर्ष 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि **सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच से छूट नहीं** दी जा सकती है।
    - **गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार:** सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को **बिना किसी विलंब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपने के लिए बाध्य** है।
    - **लागू होना:** असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से।

AFSPA से जुड़े मुद्दे

- **अधिकारों का उल्लंघन:** यह अधिनियम संविधान के कुछ अपरिवर्तनीय प्रावधानों[3] का उल्लंघन करता है। इनमें **जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मनमाने तरीके से स्वतंत्रता से वंचित किए जाने से सुरक्षित रहने का अधिकार** आदि शामिल है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन:** AFSPA का स्वरूप और इसका प्रवर्तन **निम्नलिखित का उल्लंघन करता है:**
    - **मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (UDHR)**[4],
    - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)[5], तथा
    - अत्याचार/ यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय[6]
- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। संबंधित राज्य हमेशा जमीनी/ स्थानीय स्तर पर **प्रत्यक्ष मूल्यांकन/ आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति** में होते हैं। हालांकि, AFSPA जैसे अधिनियम शांति के समय में भी राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं।
- **शक्तियों का दुरुपयोग:** ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां सशस्त्र बलों ने **अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का कथित रूप से दुरुपयोग** किया है।

अफस्पा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997) वाद:** इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय दिया था। इस निर्णय में इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए थे:
    - जैसे- किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना।
    - इस स्थिति की प्रत्येक 6 महीने पर राज्य द्वारा समीक्षा करना आदि
- **एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2016):** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट** का कोई प्रावधान नहीं है।

AFSPA से संबंधित विभिन्न समितियां

- **न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** इसने AFSPA को घृणा और उत्पीड़न का प्रतीक बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की।
    - गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में AFSPA को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट (2007):** इसमें **AFSPA को हटाने** की सिफारिश की गई, क्योंकि इसके हटाए जाने से पूर्वोत्तर के लोगों में भेदभाव और अलगाव की भावना दूर होने की संभावना है।
- **संतोष हेगड़े समिति (2013):** 1979 से मणिपुर में मुठभेड़ में हुई हत्याओं की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति।

[3] Non-derogable provisions

[4] Universal Declaration of Human Rights

[5] International Covenant on Civil and Political Rights

[6] Convention against Torture

आगे की राह

- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** सरकार और सुरक्षा बलों को सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न समितियों द्वारा निर्धारित **दिशा-निर्देशों का पालन करना** सुनिश्चित करना होगा।
- **संवाद और सहभागिता:** सरकार प्रभावित समुदायों के साथ संवाद कर सकती है और उनकी शिकायतों को दूर करने की दिशा में काम कर सकती है।
  - इससे राज्य एवं नागरिकों के बीच विश्वास और भरोसा कायम करने में मदद मिल सकती है।
- **हिंसा की घटनाओं के आधार पर सीमित क्षेत्रों में AFSPA लागू करना:** सरकार को मामले-दर-मामले के आधार पर AFSPA को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिए तथा इसे पूरे राज्य में लागू करने के बजाय केवल कुछ अशांत जिलों तक ही सीमित रखना चाहिए।
- **वैकल्पिक दृष्टिकोण:** सरकार संघर्ष समाधान के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर सकती है, जैसे- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, संघर्ष के मूल कारणों का समाधान करना आदि।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यर्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यर्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे (Threats to Internal Security)

2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा (Technology and Internal Security)

2.1.1. सोशल मीडिया का दुरुपयोग (Misuse of Social Media)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विचाराधीन मामलों के संबंध में तथ्यात्मक रूप से **गलत और निराधार बयानों को पोस्ट एवं प्रसारित किए जाने पर चिंता** जताई है।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग के कारण

- **इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि** (मार्च 2023 तक 880 मिलियन से अधिक, ट्राई)।
- **एआई, डीपफेक आदि** के कारण **गुमनाम** पोस्ट प्रसारित करने का चलन।
- कानून में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्पष्ट जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी जैसे कानून में अस्पष्टता।**
- **शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र** का अभाव है।

सोशल मीडिया दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभाव:

- **पक्षपाती धारणा बनाना और ट्रोलिंग:** अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर।
- **मानहानि और निजता का हनन (जैसे- रिवेंज पोर्न)।**
- **सामाजिक वैमनस्य,** हिंसा भड़काना, आदि।
- **न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास**
  - जन-भावनाओं की आड़ में सोशल मीडिया के जरिए न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है।
- **वित्तीय धोखाधड़ी:** वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले वर्ष के 84,000 के मुकाबले 2022-2023 में UPI धोखाधड़ी के मामले बढ़कर 95,000 हो गए।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** लागू किए गए हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम, 2000** की **धारा 67** के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में **अश्लील सामग्री** के प्रसारण को अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत **PIB-फैक्ट चेक यूनिट** का गठन किया गया है।
  - सरकार ने एडवाइजरी जारी कर **मध्यवर्तियों के लिए प्रतिबंधित कंटेंट के बारे में यूजर्स को बताना** अनिवार्य कर दिया है।

आगे की राह

- डीपफेक की पहचान करने वाली तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए **अनुसंधान एवं विकास में निवेश** बढ़ाया जाना चाहिए
- सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए **सरकार, IT कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने** की आवश्यकता है।

2.1.2. ऑनलाइन कट्टरतावाद (Online Radicalisation)

ऑनलाइन कट्टरतावादः एक नज़र में

- डिजिटल क्रांति और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच ने **आतंकवादियों तथा चरमपंथी समूहों को अपने संदेशों के प्रचार–प्रसार के लिए नए रास्ते उपलब्ध कराए** हैं।
- **चरमपंथी समूह युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं** और अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए समर्थन मांगते हैं।

ऑनलाइन कट्टरतावाद के लिए जिम्मेदार कारक

- **प्रतिकर्ष कारक (Push Factor)**
  - **आर्थिक कारकः** जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी, आदि। वर्ष 2022 में, कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी (इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024)।
  - **सामाजिक–धार्मिक कारकः** नृजातीय या धार्मिक हाशियाकरण, अलगाव की भावना।
- **अपकर्ष कारक (Pull Factor):**
  - **आर्थिक कारकः** समूह द्वारा प्रदान किया गया आर्थिक प्रोत्साहन।
  - हिंसक कट्टरपंथी समूह धार्मिक विचारधाराओं को **विकृत** करते हैं।
  - **संकट का लाभ उठानाः** उदाहरण के लिए– हालिया इजरायल–गाजा संघर्ष।
  - **राजनीतिक संलग्नता के लिए वैकल्पिक संगठनों / समूहों के आदर्श,** रोमांच की भावना आदि।

कट्टरतावाद के प्रसार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका

- दुष्प्रचार और गलत सूचना फैलाने के लिए सोशल मीडिया एक **इको चैंबर** का काम करता है
- **आतंकवाद के लिए धन जुटाने** के अभियान को सक्षम बनाता है
- मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के लिए डेटा संग्रह का उपयोग करके **माइक्रो–टारगेटिंग**
- मानव तस्करी, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे **संगठित अपराध**
- **वित्तीय धोखाधड़ी** जैसे साइबर अपराध

ऑनलाइन कट्टरतावाद को रोकने में आने वाली मुख्य चुनौतियां

- **इंटरनेट की बढ़ती पैठ के कारण ऑनलाइन कट्टरतावाद** की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
- डार्क वेब जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स संचार के लिए एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करते हैं।
- कट्टरपंथी विचारधाराओं को पहुंचाने के लिए **गेमीफिकेशन तकनीकों** का भी उपयोग किया जा रहा है।
- **कट्टरपंथ, आतंकवाद आदि के लिए मानक परिभाषा** का अभाव।
- **देशों द्वारा समर्थनः** उदाहरण के लिए– हूती को ईरान का समर्थन प्राप्त होना। ज्ञातव्य है कि हूती, यमन में एक विद्रोही समूह है।

ऑनलाइन कट्टरतावाद को रोकने के लिए आरंभ की गई मुख्य पहलें

- वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:
  - **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद–रोधी रणनीति।**
  - **यूरोपीय संघ का डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA):** इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवैध और हानिकारक गतिविधियों को रोकना है।
  - **ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (GIFCT):** यह एक गैर–सरकारी संगठन है। इसे **मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और एक्स (X)** ने 2017 में स्थापित किया था।
  - **टेक अगेंस्ट टेररिज्म:** यह प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकारों और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद–रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय (CTED) के बीच एक साझेदारी पहल है।
- भारत में शुरू की गई पहलें:
  - गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई पहलें: सही रास्ता कार्यक्रम; ऑपरेशन सद्भावना (SADBHAVANA)

आगे की राह:

- भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने वाले **लक्षित काउंटर–नैरेटिव अभियान चलाना और इको चेंबर को बाधित** करना।
- **कंटेंट मॉडरेशन और फैक्ट–चेकिंग** को लागू करना।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के बीच **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।**
- **साइबर सुरक्षा को मजबूत करना** और आभासी एवं क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित करना।

2.1.3. वर्चुअल परिसंपत्तियां और आतंकवाद का वित्त-पोषण (Virtual Assets and Terror Financing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने वर्चुअल एसेट्स और **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)** पर अपने मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की है।

वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के बारे में

- **वर्चुअल एसेट्स** यानी क्रिप्टो एसेट्स वास्तव में ऐसे **मूल्य (वैल्यू) का डिजिटल रूप** है, जिनका **डिजिटल रूप से व्यापार, अंतरण या भुगतान** के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम या डॉजकॉइन।
- **वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर (VASP)** वर्चुअल एसेट्स या फिएट मुद्राओं के बीच विनिमय सेवाएं प्रदान करना; वर्चुअल एसेट्स के बीच अंतरण करना आदि।
- VASPs में **क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ATM ऑपरेटर, वॉलेट कस्टोडियन और हेज फंड** जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं।

आतंकवाद के वित्त-पोषण में वर्चुअल एसेट्स के उपयोग के लिए जिम्मेदार कारण

- **अनामिता (Anonymity):** वर्चुअल एसेट्स को अनामिता और पीयर-टू-पीयर ऑनलाइन लेन-देन के विकेंद्रीकरण के कारण **उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियां** माना जाता है। ऐसे में अपराधी VPNs का उपयोग कर वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन के लोकेशन और मूल/ गंतव्य को छुपा सकते हैं।
- **वैश्विक मानक विनियमों की अनुपस्थिति:** एक देश में स्थित VASPs अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य देश में स्थित ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं। अतः दूसरे देश में वे **एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण रोधी (AML/CFT)**[7] अलग-अलग कानूनों के दायरे में आ सकते हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एक वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क की कमी को उजागर किया है।

[7] Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

- **वर्चुअल एसेट्स के साथ क्राउडफंडिंग:** आतंकवादी समूह क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वैश्विक स्तर पर धन जुटाने का कार्य करते हैं। साथ ही गुमनाम और सीमा रहित (Borderless) लेन-देन के लिए वर्चुअल एसेट्स का उपयोग करते हैं।

वर्चुअल एसेट्स के लिए FATF मानक

देशों के लिए	वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के लिए
यह आवश्यक है कि: • वे वर्चुअल एसेट्स सेक्टर के मामले में **मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त-पोषण** से जुड़े खतरों को समझें; • VASPs को **लाइसेंस या पंजीकरण** प्रदान करें; • इस **क्षेत्रक की निगरानी** भी वैसे ही करें, जिस तरह वे अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी करते हैं।	**यह आवश्यक है कि:** • वे भी ऐसे **निवारक उपाय लागू करें** जैसा कि अन्य **वित्तीय संस्थान** लागू करते हैं। इनमें किसी ग्राहक के बारे में पूरी सावधानी बरतना, रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग शामिल है। • एसेट्स का अंतरण या ट्रांसफर करते समय वे **एसेट्स के स्रोत और अंतरण प्राप्त करने वाले लाभार्थी के बारे में जानकारी** प्राप्त करें, उसका रिकॉर्ड रखें और सुरक्षित लेन-देन को बढ़ावा दें।

भारत में वर्चुअल एसेट्स और VASPs का विनियमन

- **धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) का अनुपालन करना:** मार्च 2023 में, भारत ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (VDASPs) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[8], 2002 के प्रावधानों के तहत धन-शोधन रोधी (AML) और आतंकवाद के वित्त-पोषण-रोधी (CFT) विनियमों के अधीन कर दिया था।
- **फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU-IND) में पंजीकरण कराना:** VDASPs को FIU-IND में पंजीकरण कराना तथा रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-रखने के कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य है।
- **स्थायी सचिवालय:** भारत ने आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने के लिए समन्वय हेतु एक स्थायी सचिवालय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- **VASPs के लिए 'ट्रेवल रूल्स':** भारत ने **VASPs के लिए 'ट्रेवल रूल्स'** को लागू किया है। ट्रेवल रूल्स के तहत VASPs को वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन से जुड़े पक्षकारों की जानकारी को एकत्रित करना एवं साझा करना अनिवार्य है।

आगे की राह

- **FATF मानकों का प्रभावी वैश्विक कार्यान्वयन:** इससे वैश्विक स्तर पर वर्चुअल एसेट्स के विनियम के मामले में एक समान मानक लागू होंगे, जिसके चलते अपराधियों के लिए किसी देश में वर्चुअल एसेट्स से जुड़े कमजोर विनियम का फायदा उठाने को विकल्प नहीं रह जाएगा।
- **वित्तीय संस्थानों द्वारा निवारक उपाय: कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD), रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग (Suspicious transaction reporting: STR)** जैसे निवारक उपायों के माध्यम से वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्चुअल एसेट्स के लेन-देन की **पारदर्शिता सुनिश्चित** की जा सकती है।
- **वित्तीय खुफिया जानकारी को मजबूत करना:** सटीक और अच्छी तरह से संबद्ध वित्तीय खुफिया जानकारी (निजी क्षेत्र से भी प्राप्त) आतंकवादी समूहों की संरचना और एकल आतंकवादियों की गतिविधियों को भी उजागर कर सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ऐसी सीमा-पार चुनौतियों से निपटने के लिए **कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के बीच सहयोग और वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्रक** की भागीदारी आवश्यक है।
- **तकनीकी अपग्रेडेशन:** उभरती प्रौद्योगिकियों से बढ़ते मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से निपटने के लिए **बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** जैसे उन्नत उपायों की आवश्यकता है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने "क्राउडफंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **आतंकवादी संगठन** अपनी आतंकी गतिविधियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए **क्राउडफंडिंग का सहारा** ले रहे हैं।
- **क्राउडफंडिंग के लिए आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जा रहे तरीके:**
  - **मानवतावादी, धर्मार्थ और गैर-लाभकारी संगठनों की आड़ में,**
  - **समर्पित क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स:** इस कारण से अवैध गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स:** इनकी मदद से चरमपंथी अपने संदेशों को प्रसारित कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को धन जुटाने के लिए बाध्य/ प्रेरित कर सकते हैं।

[8] Prevention of Money Laundering Act

- **आभासी परिसंपत्तियों (Virtual Assets) के साथ क्राउडफंडिंग की परस्पर संबद्धता:** आभासी परिसंपत्तियों का उपयोग कर **आतंकवाद के वित्त-पोषण से जुड़े फंड्स के स्रोत और गंतव्य को छिपाया** जा सकता है।
- रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें
  - क्राउडफंडिंग को **राष्ट्रीय जोखिम आकलन** में शामिल करना चाहिए।
  - **क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह** बनाना चाहिए।
  - **आतंकवाद के वित्त-पोषण, गैर-लाभकारी संगठनों** आदि से संबंधित FATF मानकों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

2.2. डेटा संरक्षण (Data Protection)

डेटा संरक्षण: एक नज़र में

- **डेटा** अप्रसंस्कृत तथ्यों और आंकड़ों को संदर्भित करता है जो **'व्यक्तिगत' या 'गैर–व्यक्तिगत'** हो सकता है।
- **व्यक्तिगत डेटा** में किसी व्यक्ति की पहचान करने वाली विशेषताओं, लक्षणों या जानकारी से संबंधित डेटा शामिल होता है। व्यक्तिगत डेटा के अलावा कोई अन्य डेटा **गैर–व्यक्तिगत डेटा** होता है।

डेटा उपयोग की प्रासंगिकता

- ओपन गवर्नमेंट डेटा के माध्यम से **राजनीतिक जवाबदेही हेतु।**
- प्रोसेस्ड डेटा (जैसे UIDAI) के माध्यम से **कुशल प्रशासन हेतु।**
- वास्तविक समय में निगरानी से **भ्रष्टाचार में कमी।**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** एकीकृत खुफिया डेटाबेस और डी.एन.ए. डेटा बैंक के लिए **NATGRID हेतु।**

डेटा संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण रखने के अधिकार के लिए, जो **निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21)** के अंतर्गत आता है।
- **डिजिटल अवसंरचना में तीव्र वृद्धि के चलते:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इंटरनेट तक सस्ती पहुंच और तेजी से तकनीकी प्रगति।
- **डेटा चोरी को रोकने, डेटा की हानि को रोकने, अनावश्यक मुकदमेबाजी संबंधी लागत और अनुपालन जुर्माना में कटौती करने के लिए।**

डेटा संरक्षण में चुनौतियां

- **साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,** क्योंकि भारत 2023 में डेटा की चोरी के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर था।
- **तकनीकी–उपनिवेशवाद से जुड़े मुद्दे,** क्योंकि भारत का 80% से अधिक डेटा वैश्विक डेटा केंद्रों में संसाधित और संग्रहित किया जाता है।
- डेटा गवर्नेंस के संबंध में **वित्त–पोषण और नवाचार सीमित हैं।**

डेटा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति।**
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023**
- **सात सिद्धांत:** सहमति, वैधता, पारदर्शी और व्यक्तिगत डेटा का न्यूनतम संग्रह और उपयोग, आदि।
- **कहाँ लागू:** भारत के भीतर और भारत के बाहर।
- **सहमति:** वैध कारणों से आवश्यक नहीं है।
- **गवर्नेंस: भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)**
- **डेटा फिड्युशियरी (कंपनियों) के दायित्व:** डेटा की सटीकता, सुरक्षा उपाय करना, व्यक्तिगत डेटा को हटाना।

आगे की राह

- **व्यक्तिगत डेटा सेट का अनामीकरण**: छद्मनामीकरण/ पहचान हटाने जैसी तकनीकों के माध्यम से, जैसे डेटा मास्किंग।
- **समय निर्धारित करना**: उद्देश्य पूरा होने या डेटा प्रिंसिपल द्वारा सहमति वापस लेने के बाद डेटा को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।
- **डेटा अधिकार**: डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और राइट टू फॉरगेट प्रदान किया जाना चाहिए।
- **सीमा–पार डेटा गवर्नेंस**: GDPR जैसे तंत्र की आवश्यकता है। GDPR केवल संरक्षण संबंधी पर्याप्त उपायों के साथ सीमा पार डेटा स्थानांतरण की अनुमति देता है।
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए रोल–बेस्ड एक्सेस कंट्रोल (RBAC) जैसे संरक्षण उपायों को अपनाना।

2.3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

साइबर सुरक्षाः एक नज़र में

साइबर सुरक्षा के बारे में

- **विश्व साइबर अपराध सूचकांक (2024) में भारत** प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में **10वें स्थान** पर है।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

- इंटरनेट उपयोग करने वाले लोगों की संख्या के मामले में **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश।**
- **रणनीतिक महत्त्वः** संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा का भंडारण।
- **हथियार के रूप में इंटरनेट का बढ़ता उपयोगः** इसमें आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ का प्रचार करना आदि शामिल हैं।
- **डिजिटल इंडिया पहल, स्टार्ट–अप डिजिटल पुश और रेलवे** जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के निर्बाध संचालन के संरक्षण हेतु।
- IPR **की चोरी, 'सेवा प्रदान करने से इनकार' जैसी साइबर घटनाएं** युद्ध के मैदान में परिणाम बदल सकती हैं।
- **ताज होटल में डेटा उल्लंघन जैसी घटनाओं के कारण साइबर रेसिलिएंस की आवश्यकता।**
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी **उन्नत तकनीक की बढ़ती भूमिका।**

साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र

- विधायी उपाय
    - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और 2008 का संशोधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021ः** साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान, साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है।
    - **साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत (2024)ः** इसमें साइबरस्पेस संचालन के सैन्य पहलुओं पर जोर दिया गया है।
    - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013ः** 24X7 कार्य करने वाले राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र।
- संस्थागत उपाय
    - **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC)**
    - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)**
    - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)**
    - **भारतीय साइबर–अपराध समन्वय केंद्र (I4C)**
    - **साइबर स्वच्छता केंद्र (CSK)**

साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां

- **भौगोलिक सीमा (या साइबर अपराधियों)** का पता लगा पाना एक कठिन कार्य है, जबकि **साइबर हमलावर दुनिया के किसी भी कोने से हमला करते हैं।**
- **तेजी से विकसित हो रही नई–नई प्रौद्योगिकियां।**
- **साइबर सुरक्षा के लिए सिंगापुर मॉडल** (डेटा सुरक्षा अनिवार्य दिशानिर्देश) जैसी **राष्ट्रीय स्तर की व्यापक संरचना का अभाव**
- **स्थानीय पुलिस** को साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में **जानकारी का अभाव है।**
- **डेटा–उपनिवेशवादः** किसी अन्य देश में स्थित डेटा सेंटर में डेटा स्टोर रहने पर, यदि उस देश पर कोई हमला होता है तो नागरिकों की संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह

- बैंकिंग, दूरसंचार और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना साझाकरण और समन्वय के लिए सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र (ISACs) की स्थापना करना।
- वित्तीय कमियों को पूरा करने और क्षमता निर्माण को सुगम बनाने हेतु **साइबर सुरक्षा के लिए PPP मॉडल।**
- यू.एस.ए. के **तेलिन मैनुअल 2.0** (जो साइबर घटनाओं को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर आधारित है) जैसे **सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना।**
- **साइबर लैब को अपग्रेड करना (उदाहरण के लिए, दिल्ली की CyPAD पहल)**
- **न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट** के अनुसार, बेहतर साइबर सुरक्षा हेतु डेटा का स्थानीयकरण करना।

2.3.1. साइबर खतरे और वित्तीय क्षेत्रक (Cyber Threats and Financial Sectors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी **वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट[9], 2024** में चेतावनी दी गई है कि साइबर खतरा व्यापक वित्तीय स्थिरता के समक्ष एक बढ़ता हुआ जोखिम है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कुल साइबर हमलों का लगभग **20% वित्तीय कंपनियों को झेलना** पड़ता है। **बैंक** इन हमलों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
- कोविड-19 महामारी के बाद से **साइबर हमलों की संख्या लगभग दोगुनी** हो गई है।

वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में

- वित्तीय धोखाधड़ी जानबूझकर किया गया एक अपराध है जिसमें धोखेबाज़ लोगों को धोखा देने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, छुपाते हैं या छोड़ देते हैं। उदाहरण: डेबिट/ क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, चेक धोखाधड़ी, बीमा धोखाधड़ी, आदि।
- फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में होने वाले **साइबर अपराध में से 75% वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे** (जनवरी 2020-जून 2023 तक)।

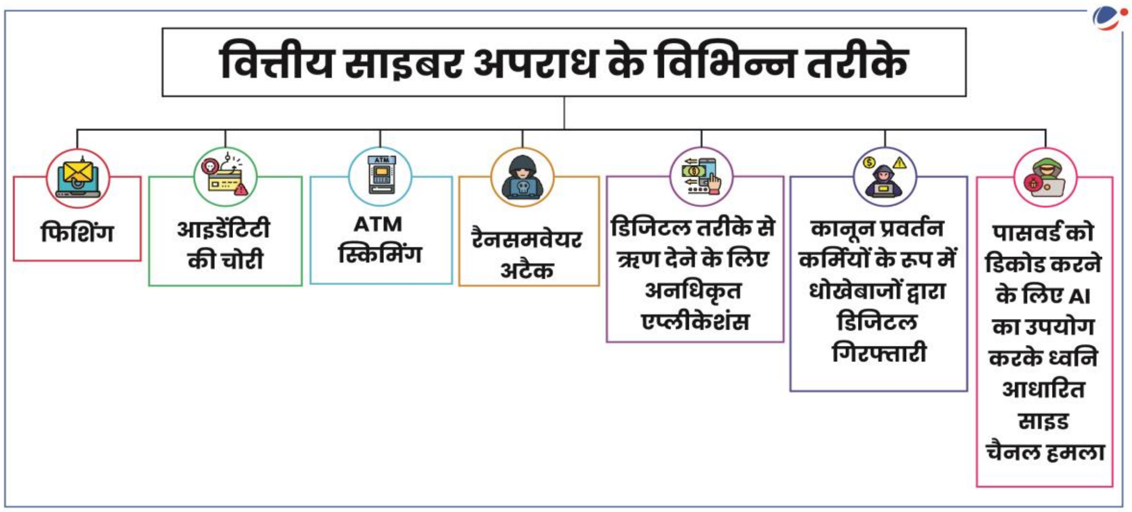

- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS)[10] के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 11 लाख मामले दर्ज किए गए।

साइबर हमलों में वृद्धि के कारण

- **वित्तीय साक्षरता की कमी** के साथ-साथ **फिनटेक कंपनियों का तेजी से डिजिटल परिवर्तन और विकास।**
- वित्तीय डेटा को कैप्चर करने की क्षमता वाले **धोखाधड़ी वाले ऐप्स** का तेजी से बढ़ना।

---

[9] Global Financial Stability Report

[10] Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System

- सुभेद्य उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए **डार्क पैटर्न** का उपयोग।
- बैंकिंग क्षेत्रक द्वारा **कम विनियामकीय अनुपालन**।
- **त्वरित कार्रवाई और पता लगाने की कमी** व्यक्तियों को इन अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करती है।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि:** उदाहरण के लिए- रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद साइबर हमलों में बढ़ोतरी हुई है।

वित्तीय प्रणालियों पर साइबर खतरों के प्रभाव

- वित्तीय संस्थानों की **परिचालन लचीलापन** के लिए खतरा और मैक्रो-वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव।
- **साइबर रन** (बैंकिंग प्रणाली पर साइबर हमले के कारण लोग शीघ्रता से उस बैंक में जमा अपनी धनराशि निकालने लगते हैं)।
- केंद्रीय बैंक की हैकिंग से **व्यापार में रुकावट और मूल्य अस्थिरता हो सकती है।**
- **ये सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।** ऐसा इस कारण, क्योंकि ये **सरकारी ऋण के प्रबंधन को बाधित कर सकते हैं और संप्रभु जोखिम को उत्पन्न** कर सकते हैं।
- **आर्थिक हानि; प्रतिष्ठा को नुकसान और साइबर सुरक्षा में निवेश में वृद्धि के कारण क्रेडिट एवं बाजार को नुकसान हो सकता है।**
- डेटा और उसके सिस्टम्स के नुकसान या उनके समक्ष जोखिम उत्पन्न होने के कारण **डेटा इंटेग्रिटी** से संबंधित मुद्दे भी पैदा होते हैं। ये मुद्दे डेटा गोपनीयता की समस्या को बढ़ाते हैं।

वित्तीय प्रणालियों पर साइबर खतरों से निपटने में मौजूद चुनौतियां

- वित्तीय संस्थाओं द्वारा **बेहतर तरीके से साइबर सुरक्षा ऑडिट न करना।**
- RBI और SEBI जैसे विनियामकों के बीच **बेहतर तालमेल का अभाव।**
- **पर्याप्त संसाधनों का उपलब्ध न होना,** जैसे- साइबर विशेषज्ञों की कमी, सीमित वित्तीय संसाधन आदि साइबर धोखाधड़ी से निपटने में एक प्रमुख बाधा है।
- **नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां,** जैसे- AI और क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक साइबर जोखिमों को और बढ़ाती हैं।
- वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए **समर्पित कानूनों या समर्पित न्यायालयों का अभाव।**
- कई बार **अपराध की प्रकृति के दूरस्थ और सीमा पार होने के कारण जांच में बाधा उत्पन्न होती है,** उदाहरण के लिए- म्यूल अकाउंट का उपयोग।
- **कम डिजिटल और वित्तीय साक्षरता** (भारत की केवल 27% आबादी वित्तीय रूप से साक्षर है, NCFE रिपोर्ट 2022-23)।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय स्तर के साइबर कानून को लागू करना** चाहिए
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच **बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करना**।
- **कंपनियों की साइबर हाइजीन** में सुधार करना।
- **नियमित साइबर ऑडिटिंग** सुनिश्चित करना।
- **RBI के द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (DIGITA)** की स्थापना करना, ताकि डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन एवं सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर मेंटेन किया जा सके।

2.4. महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure: CII)

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII): एक नज़र में

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के बारे में

- CII का आशय ऐसी **आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से है**, जिनके बाधित या नष्ट हो जाने की स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए– **बांध, विद्युत, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं,** परिवहन आदि।
- सरकार **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 70 के तहत CII** की घोषणा करती है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे

- **प्राकृतिक**: जैसे– 2011 में भूकंप और उसके बाद आयी सुनामी ने जापान में फुकुशिमा–दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन को नुकसान पहुंचाया था।
- **मानवीय–कारण**: उदाहरण के लिए– रेडइको कैंपेन जिसके कारण मुंबई में विद्युत् आपूर्ति में बाधा देखने को मिली थी।
- **दुर्घटना या तकनीक जनित खतरे**: उदाहरण के लिए – भोपाल गैस त्रासदी।

महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा में चुनौतियां

- **भारत में हार्डवेयर के साथ–साथ सॉफ्टवेयर उपकरणों में स्वदेशीकरण की कमी है,** जैसे– एडवांसड फ़ायरवॉल, क्लाउड सेफ्टी आदि।
- अपनी प्रणाली की कमियों / सुभेद्यताओं के बारे **में सूचना साझा करने को लेकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक में संकोच।**
- कई **संगठनों के पास** अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए **पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवर नहीं हैं**। उदाहरण के लिए, 70-75% भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिक संख्या में साइबर सुरक्षा पेशेवरों को नियुक्त करना चाहती हैं।

भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **विधायी उपाय**
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, 2020
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- **संस्थागत उपाय**
  - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)
  - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)
  - राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC)
  - रक्षा साइबर एजेंसी
  - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)

आगे की राह

- सुरक्षा के भौतिक, कानूनी, साइबर और मानवीय आयामों के समाधान हेतु एक **व्यापक सुरक्षा नीति** विकसित करने की आवश्यकता है।
- CII पर साइबर हमलों का निष्पक्ष विश्लेषण और विश्वसनीय रिपोर्टिंग करने के लिए **स्वायत्त भारतीय संगठनों की आवश्यकता है।**
- नई पद्यतियों का उपयोग करने की आवश्यकता है, जैसे– **साइबर किल चेन**, जो साइबर हमलों के स्तरों का पता लगाता है।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना के मध्य परस्पर निर्भरताओं के साथ–साथ **प्रणाली की कमजोरियों की बेहतर समझ की आवश्यकता है।**
- **राज्य और कॉर्पोरेट क्षेत्रक के मध्य व्यापक सहयोग और एक कार्यात्मक साझेदारी।**
- ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलिएंस स्ट्रेटेजी के अनुरूप CII की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है।

© Vision IAS

2.5. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा (Geospatial Data and National Security)

भू–स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षाः एक नज़र में

भू–स्थानिक डेटा के बारे में

- भू–स्थानिक डेटा वह जानकारी है जो पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट स्थित विशिष्ट स्थानों, वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करती है।
- भू–स्थानिक डेटा को फोटोग्रामेट्री, **LIDAR और RADAR**, **उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग** आदि का उपयोग करके कैप्चर किया जाता है।
- **भू–स्थानिक डेटा में 3 प्रकार की सूचनाएं शामिल होती हैं:**
  - **भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित सूचनाएं**– आमतौर पर पृथ्वी पर स्थित किसी जगह/ स्थान की अवस्थिति
  - **विशिष्ट सूचनाएं**– किसी वस्तु, घटना या संबंधित परिघटना से जुड़ी विशेषताएं, और
  - **सामयिक (Temporal) सूचनाएं**– एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताओं से जुड़ी जानकारी।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में भू–स्थानिक डेटा का महत्त्व

इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही **गतिविधियों की सटीकता तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने में।**	**स्थितिजन्य सूचनाओं को बेहतर बनाने में।** जैसे खोज और बचाव कार्यों के लिए UAV	लॉजिस्टिक प्रबंधन, सामरिक योजनाओं को विकसित करने आदि के रूप में **सैन्य अभियानों को समर्थन प्रदान करने में।**	साइबर हमले, हाइब्रिड युद्ध जैसे नए और उभरते हुए खतरों से निपटने में।	**सैन्य अभियानों के आधुनिकीकरण में: जैसे– अपराधों का पूर्वानुमान लगाना और सटीक रूप से निर्देशित युद्ध सामग्री का विकास करना आदि।**	**भारत की समुद्री क्षमताओं को बेहतर करके विशाल हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।**	**प्रगतिशील रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बनाना:** उदाहरण के लिए– USA के साथ BECA साझेदारी।

भू–स्थानिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयास

- **नीतिगत ढांचा:** भू–स्थानिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए **राष्ट्रीय भू–स्थानिक नीति, 2022** तथा भौगोलिक सूचना को विनियमित करने के लिए **राष्ट्रीय मानचित्र नीति**।
- भू–अवलोकन उपग्रहों के समूह को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, जैसे कि EOS-07 को 2023 में लॉन्च किया गया।
- कुछ समर्पित संस्थानों का भी गठन किया गया है, जैसे– **भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान** आदि।
- राष्ट्रीय स्थानिक डेटा अवसंरचना, भारत–**मैप्स प्लेटफॉर्म और भुवन पोर्टल जैसी पहलों की शुरुआत की गई है।**
- **भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली** "NAVIC" (नेविशगेशन विद इंडियन कॉन्सटिलेशन)।
- **PM गति शक्ति और स्वामित्व (SVAMITVA)** जैसी पहलों के तहत भू–स्थानिक डेटा को एकत्र किया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भू-स्थानिक डेटा के उपयोग में आने वाली चुनौतियां

- **डेटा से जानकारी निकालने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता का अभाव;** उत्कृष्ट रिज़ॉल्यूशन डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी आदि तक पहुंच का अभाव।
- **अनुसंधान परिणामों की स्टैंडअलोन प्रवृत्ति और इनको लेकर सर्वसम्मति का अभाव होना।**
- भू-स्थानिक एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को अपनाने एवं उभरते और प्रयोगात्मक क्षेत्रों से संबंधित तकनीकों को अपनाने तथा उसके उन्नयन के समक्ष वित्तीय बाधाएं।
- भारत के सुभेद्य डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के मद्देनजर **भू-स्थानिक डेटा के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने में मौजूद बाधाओं का होना।**
- डेटा साझाकरण पर स्पष्टता के अभाव और शासन के निचले स्तरों पर आपसी सहयोग के अभाव की स्थिति।
- भारत में लोकेशनल प्राइवेसी और गोपनीयता की कमी के कारण **निजता संबंधी चिंता।**

आगे की राह

- सरकार द्वारा शिक्षा जगत और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ाकर भू-स्थानिक क्षेत्रक में सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए।
- राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की सहायता से महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा को मजबूत करना।
- स्थानिक अवधारणाओं, मैप रीडिंग और GPS के उपयोग से संबंधित शिक्षा तथा उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों की व्याख्या के लिए 'मैपिंग द नेबरहुड' जैसे स्कूल प्रोजेक्ट्स को संस्थागत बनाना।
- भू-सूचना विज्ञान, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- राज्य पुलिस, सुरक्षा और खुफिया ब्यूरो जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाना चाहिए।
- भू-स्थानिक डेटा के बेहतर तरीके से उपयोग के लिए एक समर्पित विभाग का गठन किया जाना चाहिए।

2.6. मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी (Money Laundering and Smuggling)

2.6.1. मनी लॉन्ड्रिंग या धन-शोधन (Money Laundering)

मनी लॉन्ड्रिंग या धन–शोधन: एक नज़र में

मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में

- मनी लॉन्ड्रिंग वस्तुतः **अवैध रूप से प्राप्त आय (यानी काले धन) को वैध (यानी सफेद) बनाने की प्रक्रिया है।**

मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा चक्र

मनी लॉन्ड्रिंग के परिणाम

- **इससे कर राजस्व की हानि** होती है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कर दुरुपयोग और निजी कर चोरी के कारण 10.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ (स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020)।
- इसके चलते अवैध व्यवसायों को वैध व्यवसायों के साथ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल जाता है। इससे बाजार में विकृति पैदा हो सकती है।
- इससे भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा मिलता है, उदाहरण के लिए– पंजाब नेशनल बैंक घोटाला।
- यह देश के वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करता है। उदाहरण के लिए, यस बैंक–DHFL धन शोधन मामले के कारण भारतीय वित्तीय क्षेत्रक में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में आने वाली चुनौतियां

- **कमजोर प्रवर्तन तंत्र:** उदाहरण के लिए– केवल 2.98% मामले मौजूदा और पूर्व सांसदों/ विधायकों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं (ई.डी. द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक)।
- **IT** अधिनियम, 1961: CGST अधिनियम, 2017 के तहत **'ब्लैक मनी' जैसे शब्दों की उचित परिभाषा का अभाव है।**
- आवश्यक **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव। उदाहरण के लिए, सारदा चिट फंड घोटाला।**
- **कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा दिखाई गई उदासीनता/ उपेक्षा** के कारण **KYC** मानदंड कम प्रभावी हो जाते हैं।
- केमैन द्वीप, बरमूडा, नीदरलैंड जैसे **टैक्स–हेवन देश** सख्त वित्तीय निजता को सुनिश्चित करके घरेलू स्तर कर चोरी और धन शोधन को सुविधाजनक बनाते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें

भारत में शुरू की गई पहलें

- **वैधानिक ढांचा:** इसमें शामिल हैं– **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 और 2023, ताकि कंपनियों के गठन में सहायक एजेंटों और अन्य लोगों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को इसके दायरे में लाने के लिए** नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
- **संस्थागत ढांचा:** इसमें प्रमुख संस्थानों में **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** और **वित्तीय आसूचना इकाई–भारत (FIU-IND)** शामिल हैं।

वैश्विक पहलें

- **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशें।**
- **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन (वियना कन्वेंशन):** इसके तहत धन शोधन को एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाना अनिवार्य है।
- **धन शोधन व अपराध से होने वाली आय और आतंकवादी वित्त–पोषण के विरुद्ध वैश्विक कार्यक्रम (GPML)।**

- **सशक्त विनियामक:** अग्रलिखित विनियामकों को शक्ति प्रदान की गई है: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
- **अन्य संस्थान: आर्थिक अपराध शाखा; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI); आयकर विभाग आदि।**

आगे की राह

- **एडवांस प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए– AI और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां प्रवर्तन तंत्र की दक्षता को बढ़ा सकती हैं।
- **नियमित अंतर–संपर्क बनाए रखना और सूचना को साझा करना।**
- **अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ाना:** देशों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पलेर्मो कन्वेंशन, 2000; भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2003; जैसे कन्वेंशन में समन्वय करना चाहिए।
- **सम्यक् तत्परता:** वित्तीय संस्थानों को **बिना नाम के खातों को बनाए रखने से प्रतिबंधित** किया जाना चाहिए।
- **संदिग्ध लेन–देन की रिपोर्टिंग करना।**

2.6.2. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 {Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्रालय ने PMLA 2022 के तहत **धन शोधन निवारण (रेकॉर्ड्स का रखरखाव) नियम**[11]**, 2005** में संशोधनों को अधिसूचित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **संशोधन:** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में आ सकने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रकार व उनकी प्रकृति का विस्तार किया जाएगा।
    - **स्वामित्व संबंधी नियम**
        - किसी साझेदारी फर्म की पूंजी या मुनाफे का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को **हिताधिकारी स्वामी (Beneficial Owner)** माना जाएगा। अभी तक यह सीमा 15 प्रतिशत थी।
        - जो व्यक्ति अन्य साधनों से साझेदारी पर नियंत्रण रखता है, उसे भी **हिताधिकारी स्वामी** माना जाएगा।
    - एक **रिपोर्टिंग इकाई** (जैसे- बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यवर्ती आदि) **के प्रधान अधिकारी (Principal Officer) की परिभाषा तय** की गई है।
        - केवल **प्रबंधन स्तर के अधिकारी को ही 'प्रधान अधिकारी' के रूप में नियुक्त** किया जा सकता है।
        - ट्रस्टों को ट्रस्टियों की स्थिति/ दर्जा के बारे में बताना होगा।
        - ट्रस्ट से संबंध खत्म होने या खाता बंद होने के बाद पांच साल तक क्लाइंट का रिकॉर्ड रखना होगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के बारे में

- **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** के अनुसार **"मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय के गैर-कानूनी स्रोत को छिपाने के लिए किए जाने वाले लेनदेन हैं।"**
    - **संयुक्त राष्ट्र वियना कन्वेंशन 1988** में धन शोधन की समस्या का उल्लेख किया गया है।
- मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े संगठित अपराध से उत्पन्न धन शोधन के खतरे से निपटने के **वैश्विक प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** के तहत PMLA कानून बनाया गया।
- यह कानून **प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन गतिविधियों की जांच करने का अधिकार देता है।**

PMLA को लागू करने से जुड़े मुद्दे

- **प्रक्रिया संबंधी चुनौतियां:** ED द्वारा जांच के मामलों के चयन की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव है।

[11] Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules

© Vision IAS

- **खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मेदारी:** अभियुक्त को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होता है कि वह दोषी नहीं है तथा जमानत पाने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होता है कि वह आगे कोई अपराध नहीं करेगा।
- **अभियोजन यानी मुकदमा में देरी:** हाल ही में FATF ने धन शोधन और आतंकवादियों के वित्त-पोषण से जुड़े मुकदमों को निपटाने में होने वाली व्यापक देरी को उजागर किया है।
- **जांच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अलग-अलग विंग डिजिटल अपराधों, धन शोधन, आर्थिक अपराधों और आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच कर रहे हैं। इनमें समन्वय की कमी है।
- **प्रौद्योगिकी की प्रगति:** जिस गति से नई-नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, उसी गति से प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं का विकास नहीं हो पा रहा है।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्य पहलें

- **PMLA के दायरे का विस्तार किया गया:** रियल एस्टेट एजेंट, बहुमूल्य धातुओं और जवाहरात के डीलर, पेशेवर एकाउंटेंट, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASPs) जैसे गैर-वित्तीय क्षेत्रकों को PMLA कानून के तहत लाया गया है।
- **विनियामकों को सशक्त बनाना:** RBI, SEBI और IRDAI को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित मामलों से निपटने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मानक तैयार करने का अधिकार दिया गया है।
- **FATF की सिफारिशों को लागू** किया जा रहा है।

आगे की राह

- **मनी लॉन्ड्रिंग के खतरों से व्यापक रूप से निपटना:** स्पष्ट, डॉक्यूमेंटेड और व्यवस्थित जांच प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** निरंतर खोज जारी रखने के लिए AI आधारित नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए।
- **एजेंसियों के बीच निरंतर व परस्पर संचार:** बैंक और कानून लागू करने वाली एजेंसियां एक-दूसरे को अपडेट रख सकती हैं, किसी संदेहास्पद मामले की पुष्टि कर सकती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका वाले नेटवर्क की पहचान कर सकती हैं।

2.6.3. भारत में मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India)

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी: एक नज़र में

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े तथ्य

- **भारत** गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन और हशीश के लिए एक **पारगमन हब के साथ–साथ गंतव्य स्थल** भी बन गया है।
- **सबसे ज़्यादा ड्रग्स की तस्करी**: ड्रग्स की तस्करी से प्रभावित राज्यों में पंजाब का पहला स्थान है, इसके बाद UP और तमिलनाडु का स्थान है (NCRB, 2022 रिपोर्ट)।
- भारत उपयोगकर्ताओं के मामले में **विश्व का सबसे बड़ा ड्रग्स बाजार** है (विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2022)।
- पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया तथा दक्षिण–पश्चिम एशिया में **मेथाम्फेटामाइन बाजार का विस्तार जारी है** (UNODC द्वारा जारी विश्व ड्रग्स रिपोर्ट 2024)।

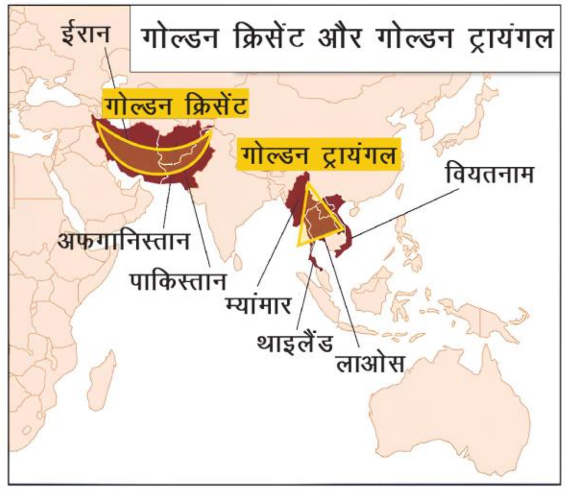

मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित समस्याएं

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा**:
  - इससे मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अन्य **संगठित अपराधों में मदद मिलती है।**
  - **नार्को–आतंकवाद से देश को अस्थिर करता है।**
  - **धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों और वामपंथी उग्रवाद के वित्त–पोषण** के लिए किया जाता है।
- **सामाजिक अपराधों में वृद्धि**: **मादक पदार्थों के सेवन** को बढ़ावा मिलता है जिससे समाज में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या पैदा होती है।
- **भ्रष्टाचार**: **ड्रग कार्टेल** अवैध ड्रग व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राज्य की संस्थानों को अप्रभावी बना देते हैं, उनमें घुसपैठ करते हैं तथा उन्हें और अधिक भ्रष्ट बनाते हैं, उदाहरण के लिए– पंजाब ड्रग मामला, 2024
- **पर्यावरणीय प्रभाव**: अवैध मादक पदार्थों के बाज़ारों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे– कार्बन फुटप्रिंट, वनों की कटाई, अपशिष्ट उत्पादन आदि।
  - उदाहरण के लिए– उत्तराखंड में भांग की खेती।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- **हिंद महासागर क्षेत्र** में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा **ऑपरेशन समुद्रगुप्त** शुरू किया गया था।
- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 जैसे **कानून लागू करना।**
- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**: सीमाओं की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और अपराधियों के ऑनलाइन डेटाबेस** के लिए जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) और गिरफ्तार नार्को–अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN) पोर्टल।
- **नार्को–समन्वय केंद्र (NCORD) पोर्टल** ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साझा मंच प्रदान करेगा।
- **UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों पर हस्ताक्षर** किए गए हैं।

आगे की राह

- प्रवर्तन एजेंसियों के बीच **प्रभावी समन्वय तथा सूचनाओं का साझाकरण होना चाहिए।**
- पोत परिवहन, रेलवे कंपनियों, डाक सेवाओं और एयर कार्गो के लिए **जवाबदेही तंत्रों तथा पद्धतियों का विकास किया जाना चाहिए।**
- क्रिप्टो मुद्रा बाजारों को विनियमित कर तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की निगरानी करके इंटरनेट **पर मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित किया जाना चाहिए।**
- NDPS तथा मादक पदार्थों से संबंधित अन्य कानूनों के तहत **दंड में वृद्धि की जानी चाहिए।**
- नशा मुक्त भारत अभियान आदि के जरिए **नागरिकों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।**

2.6.4. मानव तस्करी (Human Trafficking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव तस्करी के संदेह में भारतीय यात्रियों को लेकर फ्रांस में पकड़ा गया निकारागुआ जा रहा विमान भारत लौट आया।

मानव तस्करी के बारे में

- जबरदस्ती, अपहरण करके, धोखाधड़ी या कपट के जरिए किसी व्यक्ति की भर्ती करने; उसको किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने; अपने पास रखने जैसी गतिविधियां **मानव तस्करी** के तहत आती हैं।
- **मानव तस्करी के कई रूप हैं।** इसमें किसी व्यक्ति/ महिला को यौन, मनोरंजन और आतिथ्य उद्योगों में जबरन भर्ती करना; घरेलू नौकर बनाना या जबरन विवाह करना आदि शोषणकारी कृत्य शामिल हैं।
- **ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022 के अनुसार,** 2020 में 141 देशों में **मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 50,000** थी।

मानव तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों की भूमिका

- **वैश्विक नेटवर्क:** अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के पास व्यापक वैश्विक नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क्स मानव तस्करी में सहायता करते हैं।
- **लॉजिस्टिक विशेषज्ञता:** संगठित अपराध समूह मानव तस्करी के संचालन के लिए उच्च स्तर की लॉजिस्टिक विशेषज्ञता से लैस हैं।
- **भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी:** कानून प्रवर्तन, इमीग्रेशन और सीमा नियंत्रण सहित विभिन्न स्तरों पर कई अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसके चलते तस्करी का काम काफी आसान हो जाता है।
- **मनी लॉन्ड्रिंग:** मानव तस्करी से उत्पन्न अवैध लाभ या धन को अक्सर वैध व्यवसायों के जरिए वैध बनाया जाता है।

मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC): भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल** इस अभिसमय के पूरक की भूमिका निभाता है। भारत ने इसकी **अभिपुष्टि** की है।
  - **सार्क (SAARC) कन्वेंशन:** इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति/ देह व्यापार के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना तथा इससे निपटना है।
  - अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग (CCPCJ)[12] ने **जनरेशन जस्टिस (जेन जस्ट/ Gen Just) पहल** की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य **युवाओं को अपराध की रोकथाम और उन्हें आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना** है।

[12] Commission on Crime Prevention and Criminal Justice

- **भारत में:**
  - **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23** के तहत मानव तस्करी पर **प्रतिबंध** लगाया गया है।
  - **अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956** के तहत तस्करी को गैर-कानूनी कृत्य घोषित किया गया है।
  - CBI अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है।
  - **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** में मानव तस्करी को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है।
  - NHRC ने सभी राज्यों को **2024 तक 'मानव तस्करी रोधी[13] नोडल अधिकारी'** नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
  - **क्राइ-मैक (Cri-MAC):** यह रियल टाइम के आधार पर तस्करी के मामलों के बारे में सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- अवैध लाभ को लक्षित करके **आपराधिक गतिविधियों को हतोत्साहित** करना।
- अपराध रोकथाम संबंधी प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।
- तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन के युग में व्यक्तियों की तस्करी की समस्या से निपटना।
- आतंकवादी समूहों से जुड़े बच्चों के आचरण में परिवर्तन हेतु प्रयास करना।
- पुनर्वास और पुनःएकीकरण के माध्यम से **फिर से अपराध करने की प्रवृत्ति को कम** करना।
- संगठित आपराधिक समूहों और आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों के विरुद्ध **हिंसा को रोकना और उसका मुकाबला करना।**

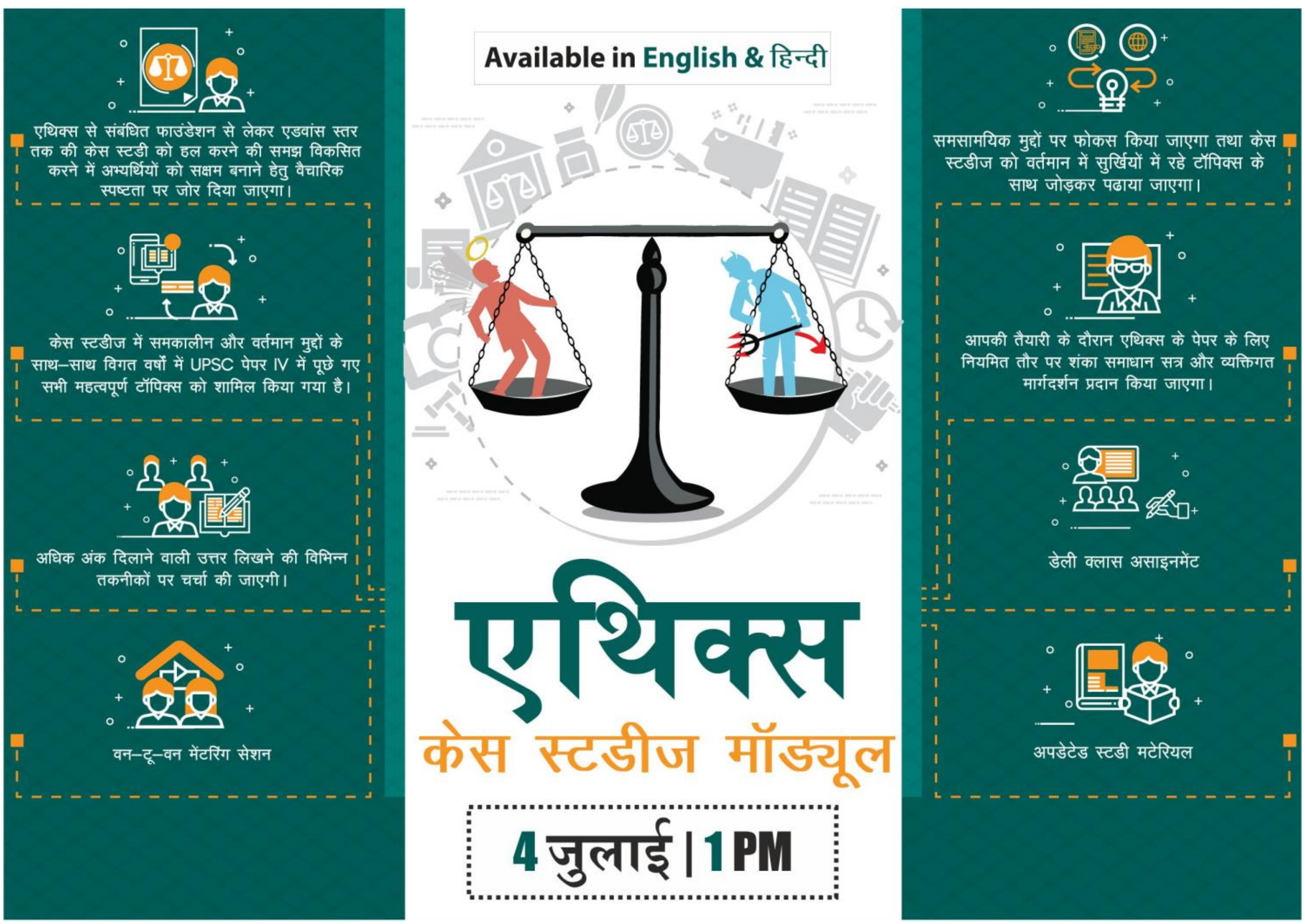

[13] Anti-Human Trafficking

2.7. आतंकवाद (Terrorism)

2.7.1. आतंकवाद: एक नज़र में (Terrorism at a Glance)

आतंकवादः एक नज़र में

- **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत 14वें स्थान पर** (बुर्किना फासो शीर्ष पर) है।

आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक

- **नृजातीय–राष्ट्रवाद और अलगाववादः** आत्मनिर्णय या स्वाधीनता से संबंधित नृजातीय या राष्ट्रवादी आकांक्षाएं अक्सर आतंकवाद की उत्पत्ति का कारण बन सकती हैं।
- **वैश्वीकरणः** वैश्वीकरण ने आवागमन और संचार प्रणालियों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उदाहरणार्थः लश्कर–ए–तैयबा द्वारा 2008 में मुंबई पर हमला।
- **राज्य प्रायोजित आतंकवादः** उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में जैश–ए–मोहम्मद (JEM)।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्यायः** जैसे– ISIS का उद्भव।
- **नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, जैसे– निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करना।**

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में मौजूद चुनौतियां

- **'आतंकवाद' की परिभाषा को लेकर अस्पष्टताः** संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में सार्वभौमिक रूप से 'आतंकवाद' शब्द को लेकर कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं बन पाई है।
- **व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क का अभावः** उदाहरण के लिए, हाई–प्रोफाइल आतंकवादियों के प्रत्यर्पण में देरी।
- **अपर्याप्त घरेलू क्षमताः** उदाहरण के लिए– तालिबान ने 2021 में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया।
- **क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण इसे ट्रैक करना मुश्किल** हो गया है।

आतंकवाद से निपटने के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद–रोधी रणनीति (GCTS)**, 2006
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आतंकवाद–रोधी समिति (CTC)ः** आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना।
- **ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF)ः** भारत भी इस मंच का सदस्य है।
- **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)**
- **SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना (RATS)।**
- **नो मनी फॉर टेरेरिज्म कांफ्रेंसः** फ्रांस सरकार द्वारा शुरू किए गये इस सम्मेलन के **तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत ने** नई दिल्ली में की।

आतंकवाद से निपटने हेतु भारत द्वारा शुरू की गई घरेलू नीतिगत पहलें

- **गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967**
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना**
- **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या NATGRID**
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत दो नए डिवीजन– 1.) आतंकवाद–रोधी और उग्रपंथ–रोधी डिवीजन तथा 2.) साइबर एवं सुरक्षा डिवीजन**
- आतंकवाद से निपटने के लिए **द्विपक्षीय/ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना,** उदाहरण के लिए, भारत–अमेरिका आतंकवाद–रोधी सहयोग।

आगे की राह

- आतंकवाद–रोधी **मौजूदा संस्थानों** की क्षमता को और मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही, आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने से संबंधित देशों की क्षमताओं में मौजूद **कमियों की पहचान** की जानी चाहिए।
- **क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना।** आतंकवाद संबंधी उद्देश्यों के लिए नई और **उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निपटने हेतु UNSC का दिल्ली घोषणा–पत्र।**
- आतंकवाद–रोधी उपायों के दौरान मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।
  - सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1987 के टाडा अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। न्यायालय ने अधिनियम की कुछ धाराओं में आवश्यक संशोधन किए ताकि इनका उपयोग उचित सीमाओं के भीतर हो और इसका दुरुपयोग न हो सके। **(करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1994)**

2.7.2. भारत का आतंकवाद-रोधी दृष्टिकोण (India's Anti-Terrorism Approach)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** द्वारा आयोजित **आतंकवाद-रोधी सम्मेलन** को संबोधित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने न केवल आतंकवाद से निपटने बल्कि इसके संपूर्ण इकोसिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण

- **आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास: लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए** सिविक एक्शन प्रोग्राम और उड़ान योजना (जम्मू-कश्मीर में युवाओं का क्षमता निर्माण)।

- **कानून लागू करने के लिए समर्पित एजेंसी:** NIA भारत में आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन संगठन के रूप में कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
  - इसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), राज्य पुलिस सेवाओं जैसी अन्य एजेंसियों सहयोग प्रदान करती हैं।
- **आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकना:** भारत निम्नलिखित संगठनों का सदस्य है:
  - वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (Financial Action Task Force: FATF);
  - एशिया/ पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग; और
  - यूरेशियन ग्रुप।
- **हिंसक उग्रवाद की रोकथाम (Countering Violent Extremism):** केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंसक उग्रवाद से निपटने वाला प्रमुख मंत्रालय है।
- **अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग:** भारत ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी मंचों पर प्रभावी भूमिका निभाई है। 2024 में भारत ने आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी ट्रस्ट फंड में 5,00,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया।

आतंकवाद के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता क्यों है?

- **पदानुक्रमिक संरचना का अभाव[14]:** आतंकवादी आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न देशों में फैले समान विचारधारा वाले समूहों/ व्यक्तियों के जरिए आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसके चलते लोन वुल्फ हमलों में भी वृद्धि हुई है।

---

[14] Lack of hierarchical structure

© Vision IAS

- **हथियारों की बदलती प्रकृति:** कुछ आतंकवादी समूह अब रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु (CBRN)[15] सामग्रियों का उपयोग करने की क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आतंकवादी अब सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते कहीं से और कभी भी साइबर हमले का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।
- **आतंकवाद हेतु धन जुटाने के नए तरीके:** आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु धन जुटाने के लिए विशेष रूप से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं।
- **अन्य संगठित अपराधों के साथ सांठगांठ:** फिक्की (FICCI) की एक रिपोर्ट की मानें तो मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद परस्पर रूप से संबंधित हैं।
- **अलग-अलग एजेंसियों के बीच सहयोग का अभाव:** केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग आतंकवाद-रोधी एजेंसियां (ATAs) सीमित सहयोग और डेटा आदान-प्रदान के साथ काम कर रही हैं।

आगे की राह

- NIA के तहत सभी राज्यों के लिए **आतंकवाद-रोधी एक मॉडल संरचना** तैयार की जानी चाहिए।
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और अधिक सफल बनाना चाहिए। इसके लिए सभी ATAs को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डेटाबेस के बहुआयामी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS),
- **वैश्विक स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक सहयोग** किया जाना चाहिए। इसमें देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है।
- **अन्य संगठित अपराधों के साथ आतंकवादियों के जुड़ाव पर ध्यान देना:** उदाहरण के लिए- **'ऑपरेशन ध्वस्त'** मामले में, विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने **नेबरहुड फर्स्ट नीति** के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच स्थापित करने की सिफारिश की है।
- **डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना:** साइबर सुरक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया की **'एसेंशियल 8'** जैसी रणनीति पर आगे बढ़कर विचार किया जा सकता है।

2.7.3. 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी (15th Anniversary of 26/11 Mumbai Attacks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इजरायल ने 26/11 के मुंबई हमलों की 15वीं वर्षगांठ के प्रतीक के तौर पर **लश्कर-ए-तैयबा (LeT)** को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है।

वे कमियां जो 26/11 हमले का कारण बनीं

- **पुलिस से संबंधित कमियां:**
  - आतंकवादी हमलों का सामना करने और बंधकों को बचाने के लिए **मॉक ड्रिल जैसे प्रशिक्षण का अभाव।**
  - भारत की समुद्री सुरक्षा कमजोरियां, जैसे **गहरे समुद्र में निगरानी का अभाव और खराब तटीय पुलिसिंग।**
- **खुफिया विभाग की विफलता और सुरक्षा में चूक:**
  - समुद्र मार्ग से आने वाले आतंकवादियों के संबंध में **केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास विशेष जानकारी का अभाव** था।
  - **संचार संबंधी मुद्दे:** वॉयस-ओवर-इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) सहित **अत्यधिक जटिल अत्याधुनिक संचार का उपयोग** किया गया था, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां इंटरसेप्ट करने में असमर्थ रहीं।

हमले के बाद प्रकट हुई कमियां:

- मुंबई पुलिस की होटलों सहित निजी परिसरों में लगे **CCTV कैमरों तक पहुंच उपलब्ध नहीं थी।**
- आतंकवादी हमलों का तत्काल जवाब देने के लिए **प्रशिक्षित अधिकांश फ्लाइंग स्क्वॉड्स आपातकालीन ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं थे।**
- प्रशिक्षित NSG और मरीन कमांडो को पहुंचने में काफी समय लगा था, क्योंकि **मुंबई में कोई NSG केंद्र नहीं था।**
- पुलिस के लिए **हथियारों और गोला-बारूद की उपलब्धता में कमी।**

[15] Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear

26/11 के बाद किए गए सुधार

- **समुद्री सुरक्षा में वृद्धि:**
    - **भारतीय तटीय क्षेत्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा को मजबूत** किया गया है और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
        - **भारतीय नौसेना:** 200 नॉटिकल मील (nm) से आगे
        - **भारतीय तटरक्षक बल:** 12 से 200 nm
        - **समुद्री पुलिस:** तट से 12 nm तक
    - **समुद्री सुरक्षा:** भारतीय नौसेना को समुद्री सुरक्षा का समग्र प्रभार दिया गया, जबकि भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय जल की निगरानी और नए समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है।
    - नौसेना के भीतर एक अलग डिवीजन के रूप में **सागर प्रहरी बल (SPB)** का गठन किया गया है।
    - भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में गश्त और बचाव कार्यों के लिए सरकार ने **फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स (FICs)** को शामिल किया है।
    - **सी विजिल** की शुरुआत की गई है। यह एक **तटीय रक्षा अभ्यास** है। इसे **भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल** द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- **बेहतर समन्वय और प्रतिक्रिया:**
    - **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन** किया गया है। यह देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच एवं मुकदमा चलाने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है।
    - आतंकी हमलों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए **कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, दिल्ली और मुंबई में NSG हब** बनाए गए हैं।
    - एक साझा आतंकवाद रोधी ग्रिड के रूप में **इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)** को मजबूत किया गया है।
- **पश्चिमी देशों से सहयोग:**
    - 2008 के बाद से **संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA और यूनाइटेड किंगडम की MI6** जैसी पश्चिमी एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार हुआ है।
    - वैश्विक स्तर पर भारत के प्रयास के कारण **पाकिस्तान को FATF[16] की ग्रे सूची** में शामिल किया गया है। इससे पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के वित्त-पोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- **पुलिस का आधुनिकीकरण:** यह कार्य **सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण तथा उन्हें आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, फोरेंसिक सेट-अप** आदि प्रदान करके किया जा रहा है।

आतंकवाद-रोधी प्रयासों में NIA की भूमिका

- **राज्यों के साथ सहयोग:** यह आतंकवादी मामलों की जांच में सभी राज्यों और अन्य जांच एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।
- **प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना:** NIA जिन लोगों को गिरफ्तार करता है उनके दोषी पाए जाने का दर अधिक रही है। 2022 में NIA द्वारा की गई गिरफ़्तारी के मामले में **समग्र दोषसिद्धि दर (Overall Conviction Rate) लगभग 94%** थी।
- **डेटा कलेक्शन:** NIA को सात क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। ये क्षेत्र हैं- मादक पदार्थ, हवाला, हथियारों की तस्करी, नकली मुद्रा, बम विस्फोट, टेरर फंडिंग और आतंकवाद।
- **सतर्क और परिस्थितिजन्य उपाय:** उदाहरण के लिए- NIA ने जम्मू-कश्मीर में ओवर ग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कई मामले दर्ज किए और उनके स्लीपर सेल को काफी बेहतर तरीके से समाप्त किया।

भविष्य में उठाए जाने वाले संभावित कदम

- **वैश्विक प्रयास:** भारत को आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना हेतु दबाव बनाते रहना चाहिए।
- FATF, UNCAC, UNODC आदि का उपयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर बैंकों और सरकारों को एक साथ लाकर, **आतंकवाद के वित्त-पोषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित** किया जाना चाहिए।
- देशों द्वारा **सोशल मीडिया, इंटरनेट** आदि पर ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगानी चाहिए या उनके खिलाफ चेतावनी जारी की जानी चाहिए व जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जो **कट्टरपंथ को बढ़ावा** देते हैं।
- **हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा** क्षेत्र के देशों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। इसके लिए श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों को शामिल करते हुए निगरानी हेतु एक साझा तंत्र निर्मित किया जा सकता है।

---

[16] Financial Action Task Force/ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

2.7.4. गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) 1967}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत 'जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी' को "गैर-कानूनी संगठन" घोषित किया।

UAPA के बारे में

- **उद्देश्य: व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर-कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम** हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही, यह अधिनियम **आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने** से भी संबंधित है।
- **2019 में किए गए संशोधन:**
  - **आतंकवादी घोषित करना: संगठनों** के अतिरिक्त, सरकार द्वारा **व्यक्तियों** को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
    - गैर-कानूनी घोषित होने पर **अधिसूचना को 30 दिनों के भीतर अधिकरण** को भेजा जाना चाहिए।
  - **आतंकवादी कृत्य की परिभाषा:** आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करने के लिए परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन[17] (2005) को शामिल किया गया है।
    - **आतंकवादी कृत्य** में **भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा पहुंचाने या भारत या किसी विदेशी राष्ट्र में आतंकवादी हमला करने का इरादा रखने वाला** कोई भी कार्य शामिल है।
  - **अपराध की प्रकृति: ये अपराध संज्ञेय हैं** (बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है)।
  - **दंड:**
    - मृत्यु या आजीवन कारावास, तथा जुर्माना भी देना होगा।
    - जांच अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना।
  - **अपील हेतु अधिकरण।**

UAPA से जुड़े मुद्दे

- **आतंकवादी की अस्पष्ट परिभाषा:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- **मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की संभावना:** UAPA अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया जाता है।
- **'दोषी साबित होने तक निर्दोष' के सिद्धांत के विपरीत:** अधिनियम मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि[18] के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
- **जमानत संबंधी सख़्त प्रावधान:** UAPA की धारा 43D (5) जमानत के लिए सख्त शर्तें लगाती है, आम तौर पर अगर आरोप प्रथम दृष्टया सत्य लगता है तो जमानत नहीं मिलती है।

आगे की राह

- **दुरुपयोग के खिलाफ संरक्षण:** राज्य की विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून के तहत विभिन्न मामलों से निपटने के दौरान विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन किया जाए।
- **मौलिक अधिकारों की रक्षा:** उदाहरण के लिए- के.ए. नजीब बनाम भारत संघ वाद (2021) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि UAPA के तहत जमानत पर लगे प्रतिबंधों को संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) पर हावी नहीं होना चाहिए।
- **निर्दोष व्यक्तियों के लिए मुआवजा:** उन व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए जिन्हें UAPA के तहत काफी समय तक हिरासत में रखा गया था, और जो अंततः निर्दोष साबित हुए।
- **अन्य:** पुलिस को संवेदनशील बनाना, **राजनीतिक असहमति का संरक्षण,** आदि।

---

[17] International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

[18] International Covenant on Civil and Political Rights

2.7.5. सीमा-पारीय संगठित अपराध (Transnational Organised Crimes)

सीमा–पारीय संगठित अपराध (TNOC): एक नज़र में

- **संगठित अपराध** ऐसी अवैध गतिविधियाँ हैं, जो वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए **मिलकर काम करने वाले समूहों या नेटवर्क द्वारा** संचालित की जाती हैं।
- **TNOC से जुड़ी गतिविधियाँ दो या अधिक देशों में संचालित** की जाती हैं, उदाहरण के लिए– ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आदि।

TNOC के विभिन्न रूप क्या हैं?

- **ड्रग तस्करी: UNODC के अनुसार,** दुनिया भर में अब **लगभग 300 मिलियन ड्रग उपयोगकर्ता** हैं, साथ ही तस्करी में भी वृद्धि हुई है।
- **मानव तस्करी: UNODC के अनुसार,** दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग, विभिन्न प्रकार के शोषण के चंगुल में फंसे हुए हैं।
- **प्रवासियों की तस्करी:** दुनिया भर में प्रवास मार्गों पर 8,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है और प्रवास के कारण लगभग 5.5–7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।

TNOC पर अंकुश लगाने में चुनौतियां

- **जनसांख्यिकीय बदलाव: वृद्धजन की बढ़ती आबादी** (जैसे– जापान, यूरोपीय संघ) श्रम शोषण के लिए मानव तस्करी में वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है।
- रवांडा में **नृजातीय युद्ध और यूक्रेन युद्ध जैसी भू–राजनीतिक अशांति।**
- **आर्थिक असमानता** के कारण व्यक्ति संगठित अपराध के प्रति आकर्षित होते है, उदाहरण के लिए– मेक्सिको में ड्रग कार्टेल।
- **कानून प्रवर्तन और विधायी निकायों के बीच तालमेल की कमी।**
- **इंटरनेट और संबंधित तकनीकों का विकास, उदाहरण के लिए– डार्क वेब मार्केट।**

TNOC से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC)**
  - **भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल** (भारत द्वारा अनुसमर्थित)
  - **इंटरपोल की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और प्रोजेक्ट मिलेनियम**
  - **अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN CCPCJ)**
  - **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)**
- **भारत में:**
  - संविधान के **अनुच्छेद 23; अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956;** और **दंड विधि (संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2013** के तहत के तहत **मानव तस्करी निषिद्ध** है।
  - भारत **अवैध गैर–राज्य अभिकर्ताओं** से निपटने के लिए 2022 में **संयुक्त समुद्री बलों** में शामिल हो गया।

आगे की राह

- अपराधियों की पहचान, जांच और मुकदमा चलाने में **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय।**
- **विशिष्ट कानून प्रवर्तन इकाइयों का प्रशिक्षण,** बेहतर खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण करने का एक प्रभावी तरीका है।
- संगठित अपराध में सीधे जुड़े देशों को जवाबदेह ठहराने के लिए नई पहलें शुरू करना।
- पीड़ितों की पहचान करने और अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए गंतव्य देशों में दूतावासों की क्षमता का निर्माण करना।

2.7.6. सीमा-पारीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention against Transnational Organised Crimes: UNTOC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीमा-पारीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई।

UNTOC के बारे में

- UNTOC को **संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000** अपनाया था। इसे **2003** में लागू किया गया था।
    - यह सीमा-पारीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला व्यापक और वैश्विक साधन** है।
- इस अभिसमय के पूरक के रूप में निम्नलिखित **तीन प्रोटोकॉल हैं:**
    - व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, प्रतिबंधित करने एवं दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल **(भारत ने इसकी अभिपुष्टि की है);**
    - भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल; तथा
    - आग्नेयास्त्रों, उनके हिस्सों आदि के अवैध निर्माण एवं तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल।
- **सदस्य:** हस्ताक्षरकर्ता 147 और पक्षकार 191 देश। भारत ने **2011** में इसकी अभिपुष्टि की थी।
- **भारत द्वारा की गई पहलें**
    - **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (CBI) अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है।
    - **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013** पारित किया गया है। इसमें विशेष रूप से **मानव तस्करी को परिभाषित** किया गया है।

UNTOC से जुड़े मुद्दे

- **अस्पष्ट परिभाषा:** इस अभिसमय में सटीक रूप से परिभाषित किए बिना में संगठित अपराध का वर्णन किया गया है, जिससे आतंकवाद जैसे अधिक व्यापक कृत्य इसके दायरे से बाहर हो जाते हैं।
- **प्रवर्तन तंत्र का अभाव:** इस अभिसमय में सुदृढ़ प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जो देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग पर काफी हद तक निर्भर करता है।
- **शक्तिशाली देशों द्वारा इससे दूर रहना:** अमेरिका जैसे कुछ देश, एक्सट्राटेररिटोरिअल जूरिडिक्शन बताकर इस अभिसमय को दरकिनार कर देते हैं।
- **उभरते मुद्दे:** संगठित अपराध समूह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं, खासकर AI, डीप वेब आदि को अपनाते हुए।

UNTOC की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आगे की राह

- **संगठित अपराध को परिभाषित करना:** यह परिभाषा सटीक एवं सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए तथा इसमें आतंकवाद को भी शामिल किया जाना चाहिए। साइबर अपराध जैसे उभरते अपराध के रूपों को शामिल करने के लिए इस अभिसमय को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना:** सदस्य देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए जाने चाहिए। साथ ही, देशों को अपने एक्सट्राटेररिटोरिअल जूरिडिक्शन का संचालन UNTOC के सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **प्रवर्तन को सुदृढ़ करना:** इस अभिसमय के तहत एक सुदृढ़ अनुपालन तंत्र स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में कार्यान्वयन की निगरानी और विवादों को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

2.8. युद्ध के उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Warfare)

2.8.1. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

हाइब्रिड वारफेयरः एक नज़र में

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- हाइब्रिड वारफेयर में शक्ति के पारंपरिक और गैर–**पारंपरिक साधनों तथा विनाशकारी उपकरणों का इस्तेमाल** होता है। इसमें वैध सत्ता को **हानि पहुँचाने वाले माध्यमों का भी उपयोग** किया जा सकता है।
- कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए **इन साधनों/ माध्यमों को सुव्यवस्थित तरीके से एक साथ उपयोग किया जाता है।**

हाइब्रिड वारफेयर के प्रमुख स्वरूप

- **राजनीतिक वारफेयरः** उदाहरण के लिए– 2016 के अमेरिकी चुनाव और ब्रिटेन के ब्रेक्जिट पर होने वाले मतदान पर रूस के प्रभाव की आशंका।
- **तकनीकी वारफेयरः** उदाहरण के लिए– साइबर हमलों के जरिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सॉफ्टवेयर प्रणालियों को प्रभावित करना।
- **सैन्य वारफेयरः** उदाहरण के लिए– इजरायल ने 2006 में इजराइल–हिज़्बुल्लाह युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया।
- **आर्थिक वारफेयरः** इसमें नकली/ जाली मुद्राओं को बढ़ावा देकर लक्षित देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है।
- **सामाजिक वारफेयरः** इसमें दुष्प्रचार, भड़काऊ संदेशों आदि के द्वारा पहले से प्रचलित सामाजिक मुद्दों और कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है।

हाइब्रिड वारफेयर में वृद्धि के कारण

- **खतरों के आकलन की पारंपरिक पद्धति में सामान्यतः हाइब्रिड वारफेयर के स्वरूपों की अनदेखी** की जाती है।
- इसमें **राज्य अभिकर्ता, गैर–राज्य अभिकर्ता या दोनों, एक ही समय** पर सुव्यवयस्थित तरीके से अलग–अलग भूमिकाएं निभाते हैं।
- **अपने विरूद्ध जवाबी कार्रवाई और अपनी पहचान के प्रकट होने की संभावना** से बचते हुए लक्ष्य एवं हमले की व्यापकता को सुव्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
- हाइब्रिड वारफेयर का **तब तक पता न लग पाना जब तक कि वह पूर्ण रूप से प्रभावी न हो जाए।**
- ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, विशेषकर साइबर युद्ध को विनियमित करने वाले **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और कानूनों का अभाव है।**

भारत के लिए संभावित चुनौतियां

- हाइब्रिड वारफेयर का विचार **'लोन–वुल्फ' हमलों** जैसे आतंकवादी हमलों के नए रूपों को प्रोत्साहित करता है, जिनका पता लगाना अत्यधिक कठिन होता है।
- **साइबर हमलेः** मोबाइल ऐप्स का असुरक्षित फ्रेमवर्क; पाकिस्तान और चीन द्वारा साइबर जासूसी का मुद्दा।
- मीडिया और सोशल नेटवर्क के माध्यम से **निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप।**
- **लक्षित समाज में मतभेद को बढ़ावा** देने के लिए **दुष्प्रचार और फेक न्यूज** पर आधारित एक अलग वास्तविकता का निर्माण करना।
- प्रतिकूल ऊर्जा–आपूर्ति सौदों जैसे निवेश के माध्यम से **वित्तीय प्रभाव।**

 © Vision IAS

हाइब्रिड वारफेयर से निपटने हेतु आगे की राह

- **व्यवस्थित और समकालिक रूप से रियल टाइम आधारित कार्रवाई करना:** स्मार्ट रोबोट, मानव रहित हवाई वाहन जैसे **तकनीकी उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण** आदि।
- **संस्थागत उपाय:**
    - सभी क्षेत्रकों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों और सुभेद्यताओं का **स्व–आकलन** करना। उदाहरण के लिए, देश में महत्वपूर्ण फिनटेक प्रणालियों को नियमित रूप से अपग्रेड करना।
    - **खतरे का आकलन करने संबंधी पारंपरिक गतिविधियों में सुधार करने के लिए गैर–परंपरागत साधनों और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए।**
- **स्पष्ट परिभाषा और प्रोटोकॉल** विकसित किए जाने चाहिए।
    - हाइब्रिड वारफेयर से निपटने से संबंधित हस्तक्षेप से जुड़े चरणों और तरीकों को संस्थागत रूप प्रदान करना चाहिए।
    - वर्तमान समय में जारी सुरक्षा संवादों में हाइब्रिड युद्ध के मुद्दे को मुख्यधारा में लाना और एकीकृत करना।

2.8.2. ग्रे-जोन युद्ध (Grey-zone Warfare)

सुर्खियों में क्यों?

भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** ने **रायसीना डायलॉग** के 9वें संस्करण में अनौपचारिक युद्धों पर चर्चा के दौरान **ग्रे-जोन युद्ध** के मुद्दे पर प्रकाश डाला।

ग्रे-जोन युद्ध के बारे में

- इसका उद्देश्य किसी प्रतिद्वंद्वी को **खतरा महसूस कराए बिना** या उस पर **हमला किए जाने का एहसास कराए बिना** उसे नुकसान पहुंचाना है।
    - इसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन की **सलामी स्लाइसिंग (Salami slicing)** रणनीति है।
    - इसका कोई नियम नहीं होता है और युद्ध की फ्रंटलाइन हर जगह होती है। सरल भाषा में, यह युद्ध कई जगहों या स्तरों पर लड़ा जाता है।
- ग्रे-जोन युद्ध में जो कार्रवाईयां की जाती हैं, **उनका लाभ/ प्रभाव काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलता** है।
- प्रमुख गतिविधियों में साइबर हमला अभियान, गैर-राज्यीय तत्वों को समर्थन, आर्थिक दबाव आदि शामिल हैं।
- ग्रे-जोन युद्ध के जरिए **कई आयामों को अपने दायरे में** लाया जा सकता है। इससे स्थिति न चाहते हुए भी कई बार **गंभीर रूप** ले लेती है।

अन्य तरीकों की तुलना में ग्रे-जोन युद्ध को प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

- **परमाणु युग में पारंपरिक संघर्ष की लागत बहुत अधिक बढ़ गई है** और इसके परिणाम का जोखिम भी बहुत अधिक है। इसलिए कुछ देश **ग्रे-जोन युद्ध** के माध्यम से अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- जिन राष्ट्रों के पास बड़े पैमाने पर **संसाधनों या शक्ति तक पहुंच नहीं** है, **वे इस प्रकार के युद्ध को अधिक पसंद करते हैं।**

प्रमुख पहलें जिनसे भारत को ग्रे-ज़ोन युद्ध का मुकाबला करने में मदद मिली है

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ:** इससे भारतीय सशस्त्र बलों के बीच **समन्वय**, तीनों रक्षा बलों की प्रभावशीलता और युद्ध क्षमताओं के समग्र एकीकरण में सुधार करने में मदद मिली है।
- **आधुनिकीकरण:** सरकार अपनी **युद्ध प्रणालियों में प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा** दे रही है।
    - सेना **iDEX (इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) पहल के तहत जीवंत स्टार्ट-अप परिवेश का भी लाभ उठा रही है।**
- **रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता:** सरकार, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP), 2020 आदि की सहायता से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है।
- **समान विचारधारा वाले देश के साथ सहयोग:** उदाहरण के लिए- भारत ने अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) जैसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **अन्य:** साइबर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए **"इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In)"** नामक एक नोडल एजेंसी की स्थापना की गई है, आदि।

आगे की राह: वे उपाय जो भारत को ग्रे जोन युद्ध से निपटने में मदद करेंगे

- **थिएटर कमांड का गठन:** "थिएटर कमांड" का गठन संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में योगदान देगा और अलग-अलग कमांड के बीच एकता सुनिश्चित करेगा।
- **क्षमता को बढ़ावा देना:** इन्फॉर्मेशनल वारफेयर क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए और विशेष ऑपरेशन्स, साइबर एवं अंतरिक्ष कमांड को जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सक्रिय निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना:** ग्रे ज़ोन प्रयासों के शुरुआती संकेतों का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न डोमेन (जैसे- साइबर, सूचना, राजनीतिक, आदि) पर नज़र रखना आवश्यक है। इसके लिए एडवांस सिस्टम विकसित करना चाहिए।
- **अन्य:** दुष्प्रचार से निपटना, इंसर्जेंट समूहों के वित्त-पोषण को रोकना, आदि।

2.8.3. अर्बन वारफेयर (Urban Warfare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि गाजा में अस्पतालों और स्कूलों सहित अलग-अलग बुनियादी ढांचे पर इजरायल के हमले **अर्बन वारफेयर** की कार्रवाई है।

अर्बन वारफेयर के बारे में

- **अर्बन वारफेयर** से आशय **शहरों और कस्बों जैसे शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाले सैन्य अभियानों** से है।
- इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे- गुरिल्ला हमले, मिलिशिया हमले, संगठित गिरोह की हिंसा, आदि।

अर्बन वारफेयर की वजहें

- **रणनीतिक महत्त्व:** शहरें अक्सर **राजनीतिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के केंद्र होते हैं।**
- **विचारधाराओं के प्रेरणास्रोत:** भौतिक अवसंरचना के अलावा शहर **सांस्कृतिक पहचान के भी प्रतिनिधि** होते हैं।
  - उदाहरण के लिए, बोस्निया-हर्जेगोविना के मोस्टार में **स्टारी मोस्ट ब्रिज बोस्नियाई समुदाय की संस्कृति या पहचान** को दर्शाता है।
- **विशिष्ट प्रकार का युद्ध:** अर्बन वारफेयर में साधारण सैनिकों को रणनीतिक ढंग से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

भारत में सुरक्षा के लिए महत्त्व:

- **अर्बीसाइड (Urbicide) का खतरा:** यह शहरी क्षेत्रों का जानबूझकर विनाश करना तथा शहरी भौतिक संरचनाओं और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करना है।
  - इस टर्म का प्रयोग **1990 के दशक में यूगोस्लाव युद्धों के दौरान बाल्कन शहरों में बड़े पैमाने पर विनाश के मंजर** का वर्णन करने के लिए किया गया था।
- **नागरिकों पर खतरा:** उदाहरण के लिए- **मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमले** के दौरान होटलों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों में नागरिकों को निशाना बनाया गया।
- **अधिक नुकसान और जोखिम: जल आपूर्ति, स्कूल और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाओं को नुकसान** पहुंचता है। ये नुकसान स्थायी विनाश और संकट का कारण बनते हैं।
- **कई पीढ़ियों पर प्रभाव: युद्ध की विभीषिका से बचे समुदायों के लिए पुनर्निर्माण और जीवन को वापस पटरी पर लाना काफी मुश्किल** हो जाता है। उदाहरण के लिए- **हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला।**
- **अर्बन वारफेयर के लिए व्यापक डॉक्ट्रिन का अभाव:** शहरी क्षेत्रों पर हमला होने की स्थिति से निपटने के लिए भारत में कोई विशिष्ट मार्गदर्शन का अभाव है।
- **साइबर हमले का खतरा:** शहरी क्षेत्रों में नेटवर्क से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित होने की वजह से उन पर साइबर हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है।

© Vision IAS

आगे की राह

- **एकीकृत राष्ट्रीय रक्षा नीति की जरूरत:** शहरों पर युद्ध के खतरों से निपटने के लिए सैन्य और असैन्य, दोनों प्रकार की क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए।

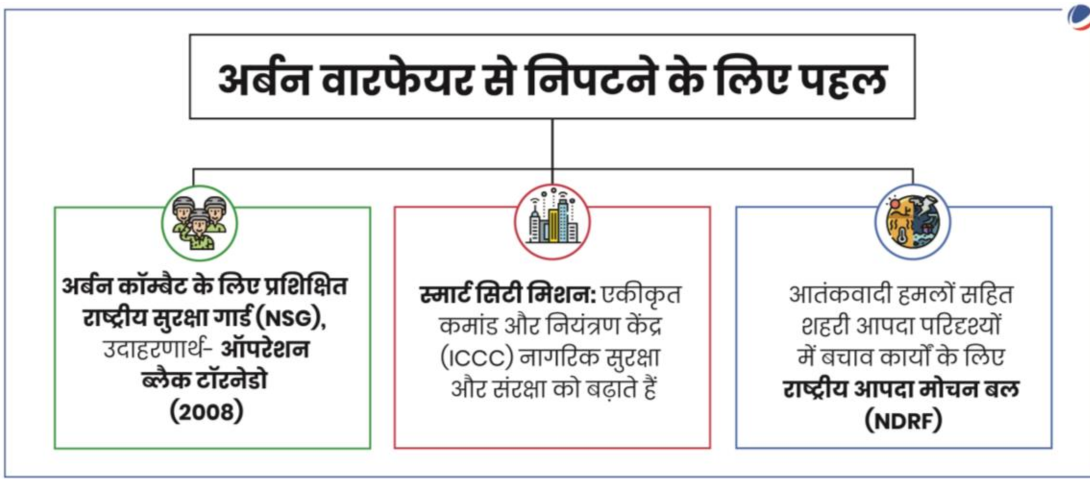

- **रक्षा क्षेत्रक का आधुनिकीकरण:** शत्रुओं पर सटीक निशाना लगाने वाले हथियार सिविल अवसरंचनाओं को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और युद्ध में नहीं शामिल नागरिकों की जान की रक्षा कर सकते हैं।
- **नागरिकों की सुरक्षा और तैयारी:** शहरों पर खतरों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं और युद्ध की दशा में तैयारी हेतु अभ्यास का आयोजन किया जा सकता है।
- **अर्बन वारफेयर के पूर्वानुमान पर रणनीति:** खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग, कूटनीतिक सहयोग और ऑपरेशन सहयोग बढ़ाना चाहिए। **अर्बन वारफेयर** को ध्यान में रखते हुए सैन्य कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

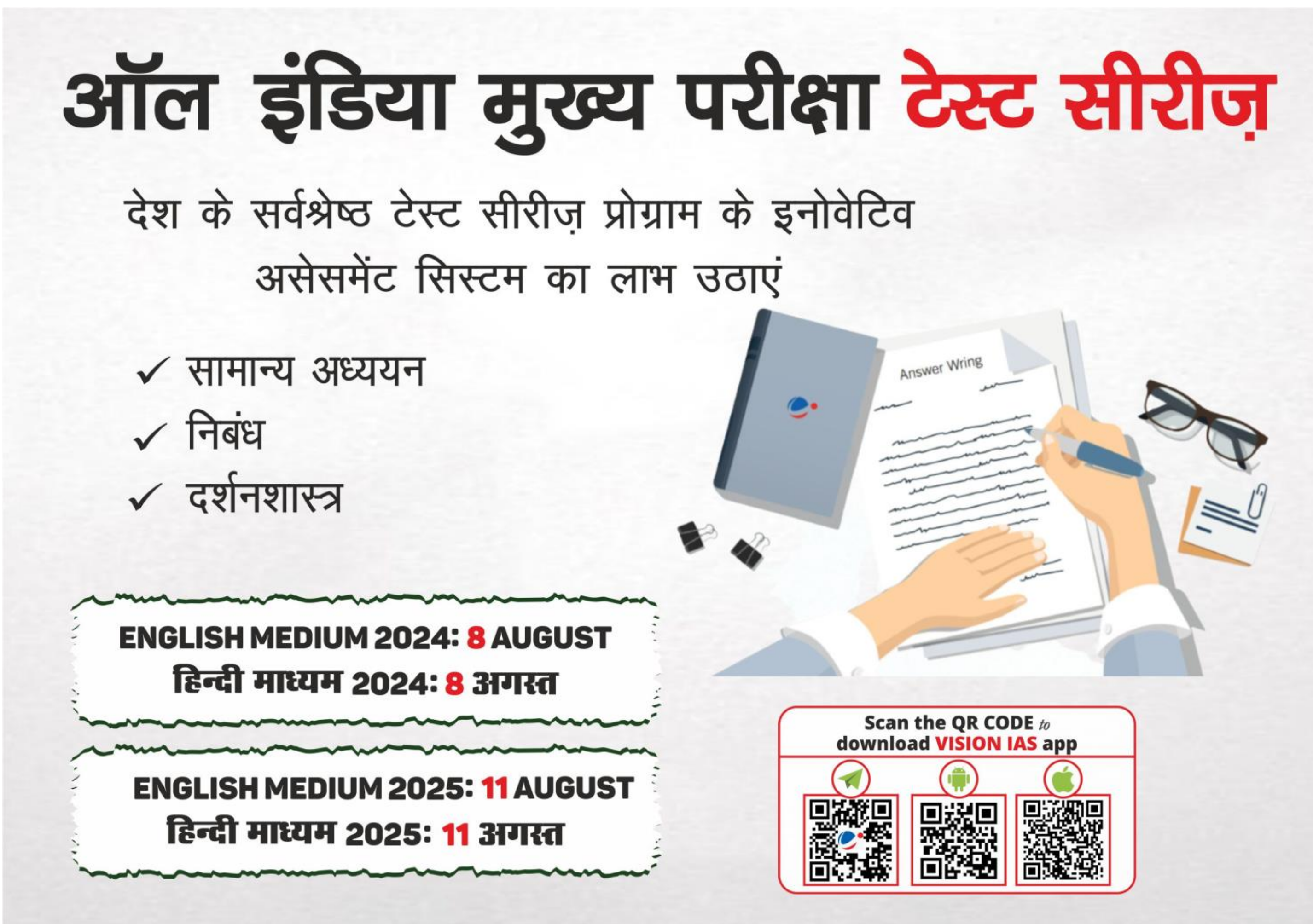

2.9. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponization)

अंतरिक्ष का शस्त्रीकरणः एक नज़र में

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के बारे में

- इसका आशय **बाह्य अंतरिक्ष या आकाशीय पिंडों में हथियार स्थापित करने** के साथ-साथ ऐसे हथियारों का निर्माण करने से है, जो अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
- यह परंपरागत युद्ध के मैदान में सेनाओं की सहायता करने वाले **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण से अलग** है।

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के पीछे के कारण

- परमाणु हथियार से लैस व इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) को रोकने के लिए **वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी।**
- अंतरिक्ष में **अपने उपग्रहों को सुरक्षित रखना।**
- यह **भूमि पर, समुद्र और वायु में युद्ध के संचालन के दौरान किसी देश को सर्वोच्चता** प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, चीन की अंतरिक्ष सेना।
- **ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीः** GPS ट्रैकर्स जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिक (असैन्य) और सैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- **असक्षम मौजूदा संधियां, जैसे– बाह्य अंतरिक्ष संधि** (OST)

अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के संभावित परिणाम

- **युद्ध का डरः** उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के दौरान USA और USSR के बीच अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की होड़।
- **वाणिज्यिक और वैज्ञानिक हितों के खिलाफः** यह वैज्ञानिक अन्वेषणों में शामिल उपग्रहों सहित वाणिज्यिक उपग्रहों की पूरी श्रृंखला को जोखिम में डाल देगा, जैसे कि हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप।
- **अंतरिक्ष मलबे में वृद्धिः** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, वर्तमान में अंतरिक्ष में 40,500 से अधिक मलबे (10 से.मी. से बड़े आकार) मौजूद हैं।
- पृथ्वी आधारित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर असर पड़ेगा, जैसे कि IRNSS उपग्रहों के लिए संभावित खतरा।

अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि** (OST): इसमें बल दिया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए।
- **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ पर रोकथामः** शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना, हथियारों की होड़ से बचना आदि।
- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963)**
- अन्य पहलेंः यू.एस.ए. के नेतृत्व वाला **"आर्टेमिस समझौता"**; इसमें भारत भी शामिल हो गया है।

 © Vision IAS

आगे की राह

- **'ग्लोबल कॉमंस' के रूप में अंतरिक्ष:** बाह्य अंतरिक्ष संधि में संशोधन करके अंतरिक्ष को **'ग्लोबल कॉमंस'** के रूप में मान्यता देनी चाहिए। यह ब्रंटलैंड आयोग के दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए।
- **सभी के लिए समान अवसर:** सभी देशों के लिए **बाह्य अंतरिक्ष तक वैध पहुंच को बढ़ावा देना** और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण **(जैसे– आर्टेमिस समझौते)** का समर्थन करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतरिक्ष शस्त्रीकरण को रोकने हेतु एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए प्रयास करना।
- **अंतरिक्ष–क्षेत्र जागरूकता में निवेश:** जैसे कि फाइव–आइज के तहत जर्मनी और फ्रांस के बीच संयुक्त अंतरिक्ष संचालन पहल की शुरुआत, जो **अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों पर सूचना साझा करने की सुविधा** प्रदान करती है।
- **अंतरिक्ष मलबे को कम करना:** अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाना, उदाहरण के लिए– **इसरो की भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य आकलन रिपोर्ट।**

2.9.1. अंतरिक्ष युद्ध (Space Warfare)

सुर्खियों में क्यों?

चीन ने कथित तौर पर दुनिया का पहला **"नियर स्पेस कमांड"** स्थापित किया है। यह शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **नियर स्पेस** से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित उस क्षेत्र से है, जो **पृथ्वी की सतह से 20 से 100 किमी.** की दूरी पर है। एक तरह से नियर स्पेस कमांड अंतरिक्ष को युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में रेखांकित करता है।

अंतरिक्ष युद्ध के बारे में

- **अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण:** वर्तमान में अंतरिक्ष संघर्ष के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। विश्व के शक्तिशाली देश **अंतरिक्ष कक्षा में या पृथ्वी की सतह पर मौजूद अपने लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से** अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- **बाह्य अंतरिक्ष का सैन्यीकरण:** जमीन, समुद्र और हवा आधारित सैन्य अभियानों को मजबूती प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना।
- अंतरिक्ष युद्ध पर बहस की शुरुआत 1962 में हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने अंतरिक्ष में भू-आधारित परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था। इसके परिणामस्वरूप अंततः 1967 की **बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST)** संपन्न हुई।

अंतरिक्ष आधारित हथियारों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है:

अर्थ-टू-स्पेस काइनेटिक हथियार (Earth-to-space kinetic weapons)	• इसमें सीधे पृथ्वी से भेजे जाने वाले हथियार या कक्षा में परिक्रमा कर रहे **एंटी-सैटेलाइट (ASAT)** हथियार शामिल होते हैं।
अर्थ-टू-स्पेस नॉन-काइनेटिक हथियार (Earth-to-space non-kinetic weapons)	• इसमें **जैमर, लेजर, साइबर-हमले के तरीकों तथा जैमिंग और स्पूफिंग** जैसे **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाई-पॉवर्ड माइक्रोवेव (HPM) तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP)** जैसे हथियार शामिल हैं। • इनके जरिए अस्थायी या स्थायी रूप से **उपग्रहों की कार्यप्रणाली को प्रभावित** किया जाता है।
स्पेस-टू-स्पेस काइनेटिक हथियार (Space-to-space kinetic weapons)	• इसके अंतर्गत **अंतरिक्ष में मलबा फैलाने वाले व को-ऑर्बिटल ASAT हथियार** शामिल किए जाते हैं। ये हथियार प्रत्यक्ष रूप से लक्षित उपग्रह से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसे उसकी कक्षा से विस्थापित कर सकते हैं।

स्पेस-टू-स्पेस नॉन-काइनेटिक हथियार (Space-to-space non-kinetic weapons)	• इसमें **को-ऑर्बिटल जैमर्स, HPMs, लेजर** आदि शामिल हैं।
स्पेस-टू-अर्थ काइनेटिक हथियार (Space-to-Earth kinetic weapons)	• इसके तहत पृथ्वी पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कुछ हथियारों को अंतरिक्ष में तैनात कर दिया जाता है। • उदाहरण के लिए- **फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBM)**।

2.10. जासूस (टोही) उपग्रह {Spy (Reconnaissance) Satellite}

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस (टोही) उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

जासूस या टोही उपग्रह क्या है?

- इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में **खुफिया जानकारी** उपलब्ध कराते हैं।
- यह या तो **संचार उपग्रह या भू-प्रेक्षण (Earth observation) उपग्रह** हो सकता है।
- ऐसा उपग्रह जब किसी देश के ऊपर से गुजरता है, तब उस समय रेडियो और रडार ट्रांसमिशन को कैच कर सकता है व रिकॉर्ड कर सकता है।
- **जासूस उपग्रह के मुख्य प्रकार:**
  - **ऑप्टिकल-इमेजिंग सैटेलाइट:** इनमें **लाइट सेंसर्स** लगे होते हैं। ये सेंसर्स जमीन पर **मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशंस और हथियारों का पता** लगा सकते हैं।
  - **रडार-इमेजिंग सैटेलाइट:** ये उपग्रह बादल छाए रहने पर भी रडार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अंतरिक्ष से पृथ्वी का पर्यवेक्षण कर सकते हैं।
  - **सिग्नल-इंटेलिजेंस या फेरेट सैटेलाइट:** ये रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को कैच करते हैं।
- **विश्व के कई देशों ने टोही उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें शामिल हैं:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका: **कीहोल सीरीज (KH),**
  - चीन: **याओगान सीरीज,**
  - रूस: **पर्सोना सीरीज**।
  - भारत: **रडार इमेजिंग सैटेलाइट-2 (RISAT-2)** को भारत का टोही उपग्रह माना जाता है। यह SAR से लैस है।

टोही उपग्रहों से जुड़ी चिंताएं:

- ये उपग्रह **अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को बढ़ावा** देते हैं;
- ऐसे उपग्रह देशों के बीच **अविश्वास को बढ़ाते** हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ता अविश्वास इसका एक उदाहरण है।
- इनका इस्तेमाल **दोहरे उपयोग (Dual used) वाली तकनीक** के रूप में किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये उपग्रह वाणिज्यिक के साथ-साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं।
  - **पृथ्वी की निम्न कक्षा** में उपग्रहों को हथियारों से लैस करके इनसे पृथ्वी पर किसी लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह ये **"कक्षीय हथियार" (Orbital weapon)** के रूप में काम कर सकते हैं।
- चीन का टोही उपग्रह भारत के बारे में महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी एकत्र कर सकता है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
ENGLISH MEDIUM 2024: 8 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 8 अगस्त
ENGLISH MEDIUM 2025: 11 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 11 अगस्त

© Vision IAS

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

3.1. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दे: एक नज़र में (Security Issues In Border Areas at a Glance)

सीमा सुरक्षाः एक नज़र में

सीमा	सीमा पर चुनौतियां	उठाए गए कदम
भारत–चीन	› गलवान घाटी, अक्साई चिन, डोकलाम आदि में **सीमा विवाद।** › चीनी वस्तुएं और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी** (उदाहरणः जुलाई 2024 में पूर्वी लद्दाख में 82 करोड़ रुपये मूल्य का सोना तस्करी किया गया)। › **जल साझाकरण संबंधी मुद्दे** (उदाहरण के लिए– ब्रह्मपुत्र नदी)	› **बुनियादी ढांचे का निर्माण करना,** जैसे कि ढोला–सादिया पुल। › **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास,** उदाहरण के लिए– सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। › वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर **सेना की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं** को वन मंजूरी से छूट दी गई है। › **वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम।** › भारत–चीन सीमा पर **परामर्श और समन्वय के लिए वर्किंग मैकेनिज्म** विकसित करना।
भारत–पाकिस्तान	› सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद।** › **नदी जल बंटवारा मुद्दा (सिंधु नदी)।** › **सीमा–पार आतंकवाद,** जैसे– उरी और पुलवामा हमला।	› **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** का कार्यान्वयन। › जम्मू–कश्मीर में **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो की तैनाती करना।**
भारत–नेपाल	› कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में **सीमा विवाद।** › भारत में नेपाल के माओवाद के संबंधों के कारण **माओवादी विद्रोह के फैलने की आशंका।** › **आसान तरीके से नेपाल भाग जाना और अवैध गतिविधियां** जैसे कि तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा आदि। › नेपाल की अवसंरचना, जल विद्युत जैसे **प्रमुख क्षेत्रों में चीनी निवेश।**	› बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए **सशस्त्र सीमा बल (SSB) में एक नए खुफिया अनुभाग की स्थापना।** › **जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की स्थापना।** › सीमा पर 1,377 कि.मी. लंबी सड़कों के **निर्माण को मंजूरी।** › **नेपाल को विकास में सहायता करना।** (वित्त वर्ष 2024–25 में भारत ने नेपाल को 700 करोड़ रुपये की सहायता आवंटित की) › फतेहपुर सीमा चौकी जैसी– **सुरक्षा संबंधी अवसंरचना** का विकास।
भारत–भूटान	› **उग्रवादः** उदाहरण के लिए– भूटान में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के शिविर। › **भूटानी भांग** जैसे सामानों की तस्करी। › **लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही।**	› रॉयल भूटान आर्मी द्वारा उग्रवादियों के शिविरों को हटाने के लिए **ऑपरेशन ऑल क्लियर** चलाया गया। › **सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना।** › अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वन भूमि के इस्तेमाल हेतु **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के अंतर्गत सामान्य मंजूरी।

भारत–म्यांमार	› स्वर्णिम त्रिभुज से निकटता के कारण **मादक पदार्थों की तस्करी।** › सीमा पर कोई भौतिक अवरोध का न होना। (उदाहरणार्थ: 2015–2018 के दौरान 563 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया)	› 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) स्थापित करने का प्रस्ताव** पेश किया। इनका उद्देश्य थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत के जुड़ाव को प्रोत्साहित करना होगा। › भारत 1,643 किलोमीटर लम्बी भारत–म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाएगा।
भारत–बांग्लादेश	› तीस्ता नदी, बराक नदी के संबंध में जल विवाद। › भारत में अवैध प्रवास › जामदानी साड़ियों जैसे सामानों की तस्करी।	› **भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 2015** › **सीमा सुरक्षा ग्रिड (BPG) की स्थापना।** नदी जल विवाद सुलझाने के लिए **संयुक्त नदी आयोग** का गठन। › **CIBMS**

3.1.1. सीमा अवसंरचना (Border Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (BRO)[19] की अवसंरचना संबंधी 90 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की।

[19] Border Road Organisation

© Vision IAS

सीमा अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?

- सीमावर्ती गांवों में **अवसंरचना विकास और आजीविका को बढ़ाने** के लिए
- **सीमा–पार आतंकवाद और घुसपैठ से निपटने** के लिए
- **वामपंथी उग्रवादियों** और विदेशों से भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले **अलगाववादियों से** निपटने के लिए
- शत्रु देशों की सेनाओं की **सीमा–पार आक्रामकता पर नजर रखने** के लिए
- **नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी** को रोकने के लिए
- सीमावर्ती क्षेत्रों में **हर मौसम में कनेक्टिविटी** प्रदान करने के लिए
- **सैनिकों की त्वरित आवाजाही और आपूर्ति श्रृंखला को बाधारहित** बनाने के लिए

सीमावर्ती क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास में आने वाली चुनौतियां

- **दुर्गम स्थलाकृति:** भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का भू-भाग दलदली भूमि, लवणीय मैदान, रेगिस्तान, घाटियों, नदियों, जंगलों आदि से घिरा हुआ है।
- **भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता** भी एक मुख्य चुनौती है, उदाहरण के लिए- पाकिस्तान। इसके चलते पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर पलायन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे कई मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय की कमी** के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचनाओं के निर्माण में देरी होती है।
- **कट्टरपंथ के लिए संभावित हॉटस्पॉट:** निम्न आर्थिक विकास का सामना कर रहे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रायः आवश्यक अवसंरचनाओं की कमी होती है। इससे वे कट्टरपंथ के लिए संभावित हॉटस्पॉट बनने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
    - **उदाहरण:** भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य नृजातीय संघर्षों और क्षेत्रीय अलगाववादी ताकतों से जूझ रहे हैं। इससे सीमा पर अवसंरचनात्मक विकास काफी कठिन हो गया है।
- **खुली सीमाएं:** इससे अवैध तस्करी, मानव दुर्व्यापार, नशीली दवाओं, हथियारों तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ जैसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
- **पर्यावरणीय चिंताएं:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण से उस क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
    - वर्तमान में, **नियंत्रण रेखा (LoC) के 100 कि.मी. के दायरे के भीतर सभी राजमार्ग परियोजनाओं** को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी गई है।
- **धन का कम उपयोग:** गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने सीमावर्ती अवसंरचनाओं और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित 'धन के कम उपयोग' पर चिंता जताई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM)[20]:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक अम्ब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़कें, बिजली और संचार संबंधी अवसंरचनाओं का विकास करना है।
- **सीमा अवसंरचना से संबंधित शेकतकर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन,** जैसे- सड़क निर्माण कार्य की आउटसोर्सिंग, आधुनिक निर्माण संयंत्रों की शुरुआत करना, भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक मंजूरी प्रदान करना, आदि।

[20] Border Infrastructure and Management

- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेकनिक):** इसमें भारत-बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर दिन-रात निगरानी करने और घुसपैठ का पता लगाने के लिए कैमरे, सेंसर जैसी तकनीकें शामिल हैं।
- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)[21]:** यह भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी हेतु तकनीक पर आधारित एक एकीकृत प्रणाली है।
- **सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कों और सुरंगों का निर्माण किया गया है।** उदाहरण के लिए- **अटल सुरंग** मनाली को लाहौल-स्पीति से जोड़ती है; **शिंकू ला सुरंग** के जरिए लद्दाख को सभी मौसम में कार्यशील सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।
- **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** और सीमा पार कनेक्टिविटी के लिए **म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग** जैसी पहलों को संचालित किया जा रहा है।
- **वन (संरक्षण) संशोधन कानून, 2023** का उद्देश्य देश की सीमाओं के **100 कि.मी. के भीतर** कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में विकास कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को आसान बनाना है। यह कानून राष्ट्रीय महत्त्व या सुरक्षा के लिए रणनीतिक परियोजनाओं को गति देने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

- सीमा प्रबंधन के कार्य में **स्थानीय समुदायों को शामिल** करके उन्हें अपने सूचना तंत्र का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सीमा पर बेहतर निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए।
- खुली सीमाओं पर **इंटर बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच की दूरी को कम किया जाना चाहिए,** ताकि अवैध व्यापार, तस्करी और जाली मुद्रा के जोखिम को कम किया जा सके।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां भी संभव हो LiDAR, लेजर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग, CCTV, ड्रोन निगरानी जैसी **प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक सीमावर्ती राज्य में **सीमा सुरक्षा ग्रिड बनाया जाना चाहिए।**
- नवीन परियोजना के निर्माण के साथ-साथ सीमाओं की निगरानी करने वाले उपकरणों और सहायक उपकरणों की वर्तमान सूची में निरंतर नवीनतम प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे इन उपकरणों का बेहतर उपयोग करके सीमाओं की निगरानी की जा सकेगी।
- सीमावर्ती अवसंरचनाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं में **निजी क्षेत्रक की भागीदारी** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, तकनीकी अपग्रेडेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास तथा उनके रखरखाव के मामले में भी निजी क्षेत्रक की क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है।

[21] Comprehensive Integrated Border Management System

3.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

3.2.1. समुद्री सुरक्षा: एक नज़र में (Maritime Security at a Glance)

समुद्री सुरक्षाः एक नज़र में

- समुद्री सुरक्षा में **महासागरों और समुद्रों से संबद्ध खतरों से राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना** शामिल है।

'26/11' के बाद भारत की सुरक्षा संरचना

- **भारतीय नौसेना (IN)**: समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण।
- **भारतीय तटरक्षक बल (ICG)**: समुद्री पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक जल क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार।
- **सीमा सुरक्षा बल (BSF)**: गुजरात और सुंदरबन में क्रीक या खाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जिम्मेदार।
- **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)**: भारत के प्रमुख बंदरगाहों की भौतिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार।
- **सागर सुरक्षा दलः** प्रशिक्षित स्वयंसेवकों वाले मछुआरे समूह समुद्र और तटीय जल की निगरानी करते हैं।

भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का महत्त्व

- **समुद्र तट की सुभेद्यताः** 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं और पाइरेसी, तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक है।
- **भू–रणनीतिक हितः हिंद महासागर क्षेत्र** (IOR) में भारत के भू–रणनीतिक हित को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि चीनी प्रभाव का मुकाबला करना, एक संपूर्ण सुरक्षा प्रदाता बनना और HADR ऑपरेशन को निष्पादित करना।
- **जलवायु सुरक्षाः 1950 के दशक** के बाद से हिंद महासागर किसी भी **अन्य महासागर की तुलना** में तेजी से गर्म हुआ है (IPCC रिपोर्ट 2021)।
- **आर्थिक विकासः** भारत का **80% बाह्य व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार हिंद महासागर** के जरिए होता है।

समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां

- हिंद महासागर क्षेत्र में **समुद्री डकैती (पायरेसी) और समुद्री आतंकवादः** भारतीय नौसेना ने 2024 में अपहृत बल्गेरियाई जहाज 'रुएन' और उसके चालक दल को बचाया।
- **समुद्री साइबर खतरेः** उदाहरण के लिए– 2023 में, **नागोया पोर्ट** पर रूसी हैकर्स ने **लॉकबिट 3.0 द्वारा हमला** किया था।
- **उदासीन राज्य सरकारें**: गश्ती नौकाओं का कम उपयोग, तट–आधारित अवसंरचना के निर्माण में देरी, कार्यबल की कमी और अप्रयुक्त धन **(CAG रिपोर्ट)।**
- पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे **पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमा विवाद** जारी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे– चीन ने म्यांमार और श्रीलंका में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाह बनाए हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अंतर–एजेंसी समुद्री सैन्य अभ्यास:** इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता बढ़ाने के लिए **सागर कवच जैसे सैन्य अभ्यास** का नियमित आयोजन।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** महासागर (MAHASAGAR), क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग स्थापित किया गया है।
- रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर समुद्र क्षेत्रीय जागरूकता के लिए एक **इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर–हिंद महासागर क्षेत्र (IFC–IOR) की स्थापना भारतीय नौसेना द्वारा की गई है।**

वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम

- **जहाजों और बंदरगाह आधारित सुविधाओं की सुरक्षा के लिए IMO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जहाज एवं बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड (ISPS) जारी किए गए हैं।**
- **भारत को 2024 में मत्स्य प्रबंधन पर UN FAO COFI उप–समिति के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।**

आगे की राह

- भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए **पांच–सूत्रीय रूपरेखा** पर प्रकाश डाला गया। इसमें शामिल हैं– **मुक्त समुद्री व्यापार, समुद्री विवादों का निपटारा, जिम्मेदारीपूर्ण समुद्री कनेक्टिविटी।**
- **तटीय सुरक्षा विधेयक को जल्दी से पारित करना।**
- **निगरानी प्रणाली को मजबूत करना: जैसे– उच्च आवृत्ति वाले रडार का प्रयोग।**
- समन्वित कार्यों के लिए **राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति दस्तावेज़ लागू करना।**
- **विश्वास निर्माण के उपाय करना, जैसे– मॉरीशस में INS सुनयना द्वारा संयुक्त गश्त।**

3.2.2. समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाना (Securing Maritime Trade Routes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

समुद्री क्षेत्र में घटित हालिया हिंसक घटनाओं ने समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **लाल सागर में हूथी हमले: यमन** के हूथी विद्रोही गाजा पर इजरायल की बमबारी के जवाब में **बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य** से होकर गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। यह जलडमरूमध्य **स्वेज नहर (लाल सागर) के दक्षिण** में स्थित है।
    - लाल सागर में **MV केम प्लूटो** नामक जहाज भारत आते समय **ड्रोन हमले** का शिकार हो गया था।
    - **लाल सागर व्यापार मार्ग का महत्त्व:**
        - यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल व गैस के आयात-निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग** है। अरब देशों के कुल निर्यात का लगभग **93-100%** इसी मार्ग से होकर गुजरता है।
        - **समुद्री मार्ग** से भेजा जाने वाला लगभग **10% कार्गो, लाल सागर से होकर** जाता है। इसमें **यूरोप के साथ किया जाने वाला अधिकतर एशियाई व्यापार** भी शामिल है।
        - **जिबूती में अमेरिका और चीन, दोनों के नौसैनिक अड्डे** हैं। ये सैन्य अड्डे इस क्षेत्र के भू-सामरिक महत्त्व को दर्शाते हैं।

लाल सागर में स्थिरता और समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए की गई पहलें

लाल सागर व्यापार मार्ग को **संयुक्त समुद्री बल (CMF)** द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। **CMF 39 देशों की साझेदारी है।** इस साझेदारी में **अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब और यमन की नौसेनाएं** शामिल हैं।

हाल ही में, **अमेरिका ने 'ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन'** नामक एक **नौसैनिक गठबंधन** किया है। इसे CMF की निगरानी में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य **लाल सागर व्यापार मार्ग में एक सुरक्षित गलियारा** बनाना है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत **जिबूती आचार संहिता (2009)** को अपनाया गया था।

ऑपरेशन एस्पाइड्स: यह यूरोपीय संघ द्वारा लाल सागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव और अस्थिरता को कम करने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

समुद्री मार्ग से व्यापार को सुरक्षित बनाने के उपाय

- **संयुक्त राज्य अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर** में समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक **बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन** की घोषणा की है।
  - इसके अंतर्गत अपनाए गए उपायों के तहत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन **दक्षिणी लाल सागर में संयुक्त गश्ती अभियान का संचालन** करेंगे।
- **चीन:** इस क्षेत्र में चीन के व्यापक समुद्री व्यापार एवं सैन्य उपस्थिति को देखते हुए, यह उम्मीद थी कि चीन सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेगा।
  - इसके विपरीत, इस संकट पर चीन की स्थिति अब तक कार्रवाई के बजाय निष्क्रियता की रही है।
- **भारत:** यद्यपि **भारत ने ऑपरेशन प्रॉसपेरिटी गार्डियन का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया,** फिर भी भारत लाल सागर संकट के प्रति मूकदर्शक नहीं बना रहा।
  - दिसंबर 2023 से, भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में **5,000 से अधिक कर्मियों** तथा **21 जहाजों के साथ-साथ समुद्री निगरानी विमानों** को तैनात किया है।
  - यह तैनाती **'ऑपरेशन संकल्प'** के तत्वावधान में है, जिसे भारतीय नौसेना ने **2019 में ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक शिपिंग पर हमलों की प्रतिक्रिया** के रूप में शुरू किया था।
  - इस संकट के प्रति भारत की विशिष्ट नौसैनिक प्रतिक्रिया इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक प्रतिबद्ध सुरक्षा प्रदाता की कार्रवाई ऐसे संकट के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- **अरब सागर में पायरेसी: माल्टा** में पंजीकृत जहाज **MV रुएन का सोमालिया के पास अरब सागर** में अपहरण कर लिया गया था।
  - भारतीय नौसेना ने अरब सागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए **नौसेना समुद्री गश्ती विमान** को तुरंत तैनात किया।
  - **पायरेसी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां**
    - प्रमुख वैश्विक शिपिंग चोकप्वाइंट पर **व्यापार का अवरुद्ध** एवं महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं का बाधित होना।
    - **स्थानीय माफिया, अवैध तस्करी या यहां तक कि आतंकवाद के साथ** मजबूत सांठगांठ।
    - चूंकि जहाजों को समुद्री डकैती वाले क्षेत्रों से दूर जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अतिरिक्त ईंधन खपत, बढ़े हुए बीमा प्रीमियम आदि के कारण लागत बढ़ जाती है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' की भूमिका निभाई। भारत ने घटना की जांच के लिए तत्काल अपना समुद्री गश्ती विमान MV रुएन के ऊपर भेजा। इसके बाद, भारतीय नौसेना के जहाज INS कोच्चि ने संदिग्ध जहाज को रोकने का काम किया।

समुद्री मार्गों पर हाल में उत्पन्न खतरों का प्रभाव

- **भू-राजनीतिक तनाव:** हूथी समूहों को **ईरान से मदद** मिलती है और **रूस को ईरान का सहयोगी** माना जाता है। हूथी समूह **पश्चिमी देशों और इजरायल का विरोध** करता है। इनके हमलों से युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ है।
- **मुद्रास्फीति:** उदाहरण के लिए- लाल सागर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण शिपमेंट को केप ऑफ गुड होप से होकर भेजा जा रहा है। इस कारण भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों में 10-20% की वृद्धि होने का अनुमान है।

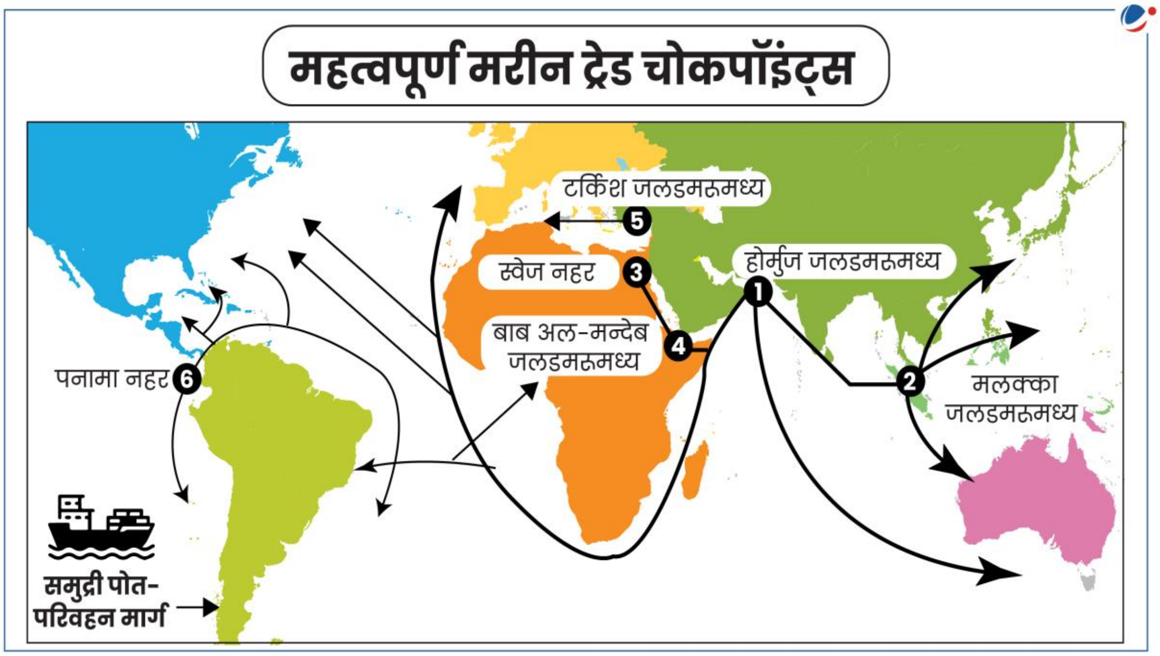

- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** वैश्विक स्तर पर वस्तुओं का 80% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए होता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होकर गुजरने वाले लंबे समुद्री मार्ग का प्रयोग करने से प्रत्येक जहाज के लिए CO_2 उत्सर्जन में 20% से 35% की वृद्धि होगी।
- **भारत पर प्रभाव**
  - **निर्यात पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापार गंतव्य है। स्वेज नहर यूरोपीय संघ के साथ व्यापार के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
    - उदाहरण के लिए- यूरोप और मध्य-पूर्व को 500,000 टन नए सीजन के बासमती चावल का निर्यात करने की भारत की योजना खतरे में पड़ सकती है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा के लिए जोखिम:** लाल सागर **तेल और गैस शिपमेंट** के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
    - वित्त वर्ष 2023 में भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 65% हिस्सा स्वेज नहर से होकर गुजरने की संभावना थी।
  - **राजनयिक संबंध:** भारत ईरान और इजरायल दोनों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखता है। इससे समग्र राजनयिक परिदृश्य निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

आगे की राह

- **आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण:** यह न केवल लोचशीलता को बढ़ाएगा, बल्कि अधिक अनुकूल वैश्विक व्यापार अवसंरचना के निर्माण में भी योगदान देगा।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटने के लिए रणनीतिक बदलाव:** हूथी विद्रोही जैसे समूहों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता लगाना चाहिए। साथ ही, उनके प्रभाव से निपटने हेतु समुद्री सुरक्षा रणनीतियों में आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है।
- **वैश्विक सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय समूहों का लक्ष्य क्षेत्रीय समुद्री मार्गों में स्थिरता को बनाए रखना, चोक पॉइंट्स को सुरक्षित बनाना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विकास मॉडल तैयार करना होना चाहिए।
- **मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका:** एक प्रभावित पक्ष और बड़े व्यापारिक राष्ट्र के रूप में भारत को ईरान और इजरायल सहित मध्य-पूर्व में अलग-अलग देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हुए शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए।

प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट	
स्वेज नहर	**पनामा नहर**
• यह **मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर** को जोड़ने वाला एक **कृत्रिम समुद्री जलमार्ग** है। • **लंबाई- 193 किलोमीटर।** • यह **पूर्व और पश्चिम के बीच का सबसे छोटा मार्ग है।** • **व्यापार की मात्रा:** 2020 में **वैश्विक व्यापार का 12%** हिस्सा इसके जरिए संपन्न होता है। यह कुल वैश्विक कंटेनर यातायात का **30% हिस्सा** कवर करता है। • यह दुनिया के अनुमानित **7-10% तेल और 8% तरलीकृत प्राकृतिक गैस के परिवहन** को सक्षम बनाता है।	• यह एक **80 किलोमीटर लंबी** नहर है। यह **अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर** को आपस में जोड़ती है। • इसके प्रवेश और निकास द्वार पर **लॉक्स कम्पार्टमेंट** की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लॉक्स जल के स्तर को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। • पनामा नहर का स्वामित्व **पनामा गणराज्य** के पास है और वह इसका संचालन भी करता है। • **व्यापार की मात्रा:** वैश्विक व्यापार का लगभग 6% हिस्सा इस नहर के जरिए संपन्न होता है।

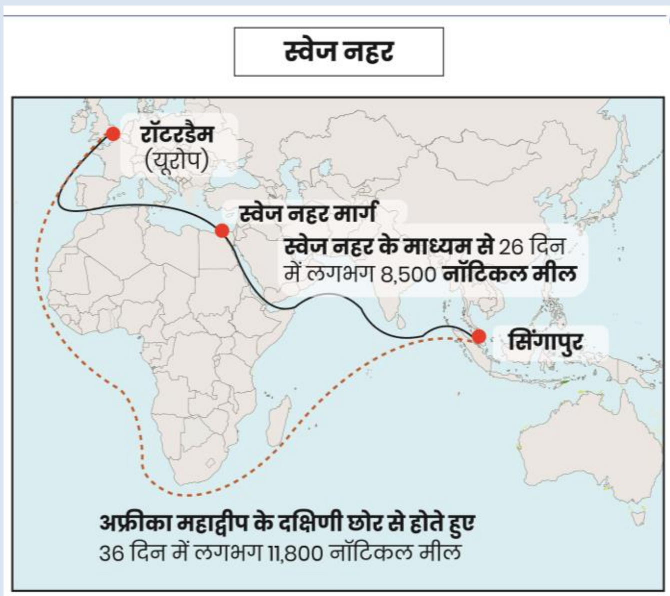

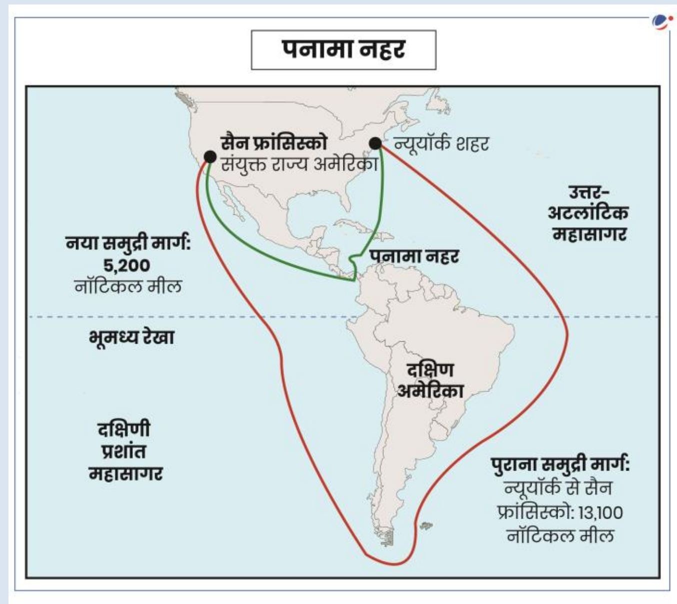

3.2.3. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (Great Nicobar Island Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विपक्ष ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) के समग्र विकास संबंधी परियोजना को दी गई सभी मंजूरियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।

इस परियोजना के बारे में

- इस परियोजना में **एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र, दो ग्रीनफील्ड शहर** आदि शामिल हैं।
- इस परियोजना का विरोध **शोम्पेन जनजाति** (वन और वन्य जीवों पर निर्भर एक आदिम जनजाति) और **ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व** (एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंताओं के कारण किया जा रहा है।
- हालांकि, इन परियोजनाओं को भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत को अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता स्थापित करने और अपने प्रभाव एवं रूतबे को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

भारत की सुरक्षा में अंडमान और निकोबार का महत्त्व

- **समुद्री रक्षा की पहली पंक्ति:** ये द्वीप म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं।
  - GNI में बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों के माध्यम से, भारत संभावित हमलावरों को रोक सकता है और विशाल समुद्री विस्तार पर शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है।
- **समुद्री डोमेन संबंधी सतर्कता:** निगरानी सुविधाओं के साथ द्वीप पर स्थिति चौकियों की मदद से शत्रुतापूर्ण जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करके उचित कार्रवाई द्वारा समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है।
- **समुद्री चोकपॉइंट्स पर नियंत्रण:** इन द्वीपों की अवस्थिति भारत को मलक्का जलडमरुद्ध पर नज़र रखने और संभावित रूप से नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है, जो व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।
- **विदेशी शक्ति के एकीकरण का मुकाबला:** विदेशी शक्तियों ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में बंदरगाह निर्माण जैसी अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए- भारत को घेरने के लिए चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पहल।
- **आपदा कार्रवाई संबंधी क्षमताएं:** बेहतर अवसंरचना क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति कार्रवाई करने की भारत की क्षमता को बढ़ा सकती है। सॉफ्ट पावर का यह पहलू क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधों को बेहतर बना सकता है।

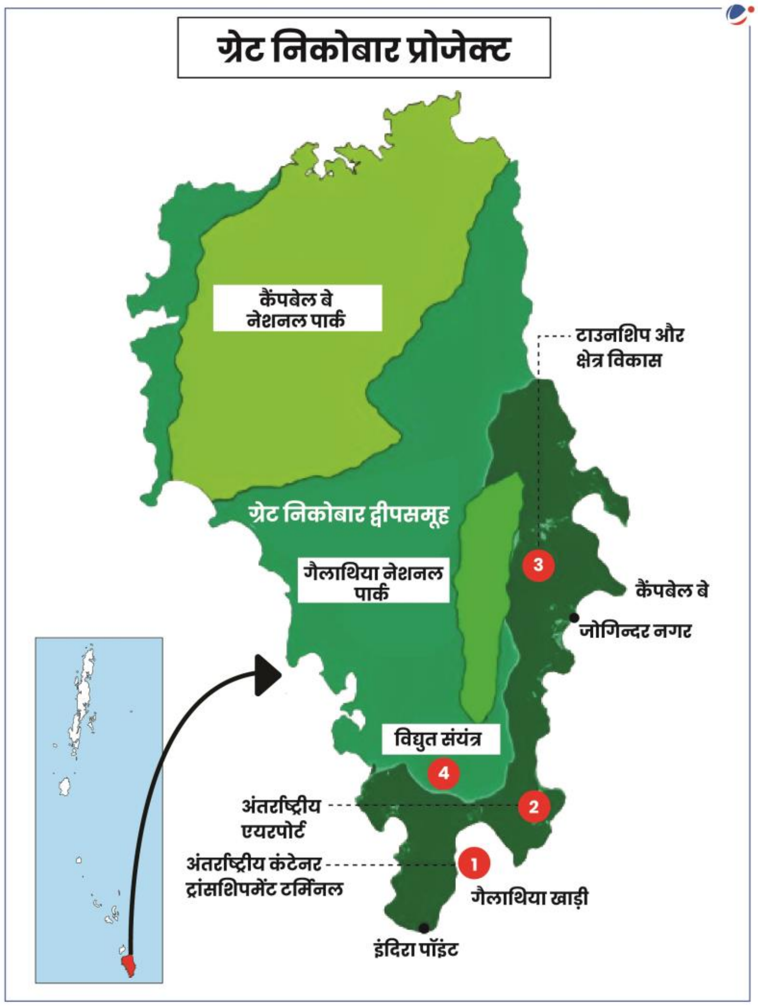

अंडमान और निकोबार के विकास से जुड़ी चुनौतियां

- **पश्चिमी हिंद महासागर के प्रति ऐतिहासिक चिंताएं:** पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारत का ध्यान पश्चिमी हिंद महासागर पर केंद्रित रहा है। इससे भारत की सुरक्षा योजना में पूर्वी हिंद महासागर (जैसे- ANI) की उपेक्षा हुई है।
- **समुद्री दूरस्थता:** उदाहरण के लिए- GNI (अंडमान और निकोबार समूह का सबसे दक्षिणी भाग) इंडोनेशिया से मात्र 140 कि.मी. दूर है, लेकिन चेन्नई से लगभग 2,000 कि.मी. दूर है।
- **पर्यावरणीय विविधता:** इस द्वीप समूह में ओंग, जारवा, शोम्पेन जैसे PVTGs और विभिन्न विदेशज वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं।
- **भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता:** ये द्वीप भूकंपीय जोन-V के तहत आने वाले क्षेत्र में स्थित हैं।
- **नेबरहुड की धारणा:** मलेशिया और इंडोनेशिया सहित कुछ अन्य देश भारत द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास को इस क्षेत्र पर हावी होने के प्रयास के रूप में देखते हैं।

अंडमान और निकोबार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई पहल

- **2001:** अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) की स्थापना की गई, जो तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान है।
- **2015:** द्वीपों को समुद्री केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1,00,000 मिलियन रुपये की योजना की घोषणा की गई।
- **2020:** चेन्नई-अंडमान और निकोबार जलमग्न इंटरनेट केबल का उद्घाटन किया गया।
- **2018:** ANI और सबंग के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भारत-इंडोनेशिया टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- **अन्य पहल:** भारत अंडमान सागर में चीनी पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए जापान-अमेरिका 'फिशहुक' साउंड सर्विलांस सिस्टम में भाग लेता है।

आगे की राह

- **निष्पक्ष समीक्षा:** परियोजना की गहन और निष्पक्ष समीक्षा, जिसमें संभवतः संसदीय समितियां भी शामिल हों, आवश्यक है।
- **सुरक्षा संबंधी पृथक नज़रिया:** सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को परियोजना के विकास संबंधी पहलुओं से स्वतंत्र रूप से देखा जाना जाना चाहिए।

© Vision IAS

* **विकास के लिए वैकल्पिक स्थान:** इस पैमाने पर पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी और नृजातीयता संबंधी क्षति के जोखिम के बिना परियोजना के लिए लिटिल निकोबार और कामोर्टा जैसे निकोबार समूह के अन्य द्वीपों की संभावना को तलाशना चाहिए।

निष्कर्ष

1945 में सरदार के.एम. पणिक्कर ने चेताया थी कि, "हिंद महासागर पर सक्रिय नियंत्रण और तटरेखा की रक्षा तभी संभव है जब द्वीपों को एडवांस बेस के रूप में विकसित किया जाए। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की अवस्थिति बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण सुरक्षित करने के लिए सबसे बेहतर है।" यह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विकास के रणनीतिक महत्त्व को उजागर करता है।

3.2.4. इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीज़न (Information Fusion Centre for Indian Ocean Region: IFC-IOR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IFC-IOR ने अरब सागर में **हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज एम. वी. रूएन की मदद** की है।

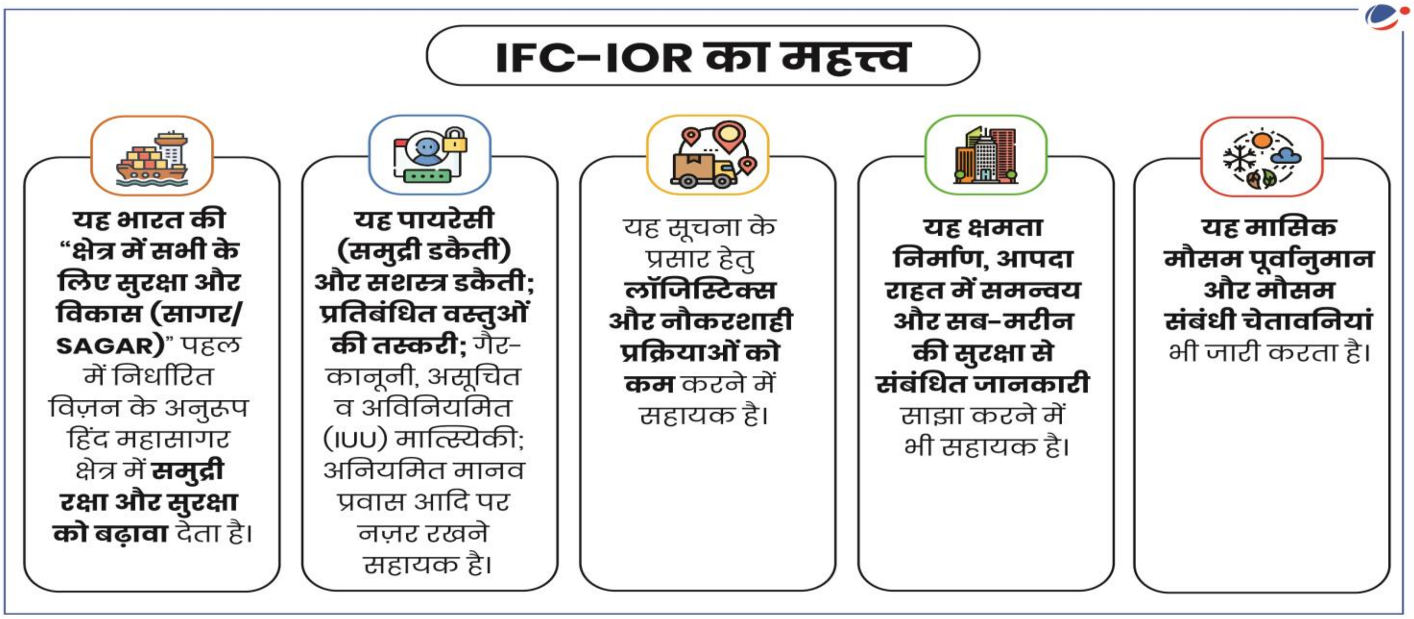

IFC-IOR के बारे में

* **उत्पत्ति:** IFC-IOR की **स्थापना 2018** में हुई थी। यह **सूचना प्रबंधन व विश्लेषण केंद्र (IMAC)**[22] **में अवस्थित** है। इसकी मेजबानी **भारतीय नौसेना** द्वारा की जाती है।
    * IMAC की स्थापना **2014** में की गई थी। यह **गुरुग्राम** में अवस्थित है। भारत ने 26/11 के हमले के तुरंत बाद, **IMAC** की स्थापना के लिए हिंद महासागर के देशों को एक साथ लाया था।
    * IMAC को **भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल** द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता है।
* **उद्देश्य: व्हाइट शिपिंग समझौतों** का उपयोग करके एक साझे सुसंगत समुद्री स्थिति परिदृश्य का निर्माण करके क्षेत्र में **समुद्री सुरक्षा को मजबूत** करना।
    * व्हाइट शिपिंग समझौते के तहत **वाणिज्यिक असैन्य व्यापारी जहाजों** के बारे में जानकारी साझा की जाती है।
* **कवर किया गए क्षेत्र:** हिंद महासागर क्षेत्र और निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र।
    * IFC-IOR में **12 साझेदार देशों के इंटरनेशनल लायजन अधिकारी (Liaison Officers) तैनात** रहते हैं। इनका उद्देश्य **बेहतर सहयोग करना, प्रासंगिक सूचना तैयार करना और समय पर सूचना संबंधी इनपुट** प्रदान करना है। इसके **ये 12 साझेदार देश हैं-** ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
* **चार सेक्टर:** गिनी की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशिया।

---
[22] Information Management and Analysis Centre

© Vision IAS

- **मेरीटाइम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप (MISW):** यह IFC-IOR का प्रमुख मंच है। यह **प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित करता है। इसमें बड़ी संख्या में देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

IFC-IOR भारत के विदेश संबंधों को कैसे मजबूत करता है?

- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत के रणनीतिक साझेदारों जैसे **संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस** आदि ने अपने अंतर्राष्ट्रीय लायजन अधिकारियों को **गुरुग्राम** स्थित केंद्र में तैनात किया है।
- **पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना:** यह कार्य सूचना-साझाकरण ढांचे के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए **श्रीलंका के तटीय निगरानी रडारों को IFC-IOR में एकीकृत** किया जा रहा है।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** IFC-IOR समुद्री सुरक्षा से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बना कर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।
  - भारत **श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स में 32 तटीय निगरानी रडार स्टेशन** विकसित कर रहा है। ये सभी IFC-IOR को डेटा प्रदान करेंगे।

IFC-IOR के समक्ष कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

- **जानकारी साझा करने में चुनौतियां:** जैसे मानकीकरण, डुप्लिकेट प्रयासों और अलग-अलग संगठनात्मक स्वरूपों से जुड़े मुद्दे। इससे एकीकृत परिचालनात्मक परिदृश्य के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।
- **डेटा संलयन (Fusion) और विश्लेषण:** सदस्य देशों को क्षेत्र से बाहर के प्रभावों पर काबू पाने और घरेलू राजनीतिक प्रेरणाओं को संबोधित करने के लिए सूचना की समझ विकसित करने में कठिनाई आती है।
- **विश्वास और समन्वय से संबंधित मुद्दे:** बहुपक्षीय सहयोग को अक्सर प्रतिबंधित समन्वय दायरे का सामना करना पड़ता है। साथ ही, डेटा को समान रूप से साझा करने की अनिच्छा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी झेलना पड़ता है।

आगे की राह

- **पारस्परिक तैनाती:** भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय लायजन अधिकारियों को अन्य देशों के केंद्रों में भी तैनात करना चाहिए।
- **समन्वय और मानकीकरण को सक्षम करना:** वैश्विक स्तर पर सूचना-साझाकरण पैटर्न को मानकीकृत करने और प्रयासों के दोहराव को कम करने के लिए सहयोगी व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं।
- **निरंतर विस्तार:** इस पहल को और अधिक वैश्विक चरित्र देने के लिए, इसे हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर और बाहर अधिक देशों के साथ अपने सूचना-साझाकरण का विस्तार करना चाहिए।
- **उन्नत समुद्री निगरानी:** सतही स्तर पर ग्रे शिपिंग (सैन्य) और डार्क शिपिंग (पहचान-छिपे हुए जहाजों) को कवर करने के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA)[23] को बढ़ाना चाहिए।

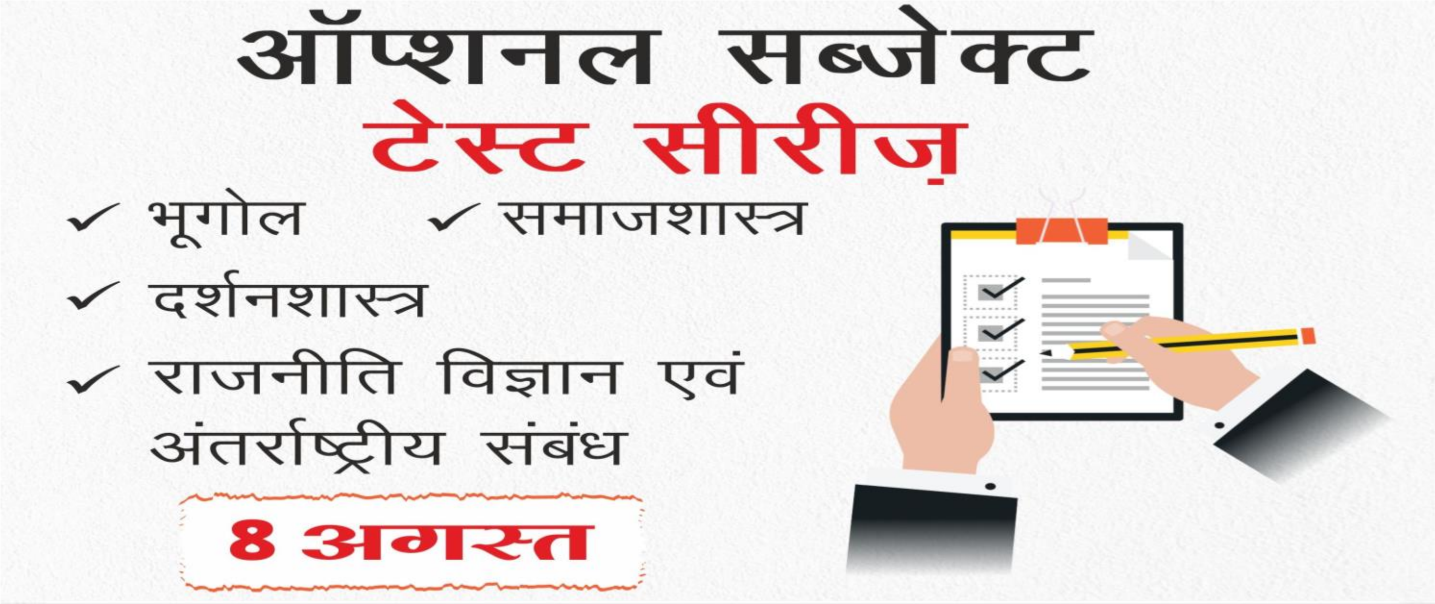

[23] Maritime Domain Awareness

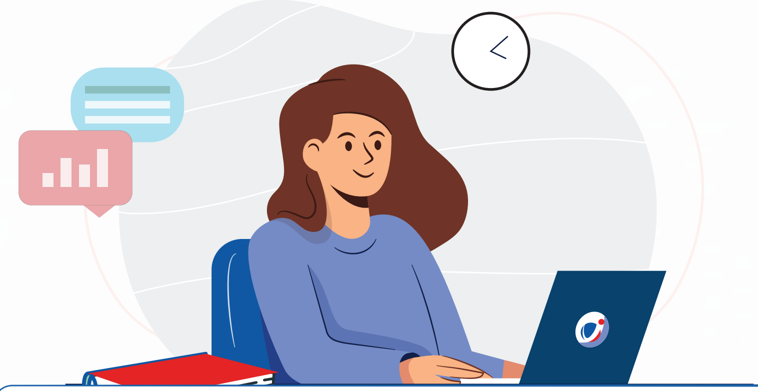

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टेंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. सुरक्षा बल (Security Forces)

4.1. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernisation)

4.1.1. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Armed Forces)

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण: एक नज़र में

- सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **प्लेटफार्मों, प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण** शामिल है।
- यह **खतरे की आशंका, परिचालन संबंधी चुनौतियों** और तकनीकी परिवर्तनों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। इसमें सशस्त्र बलों को सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखा जाता है।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **चुनौतीपूर्ण सामरिक परिवेश** बना हुआ है, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति।
- विमान, पनडुब्बी जैसे **उपकरणों की अपर्याप्त संख्या** आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बढ़ा देती हैं। वर्तमान में केवल 2 विमान वाहक युद्धपोत परिचालन में हैं जबकि भारत को कम–से–कम ऐसे 3 युद्ध पोतों की आवश्यकता है।
- **युद्ध के तेजी से बदलते प्रकार,** जैसे– साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध आदि।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए कदम, जैसे**– रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020; सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL), सृजन (SRIJAN) पोर्टल, ADITI योजना, iDEX आदि।
- **टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम:** विशेष रूप से नए स्टार्ट–अप, MSMEs और शिक्षाविदों के लिए तैयार की गई है।
- **रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त जुटाना:** स्वचालित मार्ग के तहत 74% और सरकारी अनुमोदन मार्ग के जरिए 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
- **अंतरिक्ष युद्ध** की स्थिति से निपटने हेतु **मिशन डेफ़ स्पेस** (अंतरिक्ष क्षेत्र में), **मिशन शक्ति** (एंटी–सैटेलाइट संबंधी क्षमता), आदि।
- शीघ्र निर्णय लेने के लिए **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन।**

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया:** उत्पादन और अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लगभग 7 से 9 वर्ष लगते हैं।
- **बजट आवंटन से संबंधित मुद्दे:** रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए अपर्याप्त आवंटन, क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय में चला जाता है।
- **तकनीकी सीमाएं:** महत्वपूर्ण भागों के डिजाइन/ निर्माण में विशेषज्ञता का अभाव।
- **भविष्य के युद्ध की तैयारी: साइबर और अंतरिक्ष युद्ध जैसे भविष्य के युद्ध की प्रकृति** पर सीमित चर्चा।

आगे की राह

- रामा राव समिति द्वारा सुझाए गए **उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
- रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए **शेकटकर समिति की सिफारिशों** को लागू करना।
- **नॉन–लैप्सेबल रक्षा आधुनिकीकरण कोष (15वें वित्त आयोग) को क्रियान्वित करना।**
- **निजी क्षेत्रक को सहयोग प्रदान करना चाहिए।** प्रगति में तेजी लाने के लिए 5 Is **(आइडेंटिफाई, इनक्यूबेट, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंडीजेनाइज़)** की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- **उद्योग–रक्षा–अकादमिक जुड़ाव का विकास** किया जाना चाहिए।
- एक सक्षम घरेलू सैन्य औद्योगिक आधार विकसित करने के लिए **'मेक इन इंडिया' पहल को पुनः बढ़ावा देना।**

4.1.2. रक्षा निर्यात (Defence Export)

रक्षा निर्यातः एक नज़र में

रक्षा निर्यात

- **SIPRI** के अनुसार, **भारत 2023 में अमेरिका, चीन और रूस के बाद रक्षा पर व्यय करने वाला चौथा शीर्ष देश** बन गया।
- वित्त वर्ष 2023–24 में **रक्षा निर्यात** लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का किया गया। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में **32.5%** की वृद्धि दर्ज की गई। भारत **2024– 25 तक** अपने **5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात राजस्व** के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।

भारत से रक्षा निर्यात

- **ग्लोबल फुटप्रिंटः** भारत **शीर्ष 25 हथियार निर्यातकों** में शामिल है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24)। **तीन भारतीय कंपनियां वर्ष 2023 की रैंकिंग में शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में शामिल थीं।** ये शीर्ष कंपनियां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), मझगांव डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) हैं।
- निजी क्षेत्रक ने **रक्षा निर्यात में लगभग 60% का योगदान** दिया है। रक्षा निर्यात का लगभग **40%** सार्वजनिक क्षेत्रक के रक्षा उपक्रमों (DPSUs) के माध्यम से किया गया।
- **निर्यात किए गए प्रमुख रक्षा उपकरणः** बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो आदि हैं।

चुनौतियां

- **लालफीताशाहीः DPSU's** की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए, HAL ने सुखोई–30 MKI विमान के उत्पादन में काफी अधिक समय लगाया।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी मुद्देः** भारतीय रक्षा उद्योग कुछ ऐसे हथियार प्लेटफॉर्म (टैंक T–90, Su–30 लड़ाकू विमान आदि) का विनिर्माण कर रहा है, जिनका IPR मूल विदेशी उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) के पास है।
- **अत्यधिक प्रतिस्पर्धाः** मलेशिया ने **भारत के LAC तेजस लड़ाकू जेट की तुलना में दक्षिण कोरिया के LCA को प्राथमिकता** दी।
- **अन्य मुद्देः** डिजाइनिंग और विकास क्षमताओं का अभाव (विशेषकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में), उद्योग–शिक्षा–रक्षा जुड़ाव का अभाव आदि।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **वित्त जुटानाः** स्वचालित मार्ग से **74% FDI** और सरकारी अनुमोदन के माध्यम से **100% FDI** की अनुमति।
- **रक्षा अनुसंधान एवं विकासः** रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का **25%** हिस्सा देश में **रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास** को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है।
- **स्वदेशी रक्षा उद्योग को बजटीय सहायताः** वित्त वर्ष 2023–24 में रक्षा **पूंजी खरीद बजट** का **75%** घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है।
- **निवेश संवर्धन और इज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB): रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण,** एक पूरी तरह से एंड–टू–एंड ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रमाणीकरण अनुमति प्राप्त करना और उसे संसाधित करना है।
- **विदेश मंत्रालय की विशेष भूमिकाः** मंत्रालय रक्षा उत्पादों को आयात करने हेतु अफ्रीकन देशों के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है।

आगे की राह

- रक्षा क्षेत्र से संबंद्ध प्रतिनिधियों (Defence Attaches) की भूमिका बढ़ाकर **नए बाजारों**, विशेष रूप से विकासशील देशों **पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।**
- **DefExpo 2024** जैसी पहलों के जरिए रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- **रक्षा निर्यात प्रोत्साहन/ सुविधा एजेंसी की स्थापना** की जानी चाहिए।
- **गुणवत्तापूर्ण आश्वासन और परीक्षण** अवसंरचना का विकास करना।
- रक्षा निर्यात के लिए गहन स्तर की **रक्षा कूटनीति** महत्वपूर्ण है।

4.1.3. सशस्त्र बलों में संयुक्त कार्य-संस्कृति (Joint Culture in Armed Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एक व्याख्यान देते हुए **CDS ने कहा** कि तीनों सेनाएं **जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर** बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में **तीनों सेनाओं में एक संयुक्त कार्य-संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता** है। उन्होंने इस **जॉइंट ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को "जॉइन्टनेस 2.0"** नाम दिया है।

एकीकृत थिएटर कमान (ITC) के बारे में

CDS ने कहा कि व्यावहारिक **एकीकृत थिएटर कमान (ITC)** के निर्माण के लिए **जॉइन्टनेस (संयुक्तता की भावना) और इंटीग्रेशन (एकीकरण)** पूर्व-आवश्यकताएं हैं।

- **थियेटराइजेशन:** इसमें **थल सेना, नौसेना और वायु सेना** का एकीकृत त्रि-सेवा संगठन बनाया जाता है। यह संगठन **एक भौगोलिक क्षेत्र में युद्ध अभियानों में संयुक्त ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार** होता है।
- **संयुक्तता की भावना:** इसके तहत **तीनों सेनाओं की परिसंपत्तियों को एक थिएटर कमांडर के अधीन** रखा जाएगा। यह ऑपरेशनल प्लानिंग में **संयुक्तता की भावना** सुनिश्चित करने हेतु टास्क पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- **कमान संरचना (Command Structure):** ऐसी एकीकृत कमानों का गठन **'ऑपरेशनल' कार्यों को रेज-ट्रेन-सस्टेन (RTS)** और अन्य प्रशासनिक कार्यों से जुड़े दायित्वों से अलग कर देगा।

भारत में सशस्त्र बलों की वर्तमान संरचना

- **मौजूदा कमानों की संख्या 19 है:**
  - **17 एकल-सेवा आधारित** कमान हैं। इनमें **थल सेना के 7, वायु सेना के 7 और नौसेना के तीन** कमान हैं।
  - **अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक बल कमान** त्रि-सेवा कमान के रूप में कार्य करती हैं।

एकीकृत थिएटर कमान (ITC) के निर्माण में चुनौतियां

- देश में **समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव** है।
- विशेष रूप से वायु सेना के पास और अलग-अलग भूमि-आधारित थिएटर्स, समुद्री थिएटर्स आदि के मामले में **संसाधन सीमित हैं।**

सशस्त्र बलों के एकीकरण के लिए किए गए उपाय

- **संस्थागत उपाय:**
  - **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** का पद बनाया गया है।
  - **रक्षा मंत्रालय** के तहत **सैन्य कार्य विभाग का गठन** किया गया है। इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण, स्टाफिंग आदि में जॉइन्ट्नेस को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

© Vision IAS

- **विधायी उपाय:** अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है।
- **अन्य उपाय:** मुख्यालय-एकीकृत डिफेंस स्टाफ कार्यालय (HQ IDS) के तहत **डिफेंस स्पेस एजेंसी** गठित की गई है।

4.1.4. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 {Inter-Services Organisation (Command, Control & Discipline) Bill, 2023}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस अधिनियम को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में संबंधित सेवाओं के रक्षा कर्मी **वायु सेना अधिनियम, 1950; थल सेना अधिनियम, 1950** और **नौसेना अधिनियम, 1957** के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
- **ISO के कमांडर: ISO के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं** दिया गया है।
  - परिणामस्वरूप, ISO में सेवारत कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है तथा इसे पूरा करने में अत्यधिक समय लगता है। साथ ही, यह वित्तीय लागत को भी बढ़ा देती है।
- **आवश्यकता:** इन स्थितियों में, ISO के इन अधिकारियों को उनकी कमान के तहत सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता को बल मिला है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- **अंतर-सेवा संगठन (ISO) को परिभाषित करना:** इसे संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के एक ऐसे दल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें वायु सेना अधिनियम, 1950; थल सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल हैं।
- **केंद्र द्वारा ISO का गठन:** विधेयक में ISO के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। यह अधिनयम **ISOs के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड** को **उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा-कर्मियों** के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों।
- **केंद्र सरकार का अधीक्षण: ISO का अधीक्षण** करने का प्राधिकार **केंद्र सरकार** को प्राप्त होगा। सरकार ऐसे संगठनों को **राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या जनहित के आधार** पर निर्देश भी जारी कर सकती है।
- **किन पर लागू:** आर्मी, नौसेना और वायु सेना के सभी कार्मिकों तथा केंद्र द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के कार्मिकों पर।
- **मामलों का शीघ्र निपटान और व्यापक एकीकरण:** किए गए प्रावधान से मामलों के निपटान में तेजी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों के बीच बेहतर एकीकरण एवं जॉइंटमैनशिप (थिएटराइजेशन) को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अधिनियम का महत्त्व: मामलों का शीघ्र निपटान करना, एक से अधिक कार्यवाहियों से बचना, वित्तीय बोझ को कम करना, तथा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता सुनिश्चित करना।

4.1.5. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पुलिसिंग संबंधी शक्तियां {Policing Power to Central Armed Police Forces (CAPFs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंजाब सरकार ने **संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत** केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। इस मुकदमे में केंद्र सरकार द्वारा **सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कामकाजी अधिकार-क्षेत्र[24] को बढ़ाने के फैसले को चुनौती** दी गई है।

---

[24] Operational jurisdiction

अन्य संबंधित तथ्य

- BSF के कामकाजी क्षेत्राधिकार को बढ़ाने हेतु **गृह मंत्रालय** ने अक्टूबर 2021 में एक **अधिसूचना** जारी की थी। यह अधिसूचना **सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139(1)** के तहत जारी की गई थी। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसी अधिसूचना की **संवैधानिक वैधता को चुनौती** दी है।
- वर्तमान अधिसूचना को जारी कर केंद्र सरकार ने **पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम** में BSF के अधिकार-क्षेत्र को **बढ़ाया** है। अब इन तीनों राज्यों में BSF का कामकाजी अधिकार-क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अंदर की ओर **15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर** कर दिया गया है। साथ ही, **गुजरात** में इसके कामकाजी अधिकार-क्षेत्र के दायरे को **80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर** कर दिया गया है।
- इस मामले में अब **सुप्रीम कोर्ट** यह आकलन करेगा कि BSF के कामकाजी क्षेत्राधिकार में हुई वृद्धि **BSF अधिनियम की धारा 139 के तहत "भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं" का अतिक्रमण करती है या नहीं।**

CAPF के बारे में

- वर्तमान में **7 अलग-अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय (MHA)** के अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यरत हैं।
- **ये 7 बल निम्नलिखित हैं:**

बल	उद्देश्य/ सौंपे गए कार्य
सशस्त्र सीमा बल (SSB)	• इसका गठन **1963 में भूटान और नेपाल से लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा** के लिए किया गया था।
सीमा सुरक्षा बल (BSF)	• इसका गठन **1965** में किया गया था। यह **पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा** करता है। • यह **नक्सलरोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान,** आपदा प्रबंधन और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में भी योगदान करता है।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)	• इसे **भारत-चीन सीमाओं** की सुरक्षा के लिए **1962 में गठित** किया गया था।
असम राइफल्स (AR)	• इसे ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा के लिए **1835 में 'कछार लेवी'** के रूप में गठित किया गया था। हालांकि, **1917** में इसका नाम बदलकर "असम राइफल्स" कर दिया गया। • यह **भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा** करता है।
केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)	• इसे **विधि के शासन, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठित** किया गया था।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)	• इसे कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए **1969 में गठित** किया गया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)	• विविध आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल के निर्माण हेतु इसे **1986 में गठित** किया गया था।

CAPFs को पुलिसिंग संबंधी शक्तियां

- **BSF को पुलिसिंग संबंधी शक्तियां पहली बार 1969** में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत दी गई थी। इसके बाद 1973 और 2014 में आधिकारिक अधिसूचनाओं के तहत क्रमिक समायोजन (Adjustments) किए गए थे।
- **सशस्त्र सीमा बल (SSB)** को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकार दिए गए हैं। SSB को **भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व** सौंपा गया है।

अधिकार क्षेत्र के विस्तार के पीछे तर्क

- विभिन्न राज्यों में **BSF के ऑपरेशन में एकरूपता सुनिश्चित करना** और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना।
- **परिचालनात्मक कुशलता की आवश्यकता और पुलिसिंग संबंधी कार्यों में दक्षता बढ़ाना** ताकि पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराधों और अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।
- **ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना करना।**
- **सूचना एकत्रण और अग्रसक्रिय कार्रवाई हेतु।**

CAPFs को पुलिसिंग संबंधी शक्तियां प्रदान करने से उत्पन्न चुनौतियां

- **संघवाद से संबंधित चिंताएं:** राज्यों के अनुसार **कानून और व्यवस्था राज्य-सूची का विषय** है और BSF के अधिकार-क्षेत्र के विस्तार से इससे समझौता किया गया है। इसलिए, यह संघीय ढांचे के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करता है।
- **BSF के मुख्य कार्यों पर प्रभाव:** BSF के मुख्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है।
- **टर्फ वार का खतरा: राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय की कमी** है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित दो अलग-अलग बलों के समान अधिकार-क्षेत्र हो जाने के कारण संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
- **मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन:** पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना BSF के अधिकार-क्षेत्र के विस्तार के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि हो सकती है।

CAPFs के समक्ष समस्याएं

- **बड़ी संख्या में पदों (लगभग 83000) की रिक्तियां** मौजूदा सैन्य बलों पर बोझ उत्पन्न करती हैं।
- **तनाव प्रबंधन की कमी** के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित होती हैं।
- **सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति की दर में गिरावट:** सामान्यतः CAPFs में शीर्ष पदों पर IPS अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इससे सुरक्षा बलों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है।
- **मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का मौजूद न** होना।
- **खराब बुनियादी ढांचा** जैसे कि सीमा चौकियों (BOPs)[25] पर विद्युत का अभाव, कामकाजी परिस्थितियों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- **आधुनिक हथियारों की कमी और** इनकी खरीद प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है तथा इनकी खरीद में बहुत अधिक समय लग जाता है।
- **राज्यों की मांग:** राज्यों में कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य CAPFs पर अत्यधिक निर्भर हैं।

CAPFs के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **राज्यों में विशेष बल:** पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अपने मौजूदा पुलिस बल को सशक्त करना चाहिए।
- **प्रशिक्षण विधियों में नवी**नतम आवश्यकताओं के अनुसार **सुधार करना** चाहिए और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना चाहिए।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:** CAPFs में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और उनके लिए एक अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **अग्निवीरों को शामिल करना:** CAPFs में अग्निवीरों को शामिल करने हेतु उनके लिए निर्धारित 10% आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को सभी CAPFs में ठीक से लागू किया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण:** एक ऐसे दक्ष शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए, जो पदोन्नति में देरी, कार्मिकों के बीच टकराव का निपटान करने में सक्षम हो।
- **बल को तनाव मुक्त करना:** कार्मिकों के मनोबल और कल्याण में सुधार के लिए विशेष आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[25] Border Out Posts

4.1.6. रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी का समावेश (Technology Absorption in Defence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडियन आर्मी 2024 को **"ईयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन[26]"** के रूप में मना रही है।

प्रौद्योगिकी अंगीकरण या प्रौद्योगिकी समावेशन का क्या अर्थ है?

- इसका अर्थ है मौजूदा संरचनाओं में **प्रौद्योगिकियों की खरीद, अनुकूलन और एकीकरण** करना। ज्ञातव्य है कि मौजूदा संरचनाओं को **विरासत प्रणालियां** (Legacy systems) भी कहा जाता है।
- वर्तमान समय में, प्रौद्योगिकियों को अपनाना **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाइपरसोनिक हथियार, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों (Disruptive technologies) का समेकन** करने के समानार्थी है।

रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल

प्रौद्योगिकी	इस्तेमाल
स्वायत्त प्रौद्योगिकियां, जैसे- रोबोट और ड्रोन	**बार-बार दोहराए जाने वाले कार्य या हमला करने** जैसे खतरनाक कार्य करना।
ब्लॉक चेन, क्लाउड कंप्यूटिंग	**संचार और डेटा ट्रांसफर को** निर्बाध, सुरक्षित एवं तेज बनाना।
AI और बिग डेटा एनालिटिक्स	**निगरानी, टोही और सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने के लिए।**
नैनो-टेक्नोलॉजी	**सेल्फ रिपेयर होने और आप-पास के परिवेश में घुलमिल जाने वाले मटेरियल, स्मार्ट स्किन आदि का निर्माण करने में।**
नई हथियार तकनीक	• **डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (उच्च ऊर्जा शक्ति वाली लेजर और उच्च शक्ति वाली माइक्रोवेव संपन्न प्रणाली):** इसमें किसी लक्ष्य को नष्ट करने या बेअसर करने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। • **लोइटर मुनिशन (उदाहरण- कामिकेज़ ड्रोन):** इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। इन पर हथियार लगे होते हैं और टारगेट पर क्रैश लैंडिंग कर उसे नष्ट कर देते हैं।

भारत के लिए रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **सैन्य श्रेष्ठता:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी शक्तियां अपनी सेना में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के समावेशन को बढ़ाती जा रही हैं।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा को बनाए रखना:** भारत को 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित करना।
- **रक्षा बलों की संचालन क्षमता में वृद्धि:** अलग-अलग तकनीकों को अपनाने से सैनिकों को अलग-अलग **सामरिक कार्रवाइयों में शामिल करने** में भी मदद मिल सकती है।
- **रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना:** भारत सरकार ने **2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात** करने की आशा व्यक्त की है।

रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी को अपनाने में आने वाली चुनौतियां

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट पर कम खर्च:** रक्षा रिपोर्ट पर संसदीय स्थायी समिति (2023-24) के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर वास्तविक व्यय 18,669.66 करोड़ रुपये किया गया था। हालांकि, बजट में अनुमानित आवंटन 20,757.44 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।
- **रक्षा बजट पर अत्यधिक व्यय का दबाव:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की **खरीद और विकास में अत्यधिक शुरुआती लागत** के कारण रक्षा बजट पर दबाव पड़ता है।
- **आयात निर्भरता:** भारत एडवांस हथियारों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है।
- **नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में जटिलताएं:** नए रक्षा उपकरणों को मौजूदा रक्षा रणनीतियों में समेकित करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि रक्षा रणनीतियों के अप्रचलन तथा उपकरणों की लंबी सेवा अवधि एवं सुसंगतता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं।
- **प्रशासनिक मुद्दे:** समय-समय पर संगठनात्मक पुनर्गठन, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, असैन्य-सैन्य एकीकरण आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी सुभेद्यताएं:** साइबर और संचार उपकरणों के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताएं अपर्याप्त हैं। इसके कारण संचार उपकरणों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

[26] Year of Technology Absorption/ यानी प्रौद्योगिकी समावेशन/ अंगीकरण वर्ष

© Vision IAS

प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना:** यह योजना 2024 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में संशोधन (2022):** इस संशोधन के जरिये यह निर्धारित किया गया है कि रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बल की **आधुनिकीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू स्तर पर ही** की जाएगी, भले ही खरीद की प्रकृति कैसी भी हो।
- **प्रौद्योगिकी केंद्रित संगठनात्मक फ्रेमवर्क:** इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** जैसी संस्थाओं के प्रयासों को समकालिक बनाकर निर्मित किया गया है।
- **सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप (STEAG):** यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 6G नेटवर्क** जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है।
- **मिशन शक्ति {एंटी-सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट (A-SAT)}:** इसे DRDO ने विकसित किया है। इसने अंतरिक्ष क्षेत्रक में भारत की रक्षा क्षमता को प्रदर्शित किया है। यह बाह्य अंतरिक्ष में **'हिट टू किल' मोड** में देश की परिसंपत्तियों (उपग्रह आदि) की रक्षा करने में सक्षम है।
- **भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (2015-2030):** यह योजना अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए डोमेन और प्रौद्योगिकियों की पहचान करती है।
- **प्रोजेक्ट आकाशतीर:** इसे भारतीय थल सेना ने **स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली** के रूप में शामिल किया है।

आगे की राह

- **प्रोफेसर के. विजय राघवन समिति** की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। **इन सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **रक्षा विज्ञान व प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग की स्थापना** करनी चाहिए।
  - **रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** की स्थापना करनी चाहिए। इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होना चाहिए
  - DRDO की प्रयोगशालाओं के स्थान पर **राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला सुविधाओं** की स्थापना करनी चाहिए।
- **विनियामकीय और खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए:** इसके लिए दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना और प्रोसेसिंग के समय को कम करना चाहिए।
- **लागत के स्थान पर प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देनी चाहिए:** इससे एडवांस्ड और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के चयन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए:** ऐसा लाइसेंसिंग और विनियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, समान अवसर प्रदान करके और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके किया जा सकता है।
- **विशेषज्ञ अधिकारियों और साइबर विशेषज्ञों जैसे विशेष कैडर का निर्माण करना चाहिए:** ऐसा विशिष्ट प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करके सिविल-सैन्य सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

4.1.7. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defense Research and Development Organization: DRDO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने **प्रोफेसर के. विजयराघवन की अध्यक्षता में नौ सदस्यों वाली एक समिति** का गठन किया है। यह समिति DRDO के काम-काज की समीक्षा करेगी तथा इसके कार्यों को पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित करने के संबंध में सुझाव देगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- गौरतलब है कि निम्नलिखित कारकों के चलते DRDO में सुधार करना आवश्यक हो गया है:
  - DRDO **मिशन मोड परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है।** इसके परिणामस्वरूप, समय और लागत में भारी बढ़ोतरी होती है।
  - रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी ट्रिलेमा (उच्च गुणवत्ता, कम लागत और शीघ्र प्राप्ति) के समाधान की आवश्यकता ने भी **प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों के सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण** को जरूरी बना दिया है।

DRDO के अप्रभावी काम-काज हेतु उत्तरदायी कारण

- **सामंजस्य का अभाव:** ऐसी परियोजनाओं में जहां कई एजेंसियां शामिल होती हैं वहां अक्सर सामंजस्य का अभाव देखा जाता है। उदाहरण- **DRDO द्वारा स्वदेशी जेट इंजन कावेरी के निर्माण में विफलता के कारण LCA तेजस के विकास में देरी हुई।**
- **अलग-अलग समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार-बार बदलना:** परीक्षण चरण के दौरान अभियांत्रित (Engineered) प्रोटोटाइप में बदलाव की सिफारिश के कारण निर्धारित अवधि और लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है।

- अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्रयासों की निरर्थकता में बढ़ोतरी होती है। इससे 'मौजूदा प्रौद्योगिकियों या उपकरणों के दोबारा उपयोग' की संभावना बढ़ जाती है।
- **DRDO का नौकरशाहीकरण:** DRDO में परिणाम और निष्पादन की तुलना में प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है।
- **एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी:** इसमें निजी क्षेत्रक की भागीदारी सीमित है और रक्षा प्रौद्योगिकियों में कोई विशेषज्ञता नहीं रखने वाले सामान्य नौकरशाहों की मुख्य भूमिका बनी हुई है।
- इससे DRDO द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सीमित प्रभावशीलता का भी मुद्दा पैदा होता है।

के. विजयराघवन समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **नई रक्षा तकनीकी-औद्योगिक कंसोर्टियम (Defence Techno-Industrial Consortium: DTIC) संरचना का निर्माण:** इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण अवधारणा, रणनीति और संरचना को एकीकृत करना है।
  - सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक नवाचारों को पोषित करने हेतु **iDEX**[27] जैसे परिवेश को कंसोर्टियम के अधीन लाना चाहिए।
- एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में **रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद** की स्थापना की जानी चाहिए, जो क्षमता विकास योजना पर विशेष फोकस करे। इसमें प्रसिद्ध सैन्य नेतृत्वकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों, प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और उद्योगों के सहयोग से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रि-सेवा प्रभाग का गठन** किया जाना चाहिए। यह कदम **क्षमता विकास और रक्षा अनुसंधान एवं विकास के एकीकरण** की दिशा में रक्षा अनुसंधान के प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- **प्रक्रियात्मक उपाय:** कोई भी संशोधन/ सुधार, प्रोटोटाइप चरण में ही किया जाना चाहिए। उत्पादन स्तर पर संशोधन से बचना चाहिए।
  - किसी भी चूक से बचने के लिए कई एजेंसियों को शामिल करने वाली परियोजनाओं में **प्रभावी सिंक्रनाइज़ेशन तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिए।
  - **DRDO की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद** कर देना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में भू परिसंपत्ति प्राप्त होगी, जिसका मौद्रीकरण किया जाना चाहिए। इससे नवाचारों का वित्त-पोषण किया जा सकेगा।

[27] Innovation for Defence Excellence/ रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार

4.2. वैश्विक एजेंसियां (Global Agencies)

4.2.1. इंटरपोल (Interpol)

इंटरपोलः एक नज़र में

इंटरपोल के बारे में

- इंटरपोल एक **अंतर–सरकारी संगठन** है। इसमें **भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल** हैं।
- यह सदस्य देशों को **अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा** करने और **उन तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम** बनाता है। इसके अलावा यह कई प्रकार की तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करता है।
- **इंटरपोल नोटिस वस्तुतः** सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं जो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना साझा करने की अनुमति देते हैं। ये नोटिस जनरल सेक्रेटेरिएट (महासचिवालय) द्वारा जारी किए जाते हैं।
    - **नोटिस के प्रकार**– रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, इंटरपोल–UNSC स्पेशल नोटिस।
- **2023 में इंटरपोल की स्थापना के 100 वर्ष पूरे** हो गए। इसकी 91वीं महासभा के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते संगठित अपराध की चुनौती से निपटने के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए **वियना घोषणा–पत्र** को अपनाया गया था।
- **CBI**, भारत में इंटरपोल हेतु **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो** है।

इंटरपोल की उपलब्धियां

- **ID–ART मोबाइल ऐपः** यह चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने, तस्करी को नियंत्रित करने और चोरी की गई कलात्मक वस्तुओं व कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करने में सहायता करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों के खिलाफ समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए **इंटरपोल वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार रोधी केंद्र (IFCACC)** का गठन किया गया है।
- **ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2022**: सोशल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम धोखाधड़ी से निपटने में सदस्य देशों के प्रयासों को तेज करने हेतु, उदाहरण के लिए– 2024 में 257 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जब्त करना।
- **ऑपरेशन जैकलः** ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और पश्चिम अफ्रीकी सिंडिकेट से निपटने हेतु, उदाहरण के लिए– 2024 में 720 से अधिक बैंक खाते ब्लॉक करना।
- **ऑपरेशन नर्वोन (NERVONE)**: साइबर अपराध के खतरे से निपटने हेतु।

इंटरपोल के द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **प्रत्यर्पण (Extradition)**: प्रत्यर्पण में इंटरपोल की कोई भूमिका नहीं होती है। सदस्य देशों के बीच संपन्न द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से ही प्रत्यर्पण संभव होता है।
- **राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारियां**: उदाहरण के लिए– बेलारूस के राजनेता, यूक्रेन के राजनेता आदि की गिरफ्तारियां।
- **सीमा–पारीय, साइबर और संगठित अपराध का उद्भव,** उदाहरण के लिए– 2017 का वानाक्राई रैनसमवेयर हमला।
- **सदस्य देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता वैश्विक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में इंटरपोल के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।**
- **भ्रष्टाचार**: 2015 में, इंटरपोल की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जैसे निजी क्षेत्रक के संगठनों के साथ करोड़ों डॉलर के भ्रष्टाचार सौदों के लिए आलोचना की गई थी।

आगे की राह

- सदस्यों से आज्ञा के अनुपालन और निर्णयों का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु **शक्तियां प्रदान** की जानी चाहिए।
- एक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुलिस बल के रूप में एक अग्र–सक्रिय भूमिका के निर्वहन में स्वयं को सक्षम बनाने के लिए **इसे अपने संविधान में संशोधन** करना चाहिए।
- इसे उन लोगों से जुड़े **रेड नोटिस को निरस्त करना चाहिए जिन्हें शरणार्थी कन्वेंशन 1951** के अनुसार शरणार्थी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा इसे RNs की नियमित समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना चाहिए।

© Vision IAS

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. विविध (Miscellaneous)

5.1. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

5.1.1. पोखरण-I (Pokhran-I)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अपने पहले **परमाणु परीक्षण की 50वीं वर्षगांठ** मना रहा है। यह **परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण** में किया गया था। इसे **'स्माइलिंग बुद्धा'** ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा (पोखरण-I),** भारत का पहला परमाणु विस्फोट था। इसे एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (PNE)[28] कहा गया था। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट ऐसे परमाणु विस्फोट होते हैं, जिनका असैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
- इस तरह **P-5 देशों के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला भारत पहला देश** था।
  - ये P-5 देश हैं: **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस।**
- **महत्त्व:**
  - इस परीक्षण से **भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा** में बढ़ोतरी हुई थी।
  - इसने **परमाणु अनुसंधान में भारत के तकनीकी कौशल** को प्रदर्शित किया था।
  - यह **भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना** है।

[28] Peaceful Nuclear Explosion

इस परीक्षण के प्रभाव

- **भारत के साथ तकनीकी भेदभाव:** 1978 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने **परमाणु अप्रसार अधिनियम (NPA)**[29] लागू किया था। साथ ही, अमेरिका ने **भारत को किसी भी तरह की परमाणु सहायता देने पर रोक** लगा दी थी।
    - **उदाहरण के लिए:** 1991 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर इसका प्रभाव पड़ा था, क्योंकि **संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को मजबूर** किया था कि वह इसरो को **क्रायोजेनिक इंजन** प्रौद्योगिकी हस्तांतरित न करे।
- **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG), 1974:** इस समूह की स्थापना 1974 में हुई थी। इसे हथियार निर्माण के लिए परमाणु सामग्री के निर्यात को रोकने उद्देश्य से गठित किया गया था।
    - भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता और कच्चे माल के लिए **इस समूह की सदस्यता चाहता** है।
- **ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत:** भारत ने **परमाणु-सक्षम देश** के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि की। इस परीक्षण ने **1998 में पोखरण-II जैसे भविष्य के प्रयासों** के लिए आधार तैयार किया था। **पोखरण-II के बाद भारत ने 'नो फर्स्ट यूज पॉलिसी'** का पालन करने की भी घोषणा की थी।
- इसके अलावा, पोखरण-II के बाद **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु समझौते-123 पर हस्ताक्षर** किए थे।

निष्कर्ष

भारत ने अब तक परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि, अब विश्व ने भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।

5.1.2. वैश्विक परमाणु विनियमन (Global Nuclear Regulation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रूस की संसद ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)[30] के अनुसमर्थन को रद्द करने वाला एक विधेयक पारित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य **रूस को अमेरिका के समकक्ष लाना** है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका ने CTBT पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- रूस के इस कदम से यह चिंता जताई जा रही है कि वह यूक्रेन की सैन्य सहायता करने से पश्चिमी देशों को रोकने के लिए फिर से परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है।

परमाणु विनियमन (Nuclear regulations) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नियम

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)	• यह संधि दुनिया में **कहीं भी और किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण** या **किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट** पर प्रतिबंध लगाती है; भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है। भारत का तर्क है कि इस संधि में **निश्चित समय-सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने** के लिए **परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों (Nuclear-weapon States)** की प्रतिबद्धता को शामिल नहीं किया गया है।
परमाणु अप्रसार संधि (NPT), 1968	• इस संधि का उद्देश्य **परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित** करना है। यह तीन स्तंभों, यथा- परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित है। ○ भारत ने इस संधि को **पूर्वाग्रहों से ग्रसित** मानते हुए इस पर **हस्ताक्षर नहीं किए** हैं, क्योंकि यह संधि पूरी दुनिया को **"परमाणु शक्ति संपन्न (Nuclear haves)"** और **"परमाणु शक्ति से रहित (Nuclear have-nots)"** देशों में विभाजित करती है।

[29] Nuclear Non-Proliferation Act

[30] Comprehensive Test Ban Treaty

परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW)	• यह परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला **कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला बहुपक्षीय समझौता** है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास में योगदान नहीं देती है, और **न ही यह संधि नए मानक या मानदंड निर्धारित करती है।**
परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों (NWFZ)	• यह एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य **वैश्विक स्तर पर परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण मानदंडों को मजबूत बनाना** है। साथ ही, यह अवधारणा शांति और सुरक्षा की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करती है। ○ **वर्तमान में इसके तहत पांच क्षेत्रीय संधियां संपन्न की गई हैं:** ▪ पेलिंडाबा की संधि (अफ्रीका क्षेत्र के लिए),
मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime: MTCR)	• यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसके तहत उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है जो **सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)**[31] एवं उनके डिलीवरी तंत्र को बढ़ावा देते हैं।
विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (Fissile Material Cut-off Treaty: FMCT)	• यह एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह परमाणु हथियारों के **दो मुख्य घटकों के उत्पादन को प्रतिबंधित** करेगी। ये हैं- **उच्च समृद्ध यूरेनियम (HEU)**[32] **और प्लूटोनियम।**
बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty: OST)	• यह संधि अंतरिक्ष में **परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक** लगाती है।

वैश्विक परमाणु विनियमों की प्रभावशीलता

- **आम सहमति बनाना:** परमाणु दुर्घटनाओं आदि से होने वाले विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाव के लिए **IAEA द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानकों पर वैश्विक सहमति बनाई** गई है।
- **वैश्विक परमाणु भंडार में कमी:** 1980 के दशक के मध्य में वैश्विक परमाणु हथियार भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद से वैश्विक स्तर पर परमाणु शस्त्रागार में तीन-चौथाई से अधिक की कमी आई है।
- **शांतिपूर्ण उपयोग:** इसके तहत परमाणु सामग्रियों के सैन्य उद्देश्यों के स्थान पर शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण उपयोग के अंतर्गत बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।
- **परमाणु परीक्षणों का सीमित होना:** 21वीं सदी में परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है।
- **परमाणु दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तंत्र:** IAEA परमाणु दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आपातकालीन तैयारियों और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्षमता विकसित करने में मदद करती है।

वैश्विक परमाणु विनियमों की सीमाएं

- **अपर्याप्त सत्यापन प्रणाली:** इससे परमाणु सामग्रियों की अवैध तस्करी और परमाणु आतंकवाद की संभावना को लेकर चिंता बढ़ गई है।
  - IAEA की शक्तियां प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यक मात्रा की तुलना में कम हैं।
- **परमाणु प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति:** इसमें परमाणु रिएक्टर के नए डिजाइन तथा ईंधन चक्र शामिल हैं, जो नियामकों के लिए उभरते जोखिमों के साथ तालमेल बनाए रखने की चुनौतियां पैदा करते हैं।
- **संधियों का ठीक से पालन नहीं:** उदाहरण के लिए- ईरान NPT का एक पक्षकार होने के बावजूद कथित तौर पर कई वर्षों से गुप्त रूप से परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालित कर रहा है।
- **निरस्त्रीकरण पर कम ध्यान देना:** उदाहरण के लिए- NPT जैसी संधियों में पूर्ण निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।

[31] Weapons of Mass Destruction

[32] Highly enriched uranium

- **प्रौद्योगिकियों की दोहरी प्रकृति:** कुछ देश सभी सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और बाद में इसका प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए करने लगते हैं।
- **प्रतिबद्धता की कमी:** परमाणु हथियारों के रणनीतिक महत्त्व के कारण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र **परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण में कम रुचि लेते हैं।**
- **देशों के बीच विश्वास की कमी:** इससे परमाणु हथियारों के संबंध में राष्ट्रों के बीच प्रभावी समझौते करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बाधित होता है।

आगे की राह

- **IAEA के बजट को बढ़ाने** की आवश्यकता है। साथ ही, इसके बचाव संबंधी उपायों और सुरक्षा प्रणालियों में सुधार एवं कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - इससे IAEA उभरती चुनौतियों और तकनीकी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और उनके साथ ताल-मेल बिठा सकता है।
- **नई आवश्यकताओं के अनुरूप उन गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु हथियार नियंत्रण संधियों** पर चर्चा करने की आवश्यकता है जिनका उद्देश्य पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना है।
- **विखंडनीय परमाणु सामग्रियों के उत्पादन के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है,** ताकि उनका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा सके।
- **संयुक्त राष्ट्र की भूमिका** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की होनी चाहिए। यह संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों में उल्लेखित परमाणु हथियारों और सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

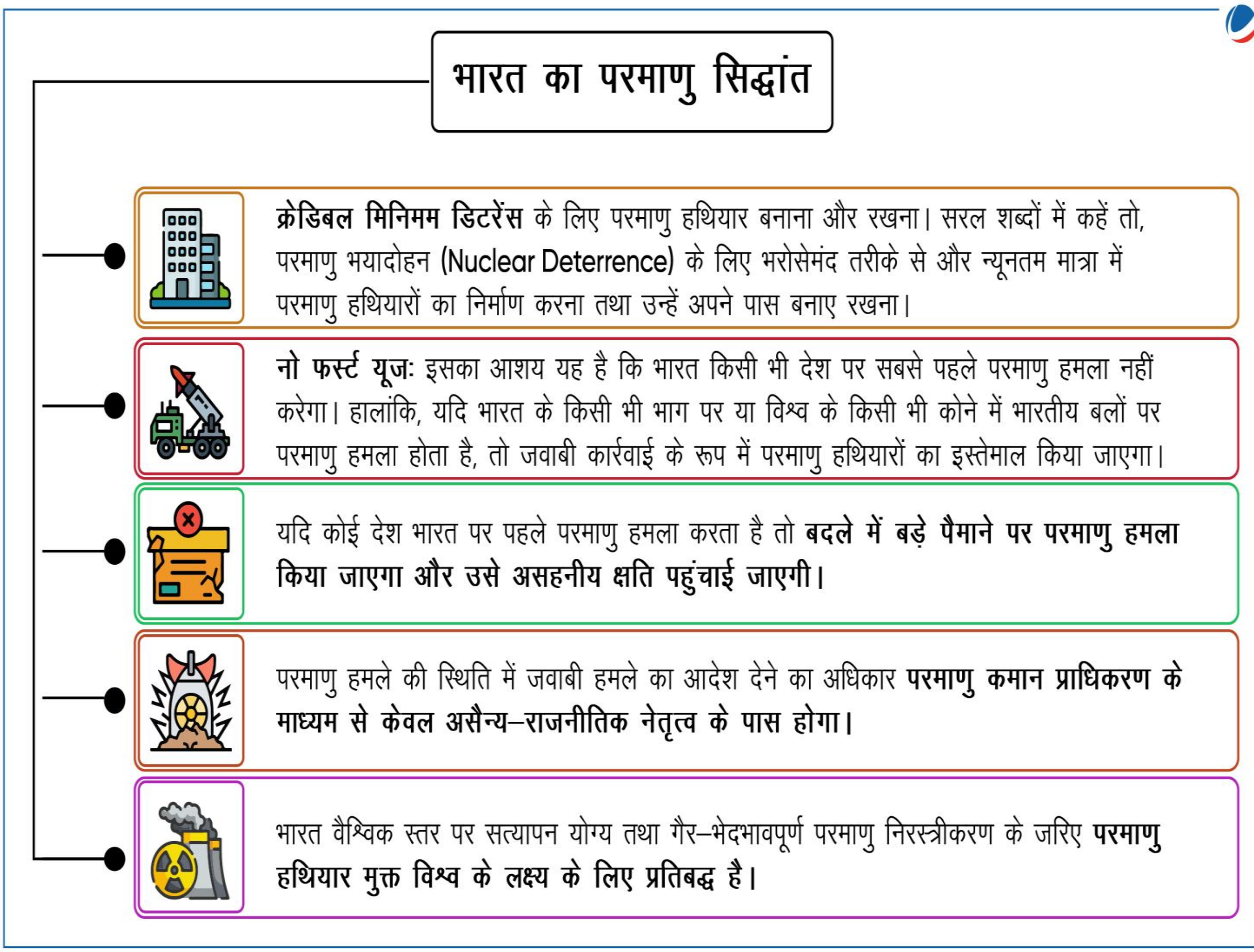

5.2. भारत में ड्रोन (Drones in India)

भारत में ड्रोनः एक नज़र में

भारत में ड्रोन

- मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft: UA) को आम बोलचाल की भाषा में ड्रोन कहा जाता है। यह यह एक ऐसा विमान होता है **जिसे पायलट के बिना संचालित किया (उड़ाया) जाता है।**
- **सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका**
  - रियल टाइम में निगरानी
  - सुरक्षा योजना, खोज और बचाव अभियान में
  - ड्रग्स/ नारकोटिक्स का पता लगाना

ड्रोन से जुड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताएं

- **राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा:** पंजाब सीमा पर **हथियारों और नशीले पदार्थों को गिराने के लिए ड्रोन का नियमित रूप से उपयोग** किया जाता रहा है।
- **पारंपरिक रडार सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं।** उदाहरण के लिए– एक छोटे से ड्रोन ने ब्रिटेन के सबसे बड़े युद्धपोत के डेक पर लैंडिंग की थी।
- यह **प्रौद्योगिकी आतंकवादी समूहों के लिए आसानी से सुलभ** है। यह उन्हें हवाई हमलों की क्षमता भी प्रदान करती है, जैसे– **ISIS द्वारा ड्रोन हमला।**
- पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत **सस्ते, सुगठित और छोटे होते** हैं। साथ ही, ये कहीं अधिक **विनाशकारी सिद्ध** हो सकते हैं। उदाहरण के लिए– सऊदी अरब के अरामको तेल संयंत्र पर ड्रोन हमला।
- **रिमोट ऑपरेशन:** इन्हें **दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।** इनका उपयोग करते हुए हमलावर खतरे से दूर रहता है।

ड्रोन को विनियमित करने और इससे जुड़े सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदम

- मानव रहित विमानन उद्योग के लिए नियमों के अनुपालन में आसानी तथा सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा।**
- **2019 में नागर विमानन मंत्रालय** ने ख़तरनाक ड्रोन से निपटने हेतु **नेशनल काउंटर रॉग ड्रोन दिशा–निर्देश** जारी किए थे।
- सरकार ने सुरक्षा बलों द्वारा **ड्रोन रोधी तोपों की तैनाती** के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं।
- **एंटी–ड्रोन सिस्टम:** DRDO द्वारा विकसित ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम (D4S) तकनीक।
- ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए **ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022** को अधिसूचित किया गया था।
- ड्रोन प्रबंधन के लिए DGCA द्वारा संचालित **डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म।**
- **ड्रोन बाजार का विनियमन** जैसा कि सरकार ने अनुसंधान और विकास तथा रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों को छोड़कर ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

© Vision IAS

आगे की राह

- ड्रोन को रखने और इसके उपयोग के संबंध में स्वीकार्य गतिविधियों की **सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की तत्काल आवश्यकता है।**
- **सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जो नवाचार को तो बढ़ावा दें,** लेकिन गोपनीयता के उल्लंघन और हवाई क्षेत्र के दुरुपयोग को भी रोक सकें।
- **मानवरहित विमान प्रणाली** (UAS) नियमों के तहत **UAS के वर्गीकरण में सुधार करना।** ये नियम प्रदर्शन आधारित होने के बजाए वजन के आधार पर वर्गीकृत हैं।
- सशस्त्र बल में ड्रोन को शामिल करने हेतु एक **प्रगतिशील दृष्टिकोण** का अनुसरण करना चाहिए।
- **पता लगाने की तकनीकः माइक्रो–डॉपलर रडार** ड्रोन का पता लगा सकता है और पक्षियों तथा ड्रोन में विभेद कर सकता है।

5.3. डिफेंस हेतु ड्रोन (Drones for Defense)

सुर्ख़ियों में क्यों?

DRDO[33] ने **"ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर"** का सफल परीक्षण किया है।

ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के बारे में

- यह एक प्रकार का **स्वदेशी उच्च गति वाला फ्लाइंग-विंग युक्त मानव रहित हवाई वाहन (UAV)** है।
  - यह **टेललेस कॉन्फ़िगरेशन वाला फिक्स्ड-विंग** आधारित विमान है। इसके मुख्य विंग्स में पेलोड रखने और ईंधन स्टोर करने की जगह होती है।
  - यह भविष्य में विकसित किए जा सकने वाले **मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों** का एक लघु आकार वाला संस्करण है।
- इसे DRDO के **वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान** ने डिजाइन और विकसित किया है।
- **ड्रोन** मानव निर्मित और नियंत्रित हवाई वाहन होते हैं। ये हवा में स्वयं से संचालित हो सकते हैं या व्यक्ति द्वारा रिमोट से संचालित किए जा सकते हैं। ये अपने साथ **घातक या गैर-घातक पेलोड्स** लेकर उड़ सकते हैं।

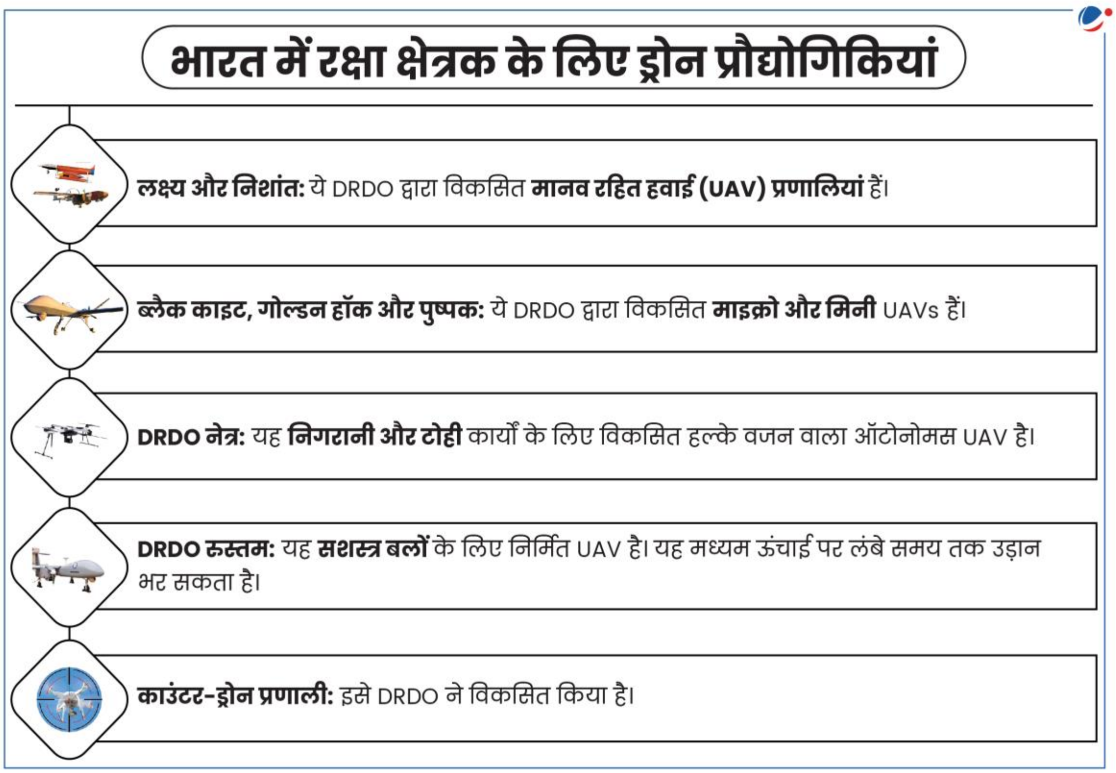

डिफेंस हेतु ड्रोन का महत्त्व:

- **खुफिया जानकारी एकत्र करने में:** शत्रु की सटीक स्थिति का पता लगाने में, इलाके की भौगोलिक स्थिति का सर्वेक्षण करने में और शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखने में इनका उपयोग किया जा सकता है।

[33] Defence Research & Development Organisation/ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

- **सटीक हमला:** ये ड्रोन सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस होते हैं। इनका दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **खोज और बचाव अभियान:** इनका खतरनाक या दुर्गम क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों का पता लगाने और राहत-बचाव अभियान चलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- इन्हें **आसानी से और तेजी से तैनात** किया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ये परिचालन संबंधी लचीलापन प्रदान करते हैं।
  - **रणनीतिक (Strategic)**: ये ड्रोन **ISR से संबंधित** रियल टाइम विजुअल्स और डेटा उपलब्ध कराते हैं। इससे शीघ्र **निर्णय लेने में मदद** मिलती है।
    - इनकी मदद से ऑपरेशन में शामिल कार्मिकों पर **खतरा कम** हो जाता है। साथ ही, पारंपरिक मानव चालित विमानों की तुलना में ये **किफायती** भी हैं आदि।
  - **सामरिक (Tactical):** ये **सटीक हमला** करते हैं। इससे प्रभावित लक्ष्य के **आस-पास कम नुकसान** होता है। ये दुर्गम इलाकों में कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय करने और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी उपयोगी हैं आदि।

भारत की ड्रोन के मामले में क्षमता के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव,** उदाहरण के लिए- भारत का अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय सकल GDP का 0.65% है, जो विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है (आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार)।
- **ड्रोन के लिए आवश्यक विभिन्न कल-पुर्जों के लिए स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं की कमी है,** जिसके कारण घरेलू विनिर्माताओं को अमेरिका, इजरायल आदि से आयातित सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **परीक्षण सुविधा की कमी से संगठनात्मक दक्षता कम हो जाती है और उपकरणों की लागत बढ़ जाती है।** उदाहरण के लिए- रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के अंतर्गत, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली (ड्रोन) कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है।
- **ड्रोन पायलटों,** सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, गुणवत्ता निरीक्षकों, सेवा इंजीनियरों और ड्रोन इंजीनियरों की देश में कमी है।

ड्रोन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई सरकारी पहलें

- **ड्रोन शक्ति योजना** शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ड्रोन उद्योग को संस्थागत बनाना और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है, जहां सभी हितधारक एक साथ काम कर सकें।
- ड्रोन और ड्रोन के घटकों के लिए **उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की गई है।
- स्टार्ट-अप्स तथा लघु और मध्यम आकार के उद्यमियों की मदद के लिए "**भारत की ड्रोन नियमावली, 2021** लागू की गई है।
- भारत **अमेरिका से MQ-9B स्काईगार्डियन ड्रोन** और **इजरायल से हर्मीस-900 ड्रोन** खरीद रहा है।
- **ड्रोन, डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय (D4 सिस्टम)।**
- iDEX पहल के तहत एंटी-ड्रोन **(वज्र प्रहरी प्रणाली)**।

GS मेन्स एडवांस कोर्स 2024
प्रारंभ: 28 जून | दोपहर 1 बजे
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
ENGLISH MEDIUM 2024: 8 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2024: 8 अगस्त
ENGLISH MEDIUM 2025: 11 AUGUST
हिन्दी माध्यम 2025: 11 अगस्त

5.4. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle (MIRV) Technology}

सुर्ख़ियों में क्यों?

DRDO ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। **यह स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट** किया गया। यह टेस्ट **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक** के साथ किया गया है। इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को **मिशन दिव्यास्त्र** नाम दिया गया है।

MIRV तकनीक के बारे में

- इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल **कई परमाणु हथियारों को** ले जा सकती थी। इन परमाणु हथियार को अलग-अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता था।
  - इस तकनीक के जरिए मिसाइल से अलग-अलग गति के साथ अलग-अलग दिशाओं में हथियार दागे जा सकते हैं।
- **पहला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका** MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था।
  - यह तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है।
  - पाकिस्तान ने 2017 में कथित तौर पर MIRV तकनीक से लैस अबाबील नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया था।
- **MIRVs** को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है।
  - दुश्मन की नजर में आने से बचने के लिए इन मिसाइलों को स्थल की बजाए पनडुब्बियों से दागना बेहतर विकल्प होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मिसाइलों को दागने वाली परमाणु पनडुब्बियों का पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है।

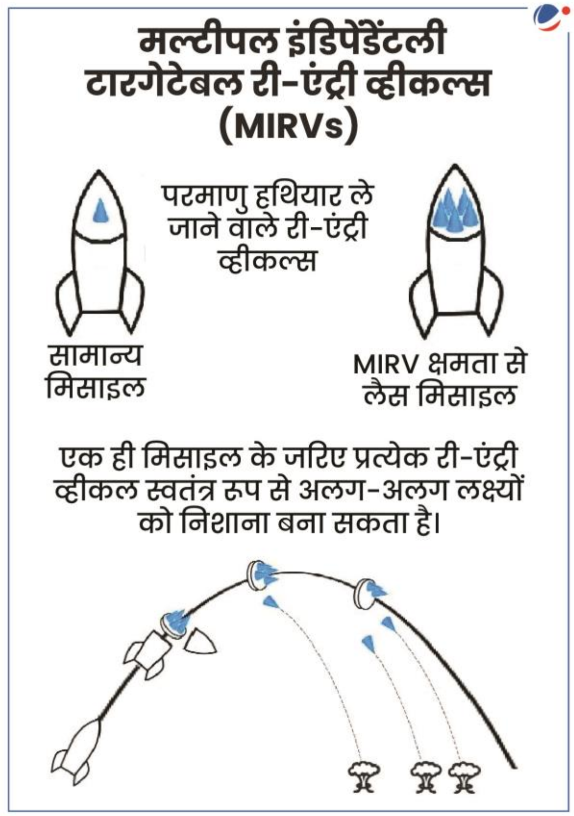

- हालांकि, MIRVs का उद्देश्य शुरू में **बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली को मात देना नहीं** था। फिर भी, पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में MIRVs से लैस मिसाइल से अपना बचाव करना कहीं अधिक कठिन होता है। इसलिए, इन्हें BMD को निष्प्रभावी करने वाले कारगर जवाबी उपायों के रूप में देखा जाता है।

MIRV तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

- **कमजोर पक्ष:** खास तौर से जमीन पर तैनात की गई MIRV मिसाइलें **सुभेद्य** हो सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों पर लगे कई वारहेड दुश्मन द्वारा हमले की स्थिति में असुरक्षित होते हैं।
- **हथियार बनाने की होड़:** MIRV मिसाइलों की मौजूदगी ने संकट के समय पहले हमला करके नुकसान पहुंचाने की संभावना को जन्म दिया है। इससे **हथियारों की होड़ और अस्थिरता,** दोनों बढ़ सकती है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके विकास ने और भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - छोटे आकार के हथियारों का विकास,
  - उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास,
  - अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ (जैसे- प्लूटोनियम) की आवश्यकता आदि।

5.5. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons: DEWs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) के क्षेत्र में काफी अधिक निवेश** किए हैं।

निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) के बारे में

- निर्देशित ऊर्जा हथियार ऐसे रेंज हथियार हैं, जो **लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से सकेंद्रित ऊर्जा** का उपयोग करते हैं। इससे दुश्मन के उपकरण, सुविधाओं और/या कर्मियों को अक्षम बनाने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने में मदद मिलती है।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियारों के उपयोग**
  - **सैन्य सुरक्षा:** आक्रमणकारी मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना; ड्रोन को निष्क्रिय करना और शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक्स को निष्प्रभावी करना।
  - **कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा:** गैर-घातक निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे माइक्रोवेव या लेजर का उपयोग **भीड़ नियंत्रण और सीमा सुरक्षा** के लिए किया जा सकता है।
  - **अंतरिक्ष संबंधी संचालन:** उपग्रहों को मलबे और उपग्रह-रोधी हथियारों से बचाने में सहायक हैं।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियारों के लाभ**
  - **पारंपरिक हथियारों के पूरक:** निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रकाश की गति से उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इससे वे **तेज और संभावित रूप से कम खर्चीले** होते हैं।
  - **लॉजिस्टिक्स का कम उपयोग:** निर्देशित ऊर्जा हथियार भौतिक गोला-बारूद की आवश्यकता को कम करते हैं।
  - **परिशुद्धता (Precision):** प्रकाश और निर्देशित ऊर्जा के अन्य रूप **गुरुत्वाकर्षण, हवा या कोरिओलिस बल से अप्रभावित रहते हैं,** जिससे **अत्यधिक सटीकता से लक्ष्य को भेदना संभव हो पाता** है।

  - **स्टील्थ:** दृश्यमान स्पेक्ट्रम से परे के स्पेक्ट्रम पर आधारित कई DEW **गुप्त तरीके और अदृश्य रूप से** काम करते हैं, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियारों से संबंधित चुनौतियां**
  - **तकनीकी सीमाएं:** उदाहरण के लिए- कोहरा और तूफान लेजर बीम की रेंज एवं गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।
  - **युद्धक्षेत्र में उपयोग:** वाइडर बीम युक्त निर्देशित ऊर्जा हथियार (हाई पॉवर माइक्रोवेव या मिलीमीटर वेव हथियार) **सभी तरह की परिसंपत्तियों को नुकसान** पहुंचा सकते हैं, चाहे वे स्वयं की हों या शत्रु की।
  - **नैतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** लोगों पर निर्देशित ऊर्जा हथियारों के **दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों** के बारे में अनिश्चितता के चलते इसके उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न खड़े हो गए हैं।
- **निर्देशित ऊर्जा हथियारों के विकास में भारत की स्थिति**
  - **डायरेक्शनली अन-रिस्ट्रिक्टेड रे-गन ऐरे (दुर्गा)-II परियोजना:** यह परियोजना 100 किलोवाट वाले हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार बनाने के लिए DRDO द्वारा शुरू की गई है।
  - **2kW निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) प्रणाली:** इसे ड्रोन जैसे नए खतरों से निपटने के लिए **भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड** द्वारा विकसित किया गया है।

 © Vision IAS

- **लेजर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (LASTEC):** यह DRDO की प्रयोगशाला है, जो निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित कर रही है।
- **एम्पियर लीनियर इंजेक्टर (KALI):** यह लंबी दूरी की मिसाइलों को टारगेट करने वाला लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर (Linear electron accelerator) है।

वैश्विक परिदृश्य

- **अमेरिकी रक्षा विभाग** DEWs पर, विशेष रूप से HELs (हाई एनर्जी लेजर्स) और HPMs (हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स) पर औसतन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर रहा है।
  - **कुछ तैनात किए गए DEWs में** HEL के साथ-साथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल-डैज़लर एंड सर्विलांस (HELIOS), हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम (HELWS) आदि शामिल हैं।
- कथित तौर पर रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल और चीन जैसे देश DEWs को विकसित करने की दिशा में अग्रसर हैं।

निष्कर्ष

अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और इसकी विशाल तकनीकी शक्ति से उत्पन्न लगातार खतरे को देखते हुए, भारत को अपनी रक्षा करने हेतु संभावित समाधान के रूप में DEWs के साथ, ऑटोनोमस और हाइपरसोनिक दोनों हथियारों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

6. परिशिष्ट: मुख्य तथ्य एवं आंकड़े (Appendix: Key Data and Facts)

परिशिष्ट: मुख्य तथ्य एवं आंकड़े

राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता

वामपंथी उग्रवाद

- **2010-2022 के बीच वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की कमी** आई है।
- **वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए की गई पहलें:** राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015); समाधान रणनीति; विशेष कार्यबल बस्तरिया बटालियन (CRPF); कौशल विकास केंद्र; ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल आदि।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए शुरू की गई पहलें
  - **सीमाओं पर बाड़ लगाना,** उदाहरण के लिए- त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगभग 95 प्रतिशत भाग पर बाड़ लगाई गई है।
  - **उड़ान 4.0** (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत पूर्वोत्तर हवाई मार्गों को प्राथमिकता।
  - **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** (राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि निर्यात क्षेत्र आदि) **के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में विकास।**
  - **बोडो शांति समझौता (2020),** कार्बी आंगलोंग शांति समझौता जैसे शांति समझौते।
  - **अन्य पहलें:** बांग्लादेश से कनेक्टिविटी के लिए मैत्री सेतु का निर्माण, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला **बोगीबील पुल,** आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि।

अवैध प्रवासन

- **अवैध प्रवासन को रोकने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें**
  - **'सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं' अभियान**
  - **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**
  - **फ्रांस** जैसे देशों के साथ **प्रवासन और गमनागमन साझेदारी समझौते**
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के तहत सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट**
  - **सीमा-पार संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC)** के तहत भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA)

- **AFSPA पर न्यायिक निर्णय**
  - **नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997) वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय दिया था कि,
    - किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक है
    - ऐसी घोषणाओं की प्रत्येक 6 माह के बाद समीक्षा की जानी चाहिए
  - **एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य वाद (2016)** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **सेना के जवानों द्वारा अपराध किए जाने पर भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अभियोजन से पूर्ण छूट** का कोई प्रावधान नहीं है।

© Vision IAS

	AFSPA से संबंधित विभिन्न समितियां - **न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी समिति (2005):** समिति ने AFSPA को घृणा और उत्पीड़न का प्रतीक बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। UAPA, 1967 में AFSPA को शामिल करने की सिफारिश की गई। - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट (2007):** पूर्वोत्तर के लोगों में भेदभाव और अलगाव की भावना दूर करने के लिए, इसमें **AFSPA को हटाने** की सिफारिश की गई। - **संतोष हेगड़े समिति (2013):** 1979 से मणिपुर में हुयी एनकाउंटर किलिंग की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया।

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरे

साइबर सुरक्षा

- **विश्व साइबर अपराध सूचकांक (2024) में भारत** प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में **10वें स्थान** पर है।
- कोविड-19 महामारी के बाद से **साइबर हमलों की संख्या लगभग दोगुनी** हो गई है।
- जनवरी 2020 से जून 2023 तक भारत में घटित साइबर अपराधों में 75% हिस्सा वित्तीय धोखाधड़ी का है (फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार)।
- **साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र:** साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत (2024), साइबर स्वच्छता केंद्र (CSK), भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (I4C), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) आदि।

महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII)

- सरकार **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) की धारा 70 के तहत** CII की घोषणा करती है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) आदि।
- केंद्र ने जनगणना निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली, जनसंख्या गणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित कुछ डेटाबेस को CII घोषित कर दिया है।

डेटा संरक्षण

- **डेटा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम**
  - डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क पर **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति।**
  - **MeitY द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023: सात सिद्धांत** (सहमति, वैधता, पारदर्शी और व्यक्तिगत डेटा का न्यूनतम संग्रह और उपयोग, आदि), **गवर्नेंस {भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPBI)}, कहाँ लागू** (भारत के भीतर और भारत के बाहर) आदि।
  - निजता के अधिकार पर निर्णय (पुट्टास्वामी वाद), आदि।

मनी लॉन्ड्रिंग या धन-शोधन

- **तीन चरण: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन।**
- **मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें:** धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, PMLA (संशोधन) अधिनियम, 2012 और 2023, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (FIU-IND), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), FATF, वियना कन्वेंशन।
- कानून लागू होने के बाद से PMLA के तहत दर्ज 5,422 मामलों में केवल 23 लोगों को दोषी ठहराया गया।

मादक पदार्थों की तस्करी

- **म्यांमार** (NER के करीब) 2023 में दुनिया में **अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक** देश बन गया है। (दक्षिण-पूर्व एशिया अफीम सर्वे, 2023 के अनुसार)
- **सबसे ज़्यादा ड्रग्स की तस्करी:** ड्रग्स की तस्करी से प्रभावित राज्यों में पंजाब का पहला स्थान है, इसके बाद UP और तमिलनाडु का स्थान है (NCRB, 2022 रिपोर्ट)।
- भारत उपयोगकर्ताओं के मामले में **विश्व का सबसे बड़ा ड्रग्स बाजार** है (विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2022)।
- **भारत** गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट में उत्पादित हेरोइन और हशीश के लिए एक **पारगमन हब के साथ-साथ गंतव्य स्थल** भी बन गया है।
- **भारत द्वारा किए गए उपाय:** ऑपरेशन समुद्रगुप्त, जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS) और गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN) पोर्टल; UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961 आदि।

आतंकवाद

- **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 में भारत 14वें स्थान पर** (बुर्किना फासो शीर्ष पर) है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **'आतंकवाद' की परिभाषा को लेकर आम सहमति का अभाव है।**
- **आतंकवाद से निपटने हेतु भारत की पहलें:** NIA; केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत दो नए डिवीजन- 1.) आतंकवाद-रोधी और उग्रपंथ-रोधी डिवीजन तथा 2.) साइबर एवं सुरक्षा डिवीजन का गठन; **नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या NATGRID** आदि
- **आतंकवाद से निपटने हेतु वैश्विक पहलें:** ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF): भारत भी इस मंच का सदस्य है; संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी **रणनीति (GCTS),** 2006; संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की **आतंकवाद-रोधी समिति (CTC)** का गठन; आदि

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967

- **UAP संशोधन अधिनियम 2019:** संगठनों के अलावा, सरकार द्वारा व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
- **2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी UAPA के तहत अपराध माना जाएगा।** (अरूप भुयान बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रानीफ वाद में अपने 2011 के निर्णयों को उलट दिया)।
- **प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (NCT दिल्ली) वाद, 2024:** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जांच एजेंसियों को UAPA से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी के लिए लिखित कारण बताना चाहिए।

© Vision IAS

अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण

- **अर्मेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 43 वाँ देश बन गया (भारत 27वाँ था)।**
- **अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बनने की दौड़ में भारत:** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) 1962, मिशन Def-Space, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी 2019, IndSpaceEx आदि।
- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क:** बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967), बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति (1959), रेस्क्यू एग्रीमेंट (1968), आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963), PAROS आदि।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन

सीमा अवसंरचना

- **सीमावर्ती क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें**
  - **सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (Border Infrastructure and Management: BIM)।**
  - **सीमा अवसंरचना से संबंधित शेकतकर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन,** जैसे- सड़क निर्माण कार्य की आउटसोर्सिंग, आधुनिक निर्माण संयंत्रों की शुरुआत करना, भूमि अधिग्रहण और अन्य वैधानिक मंजूरी प्रदान करना, आदि।
  - भारत-बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत BOLD-QIT (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेकनिक)।**
  - **अटल सुरंग** (मनाली को हौल-स्पीति से जोड़ने वाली) और शिंकू-ला सुरंग (लद्दाख तक सभी मौसम में सड़क संपर्क के लिए) **जैसी सभी मौसम में कार्यशील सड़कें और सुरंगें।**
  - **वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और म्यांमार त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी** सीमा पार कनेक्टिविटी पहल।

समुद्री सुरक्षा

- **समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां:** आतंकवादी हमले (लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा हमले से व्यापार मार्ग प्रभावित), अरब सागर में समुद्री डकैती, संगठित अपराध, अमेरिका और चीन का बढ़ता प्रभाव, आदि।
- **उठाए गए कदम: ; सागर कवच जैसे सैन्य अभ्यास;** महासागर (MAHASAGAR), क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग; **इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) की स्थापना;** IMO द्वारा जारी **अंतर्राष्ट्रीय जहाज एवं बंदरगाह सुविधा सुरक्षा कोड (ISPS) आदि।**

सुरक्षा बल

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण	▶ **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए कदम:** रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020, ADITI योजना, सृजन (SRIJAN) पोर्टल, iDEX आदि। ▶ **सैन्य संगठन में सुधार के लिए पहलें:** अग्निपथ योजना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एकीकृत युद्ध समूह, सैन्य मामलों का विभाग आदि। ▶ **अन्य प्रयास:** मिशन डेफ़ स्पेस, मिशन शक्ति, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, AI के क्षेत्र में उपयोग-केंद्रित अनुसंधान के लिए DRDO की समर्पित प्रयोगशालाएं आदि।
रक्षा निर्यात	▶ वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का **रक्षा निर्यात** किया और भारत शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में से एक है। ▶ भारत **2024- 25 तक** अपने **5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात राजस्व** के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ▶ **निर्यात किए गए प्रमुख आर्सेनल:** बख्तरबंद सुरक्षा वाहन, हल्के वजन वाले टारपीडो, हथियार का पता लगाने वाले रडार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, अपतटीय पेट्रोल वाहन आदि। ▶ रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% हिस्सा देश में **रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास** को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है, सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग, आदि।
रक्षा क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अंगीकरण	▶ इंडियन आर्मी वर्ष 2024 को **"ईयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन"** (Year of Technology Absorption/ यानी **प्रौद्योगिकी समावेशन/ अंगीकरण वर्ष)** के रूप में मना रही है। ▶ **उठाए गए कदम:** भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (2015-2030), STEAG, मिशन शक्ति,आकाशतीर परियोजना,, आदि। ▶ **प्रोफेसर के. विजय राघवन समिति की सिफारिशें:** रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग का गठन; प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना आदि।

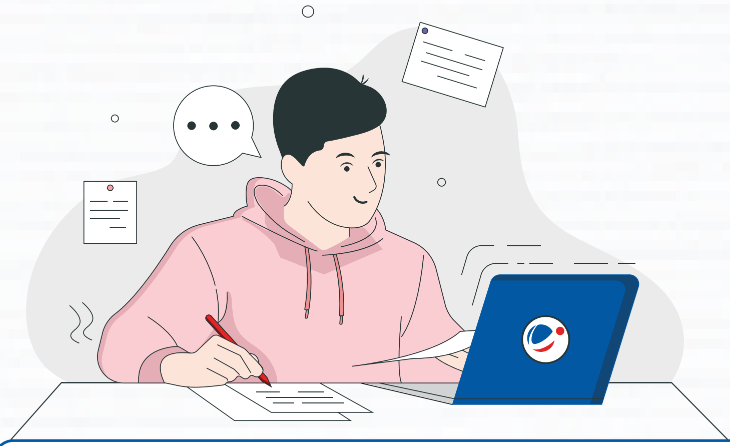

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स
की तैयारी की
स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. सुरक्षा: विगत वर्षों के प्रश्न 2013-2023 (सिलेबस के अनुसार) {Security Previous Year Questions 2013-2023 (Syllabus-Wise)}

विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध,आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका (Linkages between development and spread of extremism, Role of external state & non-state actors in creating challenges to internal security)

- आतंकवाद-प्रभावित क्षेत्रों में जनसमुदाय का विश्वास बहाल करने में 'दिल और दिमाग' जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर में संघर्ष समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। (Winning of 'Hearts and Minds' in terrorism affected areas is an essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measures adopted by the Government in this respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir.) **(2023 10 अंक)**
- नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आन्तरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। (Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues gest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.) **(2022 15 अंक)**
- भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। (Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats). **(2021 15 अंक)**
- जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं (ओ० जी० डब्ल्यू०) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमि-उपरि कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। (The banning of 'Jammat-e-Islami' in Jammu and Kashmir brought into focus the role of over-ground workers (OGWs) in assisting terrorist organizations. Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize influence of OGWs.) **(2019 10 अंक)**
- भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू० ए० पी० ए०), 1967 और एन० आइ० ए० अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। (Indian Government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending the unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967 and the NIA act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations.) **(2019 15 अंक)**
- भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? (What are the determinants of left-wing extremism in Eastern part of India? What strategy should Government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas?) **(2018 15 अंक)**
- नामपंथी उग्रनाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इसरो प्रभावित हैं। बामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। (Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India's approach to counter the challenges posed by LWE.) **(2018 10 अंक)**

- भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। (The North-Eastern region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.) **(2017 10 अंक)**
- पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। (The persisting drives of the Government for development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacements. With Malkangiri and Naxalbari foci, discuss the corrective strategies needed to win the Left Wing Extremism (LWE) doctrine affected citizens back into the mainstream of social and economic growth.) **(2015 12.5 अंक)**
- भारत के संविधान की धारा 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी पांचवीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (Article 244 of the Indian Constitution relates to administration of scheduled areas and tribal areas. Analyse impact of non-implementation of the provisions of the Fifth schedule on the growth of Left Wing extremism.) **(2013 10 अंक)**

संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों मैं मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें (Challenges to internal security through communication networks, Role of media and social networking sites in internal security challenges, Basics of cyber security)

- साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (What are the different elements of cyber security ? Keeping in view the challenges in cybersecurity, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive National Cyber Security Strategy.) **(2022 15 अंक).**
- भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। (Keeping in view India's internal security, analyse the importance of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.) **(2021 10 अंक)**
- साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। (Discuss different types of cybercrimes and measures required to be taken to fight the menace.) **(2020 10 अंक)**
- साइबरडोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। (What is CyberDome Project? Explain how it can be useful in controlling internet crimes in India.) **(2019 10 अंक)**
- अंकीयकृत (डिजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी० एन० श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में डेटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डेटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियों और खामियों क्या-क्या है? (Data security has assumed significant importance in the digitized world due to rising cybercrimes. The Justice B.N. Srikrishna Committee Report addresses issues related to data security. What, in your view, are the strengths and weaknesses of the Report relating to protection of personal data in cyber space?) **(2018 15 अंक)**
- साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। (Discuss the potential threats of Cyber-attack and the security framework to prevent it.) **(2017 10 अंक)**

© Vision IAS

- भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए, इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। (Mob violence is emerging as a serious law and order problem in India. By giving suitable examples, analyse causes and consequences of such violence.) **(2017 15 अंक)**
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद् चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है? उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए। (Use of internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.) **(2016 12.5 अंक)**
- सरकारी कार्यकलापों के लिए, सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम स्वसंस्थागत मशीन-आधारित होस्टिंग के लाभों और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (Discuss the advantages and security implications of cloud hosting of servers vis-a-vis in-house machine- based hosting for government businesses.) **(2015 12.5 अंक)**
- डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस. क्या है और उसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है ? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार ख़तरनाक हो सकता है? (Religious indoctrination via digital media has resulted in Indian youth joining the ISIS. What is ISIS and its mission? How can ISIS be dangerous to the internal security of our country?) **(2015 12.5 अंक)**
- विचार करते हुए कि साइबरस्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक "डिजिटल सशस्त्र बल" की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (Considering the threats cyberspace poses for the country, India needs a "Digital Armed Forces" to prevent crimes. Critically evaluate the National Cyber Security Policy, 2013 outlining the challenges perceived in its effective implementation.) **(2015 12.5 अंक)**
- 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती है? (What are social networking sites and what security implications do these sites present?) **(2013 10 अंक)**
- कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप 'इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम युद्ध' (Cyber warfare) से क्या समझते हैं ? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूप-रेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए। (Cyber warfare is considered by some defense analysts to be a larger threat than even Al Qaeda or terrorism. What do you understand by Cyber warfare? Outline the cyber threats which India is vulnerable to and bring out the state of the country's preparedness to deal with the same). **(2013 10 अंक)**

धन-शोधन और इसे रोकना (Money-laundering and its prevention)

- चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। (Discuss how emerging technologies and globalization contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.) **(2021 10 अंक)**
- अवैध धन स्थांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? (Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?) **(2013 10 अंक)**

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन; संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध; विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश (Security challenges and their management in border areas; Linkages of organized crime with terrorism, Various Security forces and agencies and their mandate)

- भारत में आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत और इन स्रोतों की कटौती के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में, हाल ही में नयी दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई 'आतंकवाद के लिए धन नहीं (एन० एम० एफ० टी०)' संगोष्ठी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। (Give out the major sources of terror funding in India and efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the ‘ No Money for Terror [NMFT]’ Conference recently held at New Delhi in November 2022.) **(2023, 15 अंक)**
- भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए। (What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.) **(2023, 15 अंक)**
- सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों (यू० ए० वी०) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। (The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) by our adversaries across the borders to ferry arms/ammunitions, drugs, etc., is a serious threat to the internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat.) **(2023, 10 अंक)**
- संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। (Discuss the types of organised crimes. Describe the linkages between terrorists and organised crime that exist at the national and transnational levels.) **(2022, 10 अंक).**
- भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। (What are the maritime security challenges in India ? Discuss the organisational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security.) **(2022, 10 अंक).**
- आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए । आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए । (Analyse the complexity and intensity of terrorism, its causes, linkages and obnoxious nexus. Also suggest measures required to be taken to eradicate menace of terrorism.) **(2021 15 अंक)**
- प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। (For effective border area management, discuss the steps required to be taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favourable perception among locals.) **(2020 10 अंक)**
- आन्तरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। (Analyse internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.) **(2020 15 अंक)**
- उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आर-पार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्यांमार सीमा के आर-पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए। (Cross-Border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India- Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.) **(2019 15 अंक)**

© Vision IAS

- संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिए। इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किए जाने चाहिए? (India's proximity to the two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gunrunning, money laundering and human trafficking. What counter measures should be taken to prevent the same?) **(2018 15 अंक)**
- आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं? आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (The scourge of terrorism is a grave challenge to national security. What solutions do you suggest to curb this growing menace? What are the major sources of terrorist funding?) **(2017 15 अंक)**
- 'उग्र अनुसरण' एवं 'शल्यक प्रहार' पदों का प्रयोग प्रायः आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों के युद्धनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। (The terms 'Hot Pursuit' and 'Surgical Strikes' are often used in connection with armed action against terrorist attacks. Discuss the strategic impact of such actions.) **(2016 12.5 अंक)**
- "पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग के रूप में उभर रहा है।" उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। ('Terrorism is emerging as a competitive industry over the last few decades." Analyse the above statement.) **(2016 12.5 अंक)**
- दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण सीमा प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबन्धन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। (Border management is a complex task due to difficult terrain and hostile relations with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management.) **(2016 12.5 अंक)**
- मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (Human right activists constantly highlight the view that the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) is a draconian act leading to cases of human rights abuses by the security forces. What sections of AFSPA are opposed by the activists? Critically evaluate the requirement with reference to the view held by the Apex Court.) **(2015 12.5 अंक)**
- "बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है।" ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। ("The diverse nature of India as a multi-religious and multi-ethnic society is not immune to the impact of radicalism which is seen in her neighbourhood." Discuss along with strategies to be adopted to counter this environment.) **(2014 12.5 अंक)**
- अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप 'आकाशी क्षेत्र' से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए इन नियमों के क्या निहितार्थ है? इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रण करने के तरीके सुझाइए। (International civil aviation laws provide all countries complete and exclusive sovereignty over the airspace above their territory. What do you understand by 'airspace? What are the implications of these laws on the space above this airspace? Discuss the challenges which this poses and suggest ways to contain the threat.) **(2014 12.5 अंक)**
- भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। (How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.) **(2014 12.5 अंक)**
- 2012 में समुद्री डकैती के उच्च जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरी (लॉजिट्यूडिनल) अंकन अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व से 78 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परिणाम है? (In 2012, the longitudinal marking for high-risk areas for piracy was moved from 65 degrees east to 78 degrees east in the Arabian Sea by the International Maritime Organization. What impact does this have on India's maritime security concerns?) **(2014 12.5 अंक)**

- चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है। यह भारत की सुरक्षा के लिए क्या खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (China and Pakistan have entered into an agreement for development of an economic corridor. What threat does this pose for India's security? Critically examine.) **(2014 12.5 अंक)**
- दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्यांमार से लगी विशेषकर लम्बी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं ? (How far are India's internal security challenges linked with border management particularly in view of the long porous borders with most countries of South Asia and Myanmar?) **(2013 10 अंक)**

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013–2023 तक पूछे गए प्रश्नों (सुरक्षा खंड के लिए) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए दिए QR कोड को स्कैन कीजिए।	

वीकली फोकसः सुरक्षा

क्र. सं.	टॉपिक	अन्य जानकारी
1.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और राष्ट्रीय सुरक्षा	
2.	भारत का परमाणु सिद्धांत	
3.	तटीय सुरक्षाः भारत की तैयारी की स्थिति	
4.	रक्षा उद्योग का स्थानीयकरणः आवश्यकता से लेकर अवसर तक	
5.	हाइब्रिड वारफेयरः नए युग के युद्ध में नए युग की प्रतिक्रिया	
6.	परमाणु निरस्त्रीकरणः सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम	
7.	भू-स्थानिक डेटाः आधुनिक रक्षा प्रणाली की ओर एक कदम	

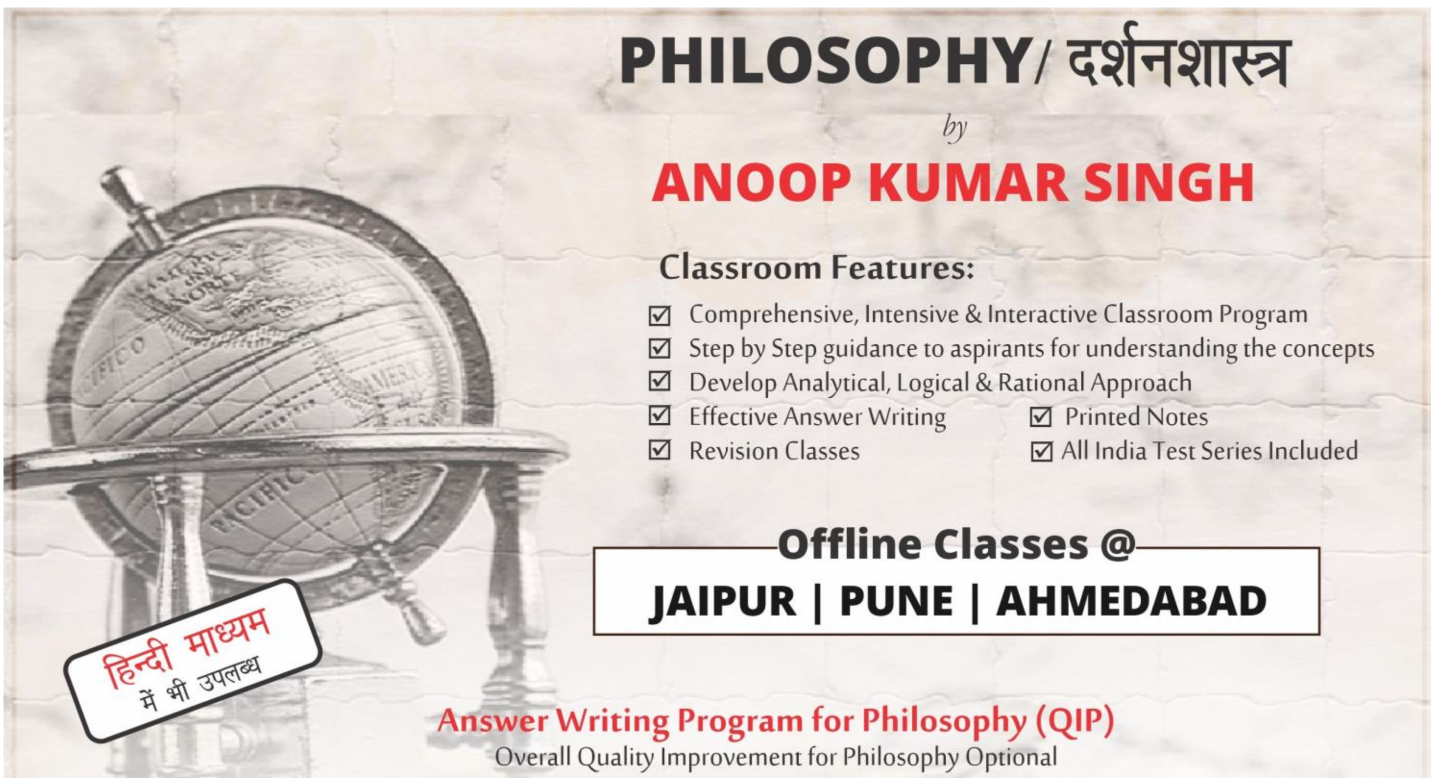

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **प्रश्नों का विशाल संग्रह:** इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।
- **पर्सनलाइज्ड टेस्ट:** अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।
- **प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी:** अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।
- **समयबद्ध मूल्यांकन:** अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।
- **प्रदर्शन में सुधार:** टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।
- **स्टूडेंट डैशबोर्ड:** स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

- **अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस:** अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।
- **पर्सनलाइज्ड असेसमेंट:** अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।
- **कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज:** प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।
- **लक्षित तरीके से सुधार:** टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।
- **प्रभावी समय प्रबंधन:** तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **आत्मविश्वास में वृद्धि:** कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | DELHI | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
22 अगस्त | 1 PM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR
मोहन लाल
TOPPERS' TALK

136 AIR
अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK

विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न

UPSC मेन्स 2024 के लिए व्यापक रणनीति

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची